



भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भुवनेश्वर
ई-निविदा आमंत्रण की सूचना [एनआईटी]

ऑफिसर्स लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पैंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

1.	"भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर में ऑफिसर्स लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन और चाय पैंट्री के संचालन में खानपान सेवाएं प्रदान करने" के लिए इसके भुवनेश्वर कार्यालय में विक्रेताओं से ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि यानी 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होगी। हालाँकि, सफल बोली लगाने वाले के संतोषजनक प्रदर्शन और सेवा प्रदाता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन अनुबंध को दो साल (एक बार में एक वर्ष) की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
1. (ए)	इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले पूरे निविदा दस्तावेज को अवश्य पढ़ें। निविदाकार अपने लिए अपनी जिम्मेदारी और अपने स्वयं के खर्च पर वह सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो निविदा और अनुबंध निष्पादन के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से परिचित हो सकते हैं।
2.	सभी अर्हता-पूर्व दस्तावेज एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग -1) के साथ अपलोड किए जाएंगे। जो निविदाकार अर्हता-पूर्व दस्तावेजों को अपलोड नहीं करते हैं, उन पर इस निविदा प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, विक्रेता को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता के संदर्भ में मांगे जाने पर बैंक को दस्तावेजों का मूल प्रस्तुत करना चाहिए।
3.	निविदा प्रपत्र 06 फरवरी 2026 को शाम 06:00 बजे से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। प्री-बिड बैठक 27 फरवरी, 2026 को दोपहर 12:00 बजे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, दूसरी मंजिल, आरबीआई, भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। देखने के लिए निविदा प्रपत्र आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in या https://www.mstcecommerce.com/eprocn से डाउनलोड किया जा सकता है। लागू पूर्व-योग्यता कागजात एमएसटीसी पोर्टल पर टेक्नो कमर्शियल बिड (भाग- I) के साथ अपलोड किए जाने चाहिए।
4.	इच्छुक विक्रेता/फर्म www.Mstcecommerce.com/eprocurement/rbi पर पंजीकरण करने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocurement/rbi के माध्यम से खोली जाएगी और फर्म द्वारा लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।

5.	निर्धारित प्रारूप में निविदा एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। निविदा के भाग-। में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें और निविदाकारों का कवरिंग लेटर शामिल होगा। प्रत्येक बोलीदाता को 1,76,000/- रुपये (एक लाख छिह्तर हजार रुपये मात्र) की ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से जमा करनी होगी और एनईएफटी का विवरण अनुलग्नक-V में उल्लिखित है।	
6.	निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:	
कार्य		अस्थायी तारीख
i.	ई-निविदा संख्या	RBI/Bhubaneswar Regional Office/HRMD/3/25-26/ET/963
ii.	निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग-॥ मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से
iii.	अनुमानित लागत	रु.88,00,000/- (जीएसटी सहित)
iv.	प्रेस, आरबीआई वेबसाइट में एनआईटी का प्रकाशन	06 फरवरी 2026, सायं 06:00 बजे
v.	पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तारीख (निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस)	06 फरवरी 2026, सायं 06:00 बजे
vi.	ऑफलाइन बोली पूर्व बैठक प्रारंभ होने की तारीख और समय	27 फरवरी 2026, दोपहर 12:00 बजे
vii.	बयाना राशि	प्रत्येक बोलीदाता को 12 मार्च, 2026 को अपराह्न 12:00 बजे तक भारतीय रिज़र्व बैंक के खाते में ईएमडी के रूप में 1,76,000/- रुपये (केवल एक लाख छिह्तर हजार रुपये) भेजने होंगे। एनईएफटी विवरण अनुलग्नक-V में उल्लिखित है। लेनदेन संख्या और अन्य विवरण दर्शाते हुए प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सफल बोलीदाता से निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। असफल बोली लगाने वाले की ईएमडी अनुबंध दिए जाने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। यदि बोलीदाता निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
viii.	निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	सफल बोलीदाता को अनुबंध-॥ में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार किसी भी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से अनुबंध राशि का 5%

		(पांच प्रतिशत) की दर से प्रदर्शन बैंक गारंटी या निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध-V में उल्लिखित ऑनलाइन मोड (एनईएफटी / आरटीजीएस) के माध्यम से पीबीजी के बराबर राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। विवरण के लिए, कृपया खंड-VI का खंड-3.12 देखें।
ix.	निविदा शुल्क	शून्य
x.	लेनदेन शुल्क - कृपया ध्यान दें कि विक्रेताओं के पास ऑनलाइन लेनदेन शुल्क के भुगतान के बाद ही ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच होगी।	एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में लेन-देन का भुगतान, जैसा कि मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचना दी गई है।
xi.	बोली शुरू होने की तारीख - ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि www.mstcecommerce.com/epr ochome/rbi	02 मार्च 2026, सायं 12:00 बजे
xii.	बोली की अंतिम तिथि - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	12 मार्च 2026 दोपहर 12:00 बजे
xiii.	भाग I बोली खोलने की तारीख	12 मार्च, 2026 अपराह 01:00 बजे
xiv.	भाग II बोली खोलने की तारीख	पार्टियों को अलग से सूचित किया जाएगा
7.	बैंक सबसे कम दर उद्धृत करनेवाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक पूर्ण रूप से या किसी भी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार भी रखता है।	

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर



भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भुवनेश्वर

भाग - I
(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु
ई-निविदा

ई-निविदा संख्या- आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/3/25-26/ईटी/963

निविदाकर्ता का नाम _____

पता _____

दूरभाष _____

पार्टियों को एनआईटी (पूर्ण निविदा सहित) डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होने की तारीख - पोर्टल पर निविदा की उपलब्धता - सभी के लिए निविदा 'लाइव'	06 फरवरी, 2026, अपराह्न 06:00 बजे
बोली-पूर्व मीटिंग	फरवरी 27, 2026, दोपहर 12:00 बजे
बोली प्रारंभ करने की तारीख - ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तारीख	12 मार्च, 2026, दोपहर 12:00 बजे तक
प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय	12 मार्च, 2026, अपराह्न 01:00 बजे
निविदा के भाग I के खुलने की तारीख	

निविदा को खोलने के दिन अवकाश होने के मामले में, अगले कार्य दिवस पर सुबह 11:30 बजे खोली जाएंगी, लेकिन निविदा 12 मार्च, 2026 को दोपहर 12:00 बजे बोली के लिए बंद कर दी जाएगी, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है। ई-मेल/टेलीफोन द्वारा किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भुवनेश्वर

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर ने इच्छुक पार्टियों को कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं। न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसका कोई प्राधिकरण या उनके कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं या कोई अभ्यावेदन व्यक्त या निहित करते हैं। जानकारी संपूर्ण होने का दावा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी स्वयं की पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कार्य के साथ आगे न बढ़ने या कार्य के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।



भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भुवनेश्वर

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-निविदा

विषय-सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	1
2	अस्वीकरण	2
3	विषय-सूची	3-4
4	ई-निविदा आमत्रंण सूचना	5-8
5	ई-प्रोक्योरमेंट संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश (खंड - I)	9-12
6	निविदा का प्रारूप (खंड - II)	13-15
7	बोलीकर्ताओं के लिए पात्रता / अर्हता मानदंड (खंड - III)	16-20
8	निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची (खंड - IV)	21-22
9	महत्वपूर्ण सूचना और मूल्यांकन मानदंड (खंड - V)	23-28
10	नियम और शर्तें (खंड - VI)	29-38
11	वेंडर के कार्य का दायरा और दायित्व/जिम्मेदारियां (खंड - VII)	39-47
12	वेंडर के लिए सामान्य निर्देश (खंड - VIII)	48-68
13	बोलीकर्ता का विवरण (खंड - IX)	69-72
14	बोलीकर्ता के बैंकर का विवरण (खंड - X)	73
15	तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें (खंड - XI)	74

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

16	करार का मसौदा (अनुलग्नक-1)	75-80
17	बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा (अनुलग्नक-2)	81-83
18	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकरों के प्रमाण पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-3)	84
19	केटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वेंडर के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-4)	85
20	ई-भुगतान के लिए एनईएफटी विवरण (अनुलग्नक-5)	86
21	ग्राहकों की सूची/पिछले अनुभव का विवरण (अनुलग्नक-6)	87
22	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (अनुलग्नक-7)	88
23	ठेका श्रम नियमों/विनियमों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा (अनुलग्नक-8)	89
24	घोषणा (अनुलग्नक-9)	90
25	सांकेतिक मेनू (अनुलग्नक - X)	91-96
26	भाग-II (वित्तीय बोली)	97-102
27	श्रम घटक की गणना (अनुलग्नक-XI)	103-105
28	स्टाफ कैंटीन सेवा (अनुलग्नक - XII)	106
29	स्टाफ कैंटीन, आरबीआई, भुवनेश्वर में नाश्ते/नाश्ता/दोपहर के भोजन की दरें (अनुलग्नक - XIII)	107-110
30	अंडरटेकिंग (अनुलग्नक - XIV)	111
31	ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की अनुमोदित सूची (अनुलग्नक - XV)	112

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा



भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भुवनेश्वर

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-निविदा

1.	भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वेंडर से ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदा एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू होगी। तथापि, सफल बोलीकर्ता के संतोषजनक निष्पादन और सेवा प्रदाता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन के अधीन संविदा को दो वर्ष (एक बार में एक वर्ष) की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
1.(a)	इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले पूरे निविदा दस्तावेज को पढ़ लें। निविदाकर्ता अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो निविदा में भाग लेने और संविदा के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधन, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित कर सकते हैं।
2.	सभी पूर्व-अर्हता दस्तावेज एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-।) के साथ अपलोड किए जाएंगे। जो लोग पूर्व-अर्हता दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं, उन्हें इस निविदा प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, वेंडर को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने की मांग किए जाने पर बैंक को दस्तावेजों की मूल प्रस्तुत करनी चाहिए।
3.	निविदा फॉर्म 06 फरवरी, 2026 को शाम 06:00 बजे से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। 27 फरवरी, 2026 को दोपहर 12:00 बजे मानव संसाधन प्रबंध विभाग, दूसरी मंजिल, आरबीआई, भुवनेश्वर में एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। निविदा फॉर्म को आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com से देखने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। लागू पूर्व-अर्हता पत्र <u>एमएसटीसी पोर्टल</u> पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-।) के साथ अपलोड किए जाने चाहिए।
4.	इच्छुक वेंडर/फर्म www.mstcecommerce.com के साथ पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन भाग । - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग ॥ - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com के माध्यम से खोली जाएगी और लागू लेनदेन शुल्क का

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा।	
5.	निर्धारित प्रारूप में निविदा एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। निविदा के भाग-। में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें और निविदाकर्ताओं का कवरिंग लेटर शामिल होगा। ₹1,76,000/- (एक लाख छिह्न्तर हजार रुपये मात्र) की ईएमडी प्रत्येक बोलीकर्ता द्वारा एनईएफटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और एनईएफटी का विवरण अनुलग्नक-। में उल्लिखित है।	
6.	निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:	
गतिविधि	संभावित तारीख	
i.	ई-निविदा नं आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/3/25-26/ईटी/963	
ii.	निविदा का तरीका ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग। - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग।। - कीमत के माध्यम से बोली लगाएं https://www.mstcecommerce.com/eprocn/	
iii.	अनुमानित लागत ₹ 88,00,000/- (जीएसटी सहित)	
iv.	प्रेस, आरबीआई की वेबसाइट पर एनआईटी का प्रकाशन 06 फ़रवरी, 2026	
v.	पार्टियों को एनआईटी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होने की तारीख (पूर्ण निविदा के साथ) - पोर्टल-निविदा पर निविदा सक्रियण एमएसटीसी पोर्टल में सभी के लिए 'लाइव'	06 फ़रवरी, 2026 अपराह्न 06: 00 बजे
vi.	ऑफ-लाइन बोली-पूर्व मीटिंग की तारीख और समय 27 फ़रवरी, 2026 अपराह्न 12: 00 बजे	
viii.	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) सफल बोलीकर्ता को अनुलग्नक-। में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार किसी भी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से संविदा राशि के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि या निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-। में उल्लिखित विवरण में उल्लिखित ऑनलाइन मोड (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से	

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

		पीबीजी के बराबर राशि के <u>लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा।</u> अधिक जानकारी के लिए, कृपया खंड-VI के खंड 3.11 देखें।
ix.	बयाना जमाराशि	<p>प्रत्येक बोलीकर्ता को 12 मार्च, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में ईएमडी के रूप में ₹1,76,000/- (एक लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र) भेजने होंगे। एनईएफटी का ब्यौरा <u>अनुलग्नक-V</u> में दिया गया है।</p> <p>लेन-देन संख्या और अन्य विवरणों को दर्शाने वाले प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।</p> <p>सफल बोलीकर्ता की ईएमडी करार पर हस्ताक्षर करने के बाद सफल बोलीकर्ता से कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी। असफल बोलीकर्ता की ईएमडी संविदा देने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। यदि निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीकर्ता अपनी बोली वापस ले लेता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।</p>
x.	निविदा शुल्क	शून्य
xi.	लेन-देन शुल्क - कृपया नोट करें कि वेंडर को ऑनलाइन लेनदेन शुल्क का भुगतान करने के बाद ही ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त होगी।	मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान।
xii.	बोली की तारीख - ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तारीख https://www.mstcecommerce.com/eprocn/	02 मार्च, 2026, दोपहर 12:00 बजे तक
xiii.	अंतिम बोली की तारीख - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तारीख	12 मार्च, 2026, दोपहर 12:00 बजे तक
xiv.	भाग I बोली खोलने की तारीख	12 मार्च, 2026, अपराह्न 01: 00 बजे

xv.	भाग ॥ बोली खोलने की तारीख	पार्टियों को अलग से सूचित किया जाएगा
7.	बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।	

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

खंड - I: ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर का एक ई-खरीद कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले ई-निविदा आमंत्रण सूचना, इस निविदा के नियमों और शर्तों और बाद में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से जुड़े पीस से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है

- 1). वेंडर को www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → वेंडर लॉगिन →→ रजिस्टर विवरण भरने और प्रस्तुत करने के लिए → अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है।
- 2). वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले एमएसटीसी से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, भुवनेश्वर):

व्यक्ति से संपर्क करें	मेल	मोबाइल
श्री अभिषेक प्रधान	apradhan1@rbi.org.in	7978339754
श्री राहुल सिंह केराम	rskeram@rbi.org.in	7587109012

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

व्यक्ति से संपर्क करें	मेल	मोबाइल
श्री महेश रामवथ	rmaheesh@mstcindia.co.in	8801281004
श्री टीडीएमवी सत्यसाई	tsatyasai@mstcindia.co.in	6370350776
हेल्प डेस्क / ऑफिस	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/2

Google hangout ID- (टेक्स्ट चैट के लिए) - mstceproc@gmail.com

बी) सिस्टम आवश्यकता:

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
 - ii) IE-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र।
 - iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
 - iv) नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।
- DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है- अर्थात्, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग्स:

उपकरण => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें।

सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और उपकरण इंटरनेट विकल्प के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए → कस्टम स्तर (कृपया पृष्ठ से आईई सेटिंग्स चलाएं

www.mstcecommerce.com एक बार)

2.	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट तारीख और समय पर खोली जाएंगी जैसा कि निविदा में दिया गया है।
3.	निविदा में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज किया जाना चाहिए।
4.	<h3>लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:</h3> <p>वेंडर वेंडर लॉगिन में "मार्ई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। वेंडर को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। वेंडर चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें बदलाव किए बिना जमा करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।</p> <p>नोट: बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से प्रस्तुत कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।</p>

5.	<p>अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी प्रदान की गई है जो एमएसटीसी के साथ वेंडर के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन है। वेंडर से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
6.	<p>एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।</p>
7.	<p>ई-निविदा में बोली:</p> <p>a) वेंडर (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल वेंडर (वेंडर) की ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।</p> <p>b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p> <p>c) जिन वेंडर ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकते हैं, ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → वेंडर लॉगिन → रजिस्टर → मार्ट मेनू→ निविदा फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन।</p> <p>d) वेंडर को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सेव करना होगा। उसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो वेंडर अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा।</p> <p>e) तकनीकी बोली भरने के बाद, वेंडर को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर वेंडर को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों सहेज लिए जाने के बाद, वेंडर अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक करना है।</p> <p>f) वेंडर को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।</p> <p>g) सभी मामलों में, वेंडर को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।</p> <p>h) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, वेंडर पूरी तरह से रहेंगे एक दूसरे के लिए और हर किसी के लिए गुमनाम।</p> <p>i) ई-निविदा का कार्य पूर्व घोषित तारीख और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।</p> <p>j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां वेंडर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस वेंडर द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और</p>

	<p>खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और वेंडर के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी।</p> <p>क) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>एल) क्रेता के पास जैसा कि मामला हो, बिना कोई कारण बताए के निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।</p> <p>एम) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।</p> <p>किसी भी वेंडर द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।</p>
8.	इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
9.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी विचलन की अनुमति नहीं है।
10.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
11.	वेंडर से अनुरोध है कि वे वेंडर गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com/eprochome पृष्ठ में वीडियो देखें।

खंड - IIनिविदा फार्म

(बोलीकर्ता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

दिनांक: / /

स्थान:

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक
 भारतीय रिज़र्व बैंक
 मानव संसाधन प्रबंध विभाग
 भुवनेश्वर

प्रिय महोदय,

विषय: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-निविदा

उल्लिखित कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों और मात्रा-अनुसूची को पढ़ने और जांचने के बाद और कार्य स्थल का दौरा करने और जांच करने के बाद और निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मात्रा-अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और निविदा की शर्तों के अनुसार करने की पेशकश करते हैं। करार, विशेष और संविदा की शर्तों संलग्न हैं।

ज्ञापन

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करना
1.	अनुमानित लागत	₹88,00,000/- (जीएसटी सहित)
2.	बयाना जमाराशि	₹1,76,000/- (अनुमानित लागत का 2%)
3.	प्रतिशत यदि कोई हो, बिल से काटा जाना है	शून्य
4.	कार्य-निष्पादन-बैंक गारंटी	संविदा राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

2. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा संविदा की उक्त शर्तों के नियमों (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफॉल्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

3. मैं/हमने भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी के लिए ₹1,76,000/- (एक लाख छिह्न्तर हजार रुपये मात्र) निविदा के साथ भेज दिया है जिसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि मैं/हम निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हूं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, कार्यालय में किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, उक्त बयाना धन को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम निर्दिष्ट कार्य शुरू करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पीबीजी को पूरी तरह से लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उक्त पीबीजी निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार सभी कार्यों को निष्पादित करने की गारंटी होगी।
4. हम समझते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, मैं/हम यह भी समझते हैं कि ईपीएफ/ईएसआई/बोनस/ग्रेच्युटी आदि जैसे सभी सांविधिक भुगतानों का भुगतान भी मुझे/हमारे द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
5. मेरे पास कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा/जीएसटी आदि के संबंध में वैध पंजीकरण है, उपरोक्त की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं।

बोलीकर्ता द्वारा घोषणा:

यह प्रमाणित किया जाता है कि

1. इस निविदा के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी/दस्तावेज/रिपोर्ट मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी गलत या गलत पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया से/संविदा से देने से वंचित किया जा सकता है।
2. मैं/हमने इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले यहां निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं/स्वयं उनका पालन करने का वचन देता हूं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक _____ 2026

मैसर्स _____ कृते और की ओर से

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाहों के हस्ताक्षर और पता

	हस्ताक्षर	गवाह का नाम और पता
1.		
2.		

खंड - III: बोलीकर्ताओं के लिए पात्रता / अर्हता मानदंड

निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए और उनकी पात्रता/उपयुक्तता की जांच के लिए निविदा दस्तावेज के भाग। (तकनीकी बोली) में अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना (ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड करना) आवश्यक है। भाग-॥ (वित्तीय बोली) को खोलने का कार्य निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा। दस्तावेजी साक्ष्य/घोषणा को नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंड के लिए अपलोड/प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके अभाव में बोली अस्वीकृति के अधीन है: -

सभी दस्तावेजों को केवल ई-टेंडरिंग एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।

क्रम संख्या	पात्रता मानदंड	तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज
1.	<p>उचित पंजीकरण: बोलीकर्ता एक मालिकाना फर्म या साझेदारी फर्म या एक लिमिटेड कंपनी या कानूनी रूप से गठित एक कॉर्पोरेट निकाय होगा, जिसके पास कानून के अनुसार आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण होंगे। बोलीकर्ता को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। बोलीकर्ता के पास जीएसटी पंजीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत पंजीकरण, ईपीएफ पंजीकरण, श्रम और रोजगार कार्यालय के तहत पंजीकरण और एमएसई पंजीकरण (यदि लागू हो) होना चाहिए। बोलीकर्ता के पास स्थायी खाता संख्या होनी चाहिए।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निगमन/पंजीकरण, ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम/साझेदारी विलेख के प्रमाण पत्र की प्रति। (यदि लागू हो)। ➤ कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीकरण का प्रमाण पत्र। ➤ कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पंजीकरण प्रमाण पत्र। ➤ जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र। ➤ श्रम और रोजगार कार्यालय के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र। ➤ फर्म के स्थायी खाता संख्या की प्रति। ➤ एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र (केवल एमएसएमई के मामले में)।
2.	<p>अनुभव: क) बोलीकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी विभागों (केंद्र या राज्य)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों/अन्य नियामक प्राधिकरणों/प्रतिष्ठित संस्थानों में</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बोलीकर्ता ग्राहकों से कार्य आदेशों की प्रतियों और ग्राहक-वार पूर्णता/कार्य-निष्पादन प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-IV) के साथ इसी तरह के कार्यों की एक सूची (अनुलग्नक-VI) <u>प्रस्तुत करेगा</u>, जिसकी प्रामाणिकता बैंक द्वारा विभिन्न तरीकों से सत्यापित की जाएगी। (केवल कार्य आदेश पर्याप्त नहीं होंगे)। ➤ यदि बोलीकर्ता ने अतीत में बैंक के किसी भी कार्यालय में सेवा की है या बैंक के किसी भी

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>विभिन्न बैंकों के दौरान केटरिंग सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए और बुनियादी दोपहर का भोजन/विशेष दोपहर का भोजन/सामान्य चाय/उच्च चाय/चाय/चाय परोसने का अनुभव होना चाहिए। होटल, संगठन कम से कम पिछले पांच वर्षों की निरंतर अवधि के लिए (पिछले 5 वर्षों के दौरान महीने के अंतिम दिन को समाप्त करने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान, जिनमें से एक से पहले आवेदन आमंत्रित किए गए हैं अर्थात् 31 जनवरी, 2026 तक)।</p>	<p>कार्यालय में सेवा प्रदान की है, तो बोलीकर्ता के लिए बैंक के ऐसे कार्यालय से ग्राहक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।</p> <p>➤ बोलीकर्ता को 5 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा (अर्थात्, बोलीकर्ता को 31 जनवरी, 2021 से पहले केटरिंग सेवाएं या समान कार्य करने चाहिए।</p>
3.	<p>प्रत्येक पूर्ण कार्य का न्यूनतम मूल्य</p> <p>निविदाकर्ता को अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र को अपलोड/प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रामाणिकता बैंक द्वारा विभिन्न तरीकों से सत्यापित की जाएगी। (केवल कार्य आदेश पर्याप्त नहीं होंगे)।</p> <p>निविदाकर्ता ने निम्नलिखित में से किसी भी खंड में विभिन्न बैंकों के दौरान केटरिंग सेवाएं प्रदान करने और बुनियादी दोपहर का भोजन/विशेष दोपहर का भोजन/सामान्य चाय/हाई टी/चाय/चाय/कॉफी परोसने के लिए इसी तरह के कार्यों/अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है: [भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी विभाग (केंद्र या राज्य)/सार्वजनिक क्षेत्र के अंडरटेकिंग/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां/बहुराष्ट्रीय निगम/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक/अन्य नियामक प्राधिकरण/प्रतिष्ठित संस्थान, 31 जनवरी, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान होटल, संगठन, जो निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> एक समान पूर्ण कार्य अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है। या दो समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 	

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

		<p>50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी।</p> <p>या</p> <p>c) तीन समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है।</p> <p>यदि बोलीकर्ता ने पूर्व में बैंक के किसी कार्यालय में सेवा दी है या बैंक के किसी कार्यालय को सेवा प्रदान की है, तो बोलीकर्ता के लिए बैंक के ऐसे कार्यालय से <u>अनुलग्नक-IV</u> में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।</p> <p>निर्दिष्ट प्रारूप अनुलग्नक-IV के <u>अनुसार उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य</u> एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए, जिसके बिना ई-निविदा बैंक के विवेक पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।</p>
4.	<p>टर्नओवर:</p> <p>बोलीकर्ता का पिछले <u>तीन वित्तीय वर्षों</u> अर्थात् <u>वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25</u> के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 88 लाख रुपये होना चाहिए।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते। ➤ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के टर्नओवर का प्रमाण पत्र। ➤ पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न निविदाकर्ता द्वारा संलग्न किया जाना चाहिए।
5.	<p>बैंकर का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट (एमएसटीसी पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार बैंकर का प्रमाण पत्र अपलोड करें)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अनुलग्नक-III में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार वैध बैंकरों का सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र <u>मूल्य 88 लाख रुपये से कम नहीं है।</u>
6.	<p>एजेंसी को इस निविदा की तारीख तक किसी भी आधार पर भारत के किसी भी स्थान पर किसी भी केंद्र/राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगम या भारतीय रिज़र्व बैंक सहित संगठन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ बोलीकर्ता अपने ग्राहकों के साथ अपने सभी विवादों का विवरण देगा और उसकी स्थिति प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में, अनुलग्नक-IX में निर्धारित प्रारूप के अनुसार बोलीकर्ता द्वारा इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ➤ बोलीकर्ता के विरुद्ध

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए था। बोलीकर्ता को संविदा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने ग्राहकों द्वारा उल्लिखित किसी भी संविदा को रद्द या परित्याग नहीं करना चाहिए था। बोलीकर्ता के पास प्रोपराइटर/निदेशक या सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी आपराधिक अपराध के लिए कोई लंबित न्यायिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकरणों के साथ कोई मामला नहीं होगा। यदि मूल्यांकन के दौरान या संविदा देने के बाद किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि बोलीकर्ता ने इन संबंधों में तथ्यों और सूचनाओं को रोक दिया था या गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p>
7.	<p>बैंक खातों का विवरण: बोलीकर्ता का एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक चालू खाता होगा और उसे एक वचन देना चाहिए कि वे भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।</p>	<p>➤ भाग-I निविदा दस्तावेज के खंड-X को अपलोड किया जाना चाहिए।</p>
8.	<p>बोलीकर्ता सभी प्रासंगिक दस्तावेज, रिपोर्ट और अन्य विवरण प्रस्तुत करेगा जो निविदा प्रस्तुत करने की नियत तारीख के भीतर निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं। हालांकि, बैंक किसी भी या सभी बोलीकर्ताओं से स्पष्टीकरण, प्रमाण पत्र, रिपोर्ट या कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो निविदा प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बाद भी पात्रता मानदंड का हिस्सा होगा। बोलीकर्ता बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा, जिसके बिना बैंक बोलीकर्ता को अयोग्य मानने के लिए बाध्य होगा।</p>	

नोट:

- निविदाकर्ता को निविदा के भाग I के साथ अपने ग्राहकों और बैंकरों से अपनी फर्म/कंपनी के पिछले कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि किसी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक निविदा को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- ईएमडी को प्रेषित करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है।
- फर्म को निष्पादित किसी भी कार्य में लंबित सिविल मुकदमे, यदि कोई हो, या यदि किसी बैंक ने पिछले तीन वर्षों में निविदाकर्ता के किसी भी ऋण को एनपीए के रूप में घोषित किया है, तो (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

उसका विवरण प्रदान करना चाहिए।

वेंडर द्वारा अंडरटेकिंग

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने पात्रता मानदंड की अनुसूची को पढ़ और समझ लिया है और उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा।

दिनांक:

वेंडर के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान:

लैंडलाइन/मोबाइल संख्या:

खंड - IV: निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची (नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को केवल एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड करें)

क्र.सं.	पूर्व अर्हता दस्तावेज	संलग्न हाँ/नहीं
1.	हस्ताक्षरित एवं मुहर लगा निविदा दस्तावेज	
2.	बोलीकर्ता का विवरण (खंड IX)	
3.	बोलीकर्ता बैंकर का विवरण (खंड-X)	
4.	तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें (खंड-XI)	
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से न्यूनतम ₹88 लाख की राशि की बैंकर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का प्रारूप (अनुलग्नक-III)	
6.	केटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वेंडर के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र (ग्राहक के लेटर हेड पर) (अनुलग्नक-IV)	
7.	₹1,76,000/- (एक लाख बहतर हजार रुपये मात्र) की ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए। एनईएफटी का विवरण संलग्न किया जाना चाहिए। (एनईएफटी भुगतान का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है)	
8.	ग्राहकों की सूची/पिछले अनुभव का विवरण: - (01 फरवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2026 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान निष्पादित) (वेंडर के लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है) (अनुलग्नक-VI)	
9.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) का प्रारूप (अनुलग्नक - VII)	
10.	संविदा श्रम नियमों/विनियमों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रोफार्मा (उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) (अनुलग्नक - VIII)	
11.	घोषणा (अनुलग्नक - IX)	
12.	अंडरटेकिंग (अनुलग्नक - XIV)	
13.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ (i) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते। ➤ (ii) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए टर्नओवर का प्रमाण पत्र बोलीकर्ताओं के पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 के प्रमाण के रूप में संलग्न किया जाना चाहिए। (iii) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वर्षों की आयकर 	

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	विवरणियों की प्रतियां।	
14.	01 फरवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2026 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंक (आरबीआई) किसी अन्य केंद्र पर निष्पादित समान कार्य करने के पिछले अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना है। कार्य अनुभव का विवरण कार्य आदेश और अनुभव प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा।	
15.	स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति	
16.	ईएसआई के साथ पंजीकरण का प्रमाण	
17.	ईपीएफ अधिकारियों के साथ पंजीकरण का प्रमाण	
18.	जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकरण का प्रमाण	
19.	श्रम कानूनों के तहत पंजीकरण का प्रमाण	
20.	एफएसएसएआई लाइसेंस की प्रति	
21.	एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि लागू हो	
22.	दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत निगमन प्रमाण पत्र/संस्था के अंतर्नियम/एसोसिएशन के ज्ञापन/साझेदारी विलेख/पंजीकरण और इसी तरह के किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति।	
23.	रद्द चेक	
24.	कोई अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों), जैसा कि इस निविदा दस्तावेज में उल्लेख हो या बैंक द्वारा मांगा गया हो, के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	

नोट:

1. बैंक उपर्युक्त किसी भी या सभी विवरणों के प्रमाणीकरण/सत्यापन के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि कोई जानकारी गलत या गलत पाई जाती है या निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके / उनके ग्राहकों से प्राप्त उनकी कार्य-निष्पादन रिपोर्ट और/या उनके बैंकरों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक उसके निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. बोलीकर्ताओं को, निविदा दस्तावेज के भाग-। (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के अलावा, बोलीकर्ताओं के लिए अर्हता मानदंड (खंड-॥॥) में उल्लिखित अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनके निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

खंड - V: महत्वपूर्ण जानकारी और मूल्यांकन मानदंड

1.1

(a) नियोक्ता और सक्षम प्राधिकारी का नाम	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर
(b) कार्य की अनुमानित वार्षिक लागत	₹ 88,00,000/- प्रति वर्ष (जीएसटी सहित)
(c) बयाना जमाराशि (EMD)	<p>अनुलग्नक-V में उल्लिखित ब्यौरे का उपयोग करते हुए <u>एनईएफटी के माध्यम से ₹1,76,000/- (एक लाख छिहतर हजार रुपये मात्र) की ईएमडी। उक्त राशि के लिए ईएमडी के साथ नहीं की गई किसी भी निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।</u></p> <p>एमएसएमई सहित बोलीकर्ता की किसी भी श्रेणी को इस निविदा के लिए ईएमडी के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं है।</p>
(d) बोली-पूर्व बैठक की तारीख और स्थान	<p>दिनांक और समय: 27 फरवरी, 2026, दोपहर 12:00 बजे</p> <p>स्थान: सम्मेलन हॉल, 2 मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर, ओडिशा</p> <p>किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए जो बोलीकर्ताओं के पास कार्य/निविदा के संबंध में हो सकता है और उन्हें उसी के संबंध में प्रासंगिक जानकारी देने के लिए। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में बोली-पूर्व बैठक में भाग लें। इस बैठक के दौरान निविदाकर्ताओं से अपने सभी मुद्दों/शंकाओं को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। बोली-पूर्व बैठक से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता आरबीआई, भुवनेश्वर को apradhan1@rbi.org.in/ keram@rbi.org.in / hrmdbhubaneswar@rbi.org.in को अपने प्रश्नों के बारे में भी लिख सकते हैं और इस पर बोली-पूर्व बैठक के दिन चर्चा की जाएगी। उक्त बैठक का कार्यवृत्त भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।</p>
(e) पूर्ण बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	12 मार्च, 2026, दोपहर 12:00 बजे तक

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(f) खोलने की तारीख और समय तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां (भाग-I)	12 मार्च, 2026, अपराह्न 01: 00 बजे
(g) मूल्यांकन मानदंड	सफल बोलीकर्ता को इस खंड के खंड संख्या 1.6 में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंड के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा जो सभी बोलीकर्ताओं के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
(h) संविदा का आवंटन	<p>यह कार्य सफल बोलीकर्ता को प्रदान किया जाएगा जो निविदा में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के लिए पात्र और योग्य पाया गया है।</p> <p>जब तक एक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक कार्य आदेश एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगा। सफल बोलीकर्ता कार्य सौंपने की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट तारीख के भीतर पूरा कार्य संभालेगा।</p> <p>हालांकि, बैंक के पास संविदा को समाप्त करने और L2 (इसी तरह L3, L4) बोलीकर्ता का चयन करने का एकमात्र अधिकार होगा, यदि सफल L1 बोलीकर्ता अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।</p>
(i) सूचना का Falsification/suppression	सूचना का Falsification/suppression, यदि कोई हो, के कारण बोलीकर्ता को अयोग्य घोषित किया जाएगा/कार्य सौंपे जाने के बाद और संविदा की अवधि के दौरान भी संविदा रद्द किया जाएगा।
(j) संविदा पर हस्ताक्षर करना	सफल निविदाकर्ता कार्य प्रदान करने के 7 दिनों के भीतर गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार को निष्पादित करेगा। स्टांप शुल्क वेंडर द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य प्रदान करने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी।
(k) खोलने की तारीख और समय वित्तीय बोलियां	तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की जांच के बाद सभी बोलीकर्ताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।
(l) प्रारंभ तारीख	कार्य क्रम में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ङ) निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	अनुलग्नक-II में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार किसी भी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से संविदा राशि के 5% (पांच प्रतिशत) <u>के बराबर राशि के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी</u> या निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-V में उल्लिखित ऑनलाइन मोड (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से पीबीजी के बराबर राशि। विवरण के लिए, कृपया खंड-VI के खंड -3.11 का <u>अवलोकन करें।</u>
(n) पावर ऑफ अटॉर्नी	किसी कंपनी/फर्म के मामले में निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा।
(ओ) भुगतान की शर्तें	खंड-VIII के खंड 38 का <u>संदर्भ लीजिए</u>
(p) दंड खंड	खंड-VIII के खंड 16 का <u>संदर्भ लीजिए</u>
(q) निविदा की वैधता	भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिन, वह अवधि जिसे बोलीकर्ता (ओं) के साथ करार पर बैंक द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। बोलीकर्ता निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा या निविदा की वैधता के दौरान उद्धृत दरों को नहीं बदलेगा।
(r) उत्पन्न होने वाले सभी विवाद न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे	भुवनेश्वर
(s) इस निविदा के संबंध में संचार के लिए संपर्क करें व्यक्ति	<ol style="list-style-type: none"> श्री अभिषेक प्रधान, एएम, मानव संसाधन प्रबंध विभाग- apradhan1@rbi.org.in फोन संख्या: 7978339754 श्री राहुल सिंह केराम, प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग - keram@rbi.org.in फोन संख्या: 7587109012
(t) व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा	<p>वेंडर निम्नलिखित बीमा पॉलिसियां लेगा:</p> <p>(भारतीय रिजर्व बैंक और वेंडर के संयुक्त नामों में पूर्व के नाम को पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा गया है)</p> <ol style="list-style-type: none"> संपूर्ण संविदा अवधि के लिए पूर्ण संविदा मूल्य के लिए वेंडर की सभी जोखिम नीति साइट पर तैनात सभी कामगारों के लिए कामगार मुआवजा नीति निम्नलिखित विवरण के अनुसार तृतीय पक्ष देयता नीति: <ol style="list-style-type: none"> व्यक्तियों को घायल होने के लिए - 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना संपत्ति के नुकसान के लिए - प्रति दुर्घटना 5 लाख रुपये

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	मौजूदा बीमा दिशा-निर्देशों के अनुसार समग्र सीमा के अधीन।
1.2	बैंक के अधिकार: बैंक बिना कोई कारण बताए कि किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और किसी भी नियम और शर्तों में छूट देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। किसी भी बोलीकर्ता के पास अपनी बोली की अस्वीकृति के लिए बैंक के विरुद्ध कार्रवाई या दावा का कोई कारण नहीं होगा।
1.3	इस निविदा के जवाब में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी बैंक की संपत्ति होगी और यह मुफ्त होगी।
1.4	ई-निविदा के संशोधन और विस्तार: ई-निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले किसी भी समय, बैंक, किसी भी कारण से, चाहे स्वयं या संभावित निविदाकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में संशोधनों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई हो, तो उन्हें लेने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, बैंक अपने विवेक से ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है। निविदाकर्ता को ई-निविदा के संबंध में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट की जांच करनी चाहिए। इसे प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद किसी भी ई-निविदा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और/या ई-निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट ई-निविदा की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद कोई ई-निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। उक्त अंतराल के दौरान बोलीकर्ता द्वारा निविदा आवेदन को वापस लेने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। भाग-। (तकनीकी बोली) के खुलने की स्थिति में, इसे अगले कार्य दिवस पर सुबह 11:30 बजे खोला जाएगा।
1.5	ग्राहकों/कार्य-निष्पादन रिपोर्टों का मूल्यांकन: बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदा के भाग-॥ को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि किसी निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी कार्य-निष्पादन रिपोर्ट संतोषजनक/खराब नहीं पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग । और ई-निविदा के भाग ॥ के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी और ईएमडी को उसे वापस कर दी जाएगी।

1.6: मूल्यांकन मानदंड

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

तकनीकी बोली मूल्यांकन

बैंक बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की जांच और मूल्यांकन करेगा, जो खंड V में कार्य के दायरे में उल्लिखित बैंक की आवश्यकता के अनुरूप होगा। तकनीकी मूल्यांकन में बैंक की पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी बोलीकर्ता अपनी वित्तीय बोली खोलने के लिए पात्र होंगे।

वित्तीय बोली मूल्यांकन

बैंक केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियों को खोलेगा और उनकी जांच करेगा। वित्तीय बोलियां केवल एमएसटीसी पोर्टल पर [भाग- II](#) के अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत की जाएंगी।

वस्तुओं के लिए शून्य लागत का संदर्भ देने वाले बोलीकर्ताओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बैंक असामान्य रूप से कम/उच्च दरों (उपभोग्य सामग्रियों और ओवरहेड्स के लिए अनुमानित मूल्य का +/- 25%) के मामले में वेंडर से दर विश्लेषण और औचित्य की मांग करेगा और उचित पाए जाने वाले कारणों को केवल बैंक ही कार्य देगा। यदि निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें व्यावहारिक/व्यवहार्य नहीं पाई जाती हैं, तो बैंक ऐसी निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उद्धृत दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। निर्धारित समय के भीतर इस तरह का स्पष्टीकरण देने में बोलीकर्ता की ओर से विफलता के लिए ऐसे बोलीकर्ता की बोली को रद्द करना पड़ सकता है। बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो ग्राहक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

भाग-II (वित्तीय बोली) में सबसे कम बोलीकर्ता (L1) तक पहुंचने के लिए अपनाए जाने वाले मूल्यांकन मानदंड निम्नानुसार हैं-

हेडर संख्या 1

मदों के लिए निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों (Y) को संबंधित मदों के लिए कुल राशि (Z) बनाने के लिए उस वस्तु की प्रति वर्ष अस्थायी खपत (X) के साथ गुणा किया जाएगा।

सभी वस्तुओं के लिए कुल राशि (Z) का योग संचयी कुल (T1) पर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाएगा।

हेडर संख्या 1			
मद	प्रति वर्ष संभावित खपत (संख्या में) X	रुपये में प्रति यूनिट दर (आकृति में) Y	प्रति वर्ष कुल राशि (रुपये में) जेड = एक्स * वाई
आइटम ए	XA	YA	ZA = XA * YA

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

आइटम बी	XB	YB	ZB = XB * YB
:	:	:	:
आइटम पी	XP	YP	ZP = XP * YP
कुल (T1)			T1 = ZA + ZB + ... + ZP

हेडर संख्या 2

"लाभ/सेवा शुल्क" अनुलग्नक XI के आइटम Q (जीएसटी को छोड़कर कुल मजदूरी) में उल्लेख कुल न्यूनतम मजदूरी के 3% (तीन प्रतिशत) से अधिक या उसके बराबर उद्धृत किया जाना चाहिए, जो ₹1,04,890/- (राउंड ऑफ) होता है।

राशि से कम राशि के ठेकेदार के लाभ/सेवा शुल्क अर्थात ₹1,04,890/- का उल्लेख करने वाली बोलियां बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दी जाएंगी।

बोलीकर्ता को जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष लाभ/सेवा शुल्क (12 महीने) को राशि के रूप में उद्धृत करना होगा (प्रतिशत में नहीं)

- हेडर संख्या 1 और हेडर संख्या 2 पर प्राप्त कुल राशि के योग को सफल बोलीकर्ता तक पहुंचने के लिए विचार किया जाएगा। हेडर संख्या 1 और हेडर संख्या 2 (दो दशमलव तक पूर्णांक) की राशि की न्यूनतम राशि को सफल बोलीकर्ता (एल 1) के रूप में घोषित किया जाएगा।
- यदि दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं की सबसे कम निविदा राशि समान है, तो ऐसे सबसे कम बोलीकर्ताओं को एक सीलबंद लिफाफे में उनकी पहले से उद्धृत निविदा राशि पर छूट का संदर्भ देते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई सबसे कम बोली लगाने वाला अपनी बोली को निचले हिस्से में संशोधित नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य रहेगी। सबसे कम निविदा संशोधित प्रस्ताव के आधार पर तय की जाएगी।
- यदि संशोधित प्रस्तावों में प्राप्त दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं की संशोधित निविदा राशि फिर से बराबर पाई जाती है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में उच्चतम वार्षिक कारोबार वाली फर्म को संविदा देने के लिए माना जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

खंड VI: नियम और शर्तें

3.1	निविदा दस्तावेज़:
3.1.1	निविदा में इस दस्तावेज में विभिन्न खंड, एनआईटी, अनुलग्नक, अनुसूचियां, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि शामिल होंगे जो इस उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए हैं।
3.1.2	बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा दस्तावेजों के सभी वर्गों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। बोली प्रस्तुत करने को इसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ निविदा दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच के बाद प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।
3.1.3	निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे केवल एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए गए फॉर्म (निविदा दस्तावेज) का उपयोग करें। यदि निविदाएं वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्रों से प्रस्तुत की जाती हैं, यदि बाद में उनमें कोई परिवर्तन/संशोधन पाया जाता है, तो ऐसी निविदाएं अर्थात् के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, यदि वे अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे इसे अपने स्वयं के लेटर हेड/पेपर पर अपलोड कर सकते हैं। निविदा प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे।
3.1.4	पात्रता मानदंड <u>निविदा दस्तावेज के खंड</u> - III के अनुसार होगा।
3.2	निविदा दस्तावेज में संशोधन
(i)	बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित बोलीकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, एक संशोधन द्वारा निविदा को संशोधित कर सकता है।
(ii)	इस तरह के किसी भी संशोधन को आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जारी किए गए परिशिष्ट निविदा दस्तावेजों का हिस्सा होंगे।
(iii)	ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए संभावित बोलीकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक, अपने विवेक से, बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
3.3	बोली तैयार करना: निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी - भाग <u>I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली</u> और <u>भाग II - वित्तीय/मूल्य बोली</u> । बोलियां केवल ऑनलाइन और नियत तारीख के भीतर जैसा कि निविदा में निर्दिष्ट किया गया है, जमा की जाएंगी। भौतिक रूप में प्राप्त किसी भी निविदा और देर से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3.3.1	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

	(i) निविदा के भाग-। में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें (मूल्य बोली नहीं), निविदा का कवर लेटर और ₹ 1,76,000/- (अनुमानित राशि का 2%) की ईएमडी का प्रमाण शामिल होगा।
	(ii) बोलीकर्ता को विभिन्न खंडों और अनुलग्नक में निर्दिष्ट सभी विवरण भरने होंगे।
	(iii) ईएमडी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा होगा। ईएमडी की राशि ऊपर दी गई है। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं है। ईएमडी के बिना प्राप्त बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
	(iv) निविदा दस्तावेज बिना किसी अस्पष्टता के होने चाहिए और यदि कोई दस्तावेज गायब या अहस्ताक्षरित है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है। केवल एमएसटीसी पोर्टल में निविदाकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को अंतिम माना जाएगा और किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। संशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
3.4	न्यूनतम मजदूरी – बोलीकर्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करेंगे। न्यूनतम मजदूरी और/या परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया जाएगा, जो 'क्षेत्र बी' के लिए 'औद्योगिक श्रमिकों' के लिए हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.....। "कुक एंड सुपरवाइजर", "असिस्टेंट कुक" और "सर्विस बॉय" को उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर क्रमशः "कुशल", "सेमिस्स्किल्ड" और "अकुशल" श्रेणी के तहत माना जाएगा।
3.5	वित्तीय/मूल्य बोली:
(i)	निविदा के भाग- ॥ में कोई शर्त नहीं होगी, केवल निविदाकर्ता की वित्तीय बोली होगी। विशेष नोट: - बोलीकर्ता को एमएसटीसी पोर्टल में उपलब्ध भाग ॥ में निर्धारित प्रारूप के अनुसार मूल्य उद्धृत करना चाहिए।
(ii)	निविदा दस्तावेज के भाग- ॥ <u>के हेडर संख्या 1</u> में आइटम संख्या के लिए प्रति यूनिट दरें शामिल होंगी। A से P, (GST सहित), जैसा कि वित्तीय बोली (<u>भाग ॥</u>) में उल्लेख है। वेंडर को सूचित किया जाता है कि वे मद संख्या के लिए दरों (जीएसटी सहित) का उल्लेख करें। मद संख्या Q के लिए ए से पी और दरें (जीएसटी को छोड़कर)।
(iii)	बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय बोली के सभी कॉलम विधिवत भरे गए हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। वित्तीय बोली खोलने के बाद, बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
(iv)	वित्तीय बोली में अधिकारी लाउंज और चाय भंडार में लगे श्रम घटक के लिए दरों को उद्धृत करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। हालांकि, वेंडर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	प्रावधानों/संविधियों/अधिनियमों/नियमों और शर्तों के अनुसार अपने द्वारा तैनात मैनपॉवर को मजदूरी का भुगतान करेगा। श्रम/कार्यबल (श्रम घटक) की निर्धारित लागत की प्रतिपूत केवल अधिकारी लाउंज में लगी मैनपॉवर और चाय पैट्री (स्टाफ कैंटीन को छोड़कर) के संचालन के लिए वास्तविक आधार पर सांविधिक दरों के अनुसार भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने पर की जाएगी। यदि कोई सांविधिक भुगतान किसी भी वेंडर या श्रम श्रेणी के लिए लागू नहीं है, तो वित्तीय बोली में इसका उल्लेख किए जाने पर भी उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
(v)	यदि मूल्य अनुसूची का कोई कॉलम खाली पाया जाता है तो संबंधित बोलीकर्ता की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3.6	प्रत्येक बोलीकर्ता की ओर से यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो, जिसका संविदा के कार्य-निष्पादन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। बोलीकर्ता द्वारा बैंक के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण मूल्य में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3.7	बोली की मुद्रा: बोलियां निविदा के भाग- । के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेंगी, या वह अवधि जिसे बोलीकर्ता (ओं) के साथ करार पर बैंक द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है।
3.8	वेंडर नियमित कर्मचारियों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था (स्थानापन्न कर्मचारी) करेगा। इस संबंध में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
3.9	बयाना जमाराशि (ईएमडी):
3.9.1	बोलीकर्ता 12 मार्च, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक एनईएफटी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर खाते में ₹1,76,000/- की ईएमडी जमा करेंगे। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण <u>अनुलग्नक-V में उल्लेख</u> लेन-देन संख्या और अन्य विवरणों को दर्शाने वाले प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेज के साथ बैंक के अनुमोदित एमएसटीसी ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
3.9.2	ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3.9.3	गैर ईएमडी वाली बोलियां गैर-उत्तरदायी मानी जाएंगी और बैंक द्वारा अस्वीकार कर दी जाएंगी।
3.9.4	असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी सफल बोलीकर्ता को कार्य देने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा वापस कर दी जाएगी।
3.9.5	सफल बोलीकर्ता की ईएमडी कार्य सौंपने के बाद और कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जाएगा।
3.10	ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा यदि बोलीकर्ता:
3.10.1	प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, विवरण और अनुलग्नकों में भामक या गलत अभ्यावेदन करता है, किसी भी भौतिक जानकारी को दबा देता है, अदालत में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण जो अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पैदा कर सकता था;
3.10.2	बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या संविदा को निष्पादित करने में विफल रहता है या कार्य प्रदान करने को स्वीकार करने से इनकार करता है।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पैट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

3.10.3	किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है और काली सूची में डालना अभी भी लागू है।
3.11	<p>कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रोफार्मा के अनुसार किसी भी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से संविदा राशि के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी। कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी शुरू में संविदा की समाप्ति और दो महीने (अर्थात् पूरा होने की निर्धारित तारीख प्लस दो महीने) तक वैध होगी। ➤ बयान राशि जमा (ईएमडी) कार्य सौंपने के बाद और कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक कार्य के अंतिम समापन की तारीख और दो महीने की दावा अवधि के बाद निष्पादन बैंक गारंटी जारी करेगा। आरबीआई द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ➤ यदि सफल बोलीकर्ता कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर करार को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो बैंक संविदा को समाप्त कर सकता है।
3.11.1	वेंडर से मुआवजा/वसूली इस संविदा के नियमों और शर्तों के तहत वेंडर द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को मासिक बिल राशि से या कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी को लागू करके काटा जा सकता है यदि राशि इसकी अनुमति देती है जब तक कि सफल बोलीकर्ता बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी करने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा नहीं करता है।
3.12	बोलियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इच्छुक बोलीकर्ता/एजेंसियां दो भागों में निर्धारित प्रपत्र में निविदाएं अपलोड करेंगी। निविदा के <u>भाग- । में</u> निविदाकर्ताओं के कवरिंग लेटर के साथ-साथ सभी दस्तावेजों को शामिल किया जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, जबकि निविदा के <u>भाग- ॥ में</u> केवल वित्तीय बोली होगी।
3.13	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (i) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में कीमतों को दर्शाया या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। (ii) ईएमडी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा होगा।
3.14	वित्तीय/मूल्य बोली (i) बोली अस्वीकार करना: वित्तीय बोली के हेडर संख्या 1 (अन्य घटक) में किसी भी दर को शून्य (जीएसटी सहित) या बैंक के विवेक के अनुसार उचित नहीं के रूप में उद्धृत करने वाले बोलीकर्ताओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
	(ii) कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii)	बोलीकर्ताओं को बोलियां प्राप्त होने के बाद अपनी बोलियों में बदलाव या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3.15	बोलियों की प्राप्ति - निविदा दस्तावेज में उल्लिखित निर्धारित तारीख और समय तक बोलियां स्वीकार की जाएंगी।
3.16	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का प्रारंभ
(i)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां (भाग-I) भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भुवनेश्वर में निविदा दस्तावेज के खंड-V में निर्दिष्ट निर्धारित तारीख और समय पर खोली जाएंगी। बोलीकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे इसे खोलने के दौरान उपस्थित रहें।
3.17	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली की जांच
(i)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(ii)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन के बाद, केवल पात्र बोलीकर्ताओं की वित्तीय/मूल्य बोली खोली जाएगी। प्रस्ताव की तकनीकी उपयुक्तता पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
3.18	वित्तीय बोली खोलना
	शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियां बाद में खोली जाएंगी और ऐसे शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीकर्ताओं को तदनुसार तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा। शॉर्ट-लिस्ट किए गए बोलीकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को वित्तीय बोलियां खोलने के दौरान उपस्थित रहने की सूचित किया जाता है।
3.19	वित्तीय बोली की जांच
	वित्तीय बोली का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
3.20	बैंक के पास कार्य आदेश प्रदान करने या संविदा पर हस्ताक्षर करने के समय या संविदा की मुद्रा के दौरान किसी भी समय मात्रा की अनुसूची को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।
3.21	बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं के भाग- ॥ को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या बैंकर की सॉल्वेंसी रिपोर्ट से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट संतोषजनक या खराब नहीं पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग- I/भाग-॥ के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
3.22	बैंक किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:
(i)	ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, बैंक संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीकर्ता या बोलीकर्ताओं के लिए कोई दायित्व नहीं होता है। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बता सकता है। बैंक निम्नलिखित के कारण

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>संविदा देने से पहले किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:</p> <ol style="list-style-type: none"> यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है कोई घटना जिसके कारण चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है। बोलीकर्ताओं की ओर से संभावित सहयोग/मिलीभगत/शारारत का साक्ष्य, जो चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को प्रभावित करता है। कोई अन्य कारण, जिसके कारण बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक हो ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, बैंक सभी बोलीकर्ताओं को इस तरह के निर्णय के 07 दिनों या किसी भी उचित समय के भीतर सूचित करेगा। बैंक इस तरह के नोटिस जारी करने के उचित समय के भीतर बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी को भी तुरंत वापस कर देगा। बैंक इस खाते पर किसी भी बोलीकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत बैंक का दायित्व ईएमडी को वापस करने तक सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
(ii)	<p>बैंक आगे प्रक्रिया को फिर से निविदा देने (या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करवाने) का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त उपखंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।</p>
3.23	<p>सफल बोलीकर्ता को उस कार्य को सौंपने से पहले लागू मूल्य के ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचन देना होता है, जो वह वास्तव में उस विशेष कार्य/कार्य को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए करता है, जो कि ठेका श्रम के तहत न्यूनतम मजदूरी के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है। (ख) सरकार ने विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के तहत मुख्य नियोक्ता को उन सभी कार्रवाइयों के लिए क्षतिपूर्ति भी प्रदान की है जो सफल बोलीकर्ता द्वारा ऐसे वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रधान नियोक्ता के विरुद्ध शुरू की जा सकती हैं। एजेंसी मजदूरी भुगतान (प्रक्रिया) नियम, 1937 के साथ मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की खंड 5 में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ओएलडीआर, स्टाफ कैंटीन और बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को भुगतान करेगी।</p>
3.24	<p>सफल बोलीकर्ता मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बोनस अधिनियम 1965 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी नुकसान और दावों, हजारी या मुआवजे के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में केवल सफल बोलीकर्ता देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगा।</p>
3.25	<p>व्यक्तियों और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा: वेंडर व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा, और संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो वेंडर की ओर से किसी भी कारक की चूक से उत्पन्न हो सकता है।</p>

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>इस प्रकार, वेंडर को नियोक्ता अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक और वेंडर के संयुक्त नाम पर निम्नलिखित बीमा पॉलिसियां शुरू करने की आवश्यकता होती है, जिसमें पूर्व के नाम को पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जाता है, कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से।</p> <p>a) संपूर्ण संविदा अवधि के लिए पूर्ण संविदा मूल्य के लिए वेंडर की सभी जोखिम नीति</p> <p>b) साइट पर तैनात सभी कामगारों के लिए कामगार मुआवजा नीति</p> <p>c) निम्नलिखित विवरण के अनुसार तृतीय पक्ष देयता नीति:</p> <ol style="list-style-type: none"> व्यक्तियों को घायल होने के लिए - 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना संपत्ति के नुकसान के लिए - प्रति दुर्घटना 5 लाख रुपये <p>मौजूदा बीमा दिशा-निर्देशों के अनुसार समग्र सीमा के अधीन।</p> <p>नोट:</p> <ul style="list-style-type: none"> ये बीमा कार्य पूरा होने तक वैध रहेंगी। यदि सफल बोलीकर्ता इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को लेने और सफल बोलीकर्ता के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वेंडर किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस संविदा को पूरा करने वाले दोषपूर्ण अन्य सभी नुकसानों के लिए भी, जो भी हो, कारण हो सकते हैं जिनके कारण नुकसान हुआ होगा। वेंडर नियोक्ता को कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा।
3.26	<p>संविदा करार पर हस्ताक्षर</p> <ul style="list-style-type: none"> निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, यहां संदर्भित शर्तें, संविदा की शर्तें और निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न तकनीकी विनिर्देश, बैंक और निविदाकर्ता के बीच बाद के पत्राचार का आदान-प्रदान, और रखा गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ दर्ज किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होगा। सफल निविदाकर्ता / वेंडर, नियोक्ता द्वारा अपनी निविदा की स्वीकृति पर, कार्य शुरू होने की निर्धारित तारीख से 7 दिनों के भीतर, संविदा पर हस्ताक्षर करेगा: - उचित मूल्यों के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर करार के लेख (स्टाम्प पेपर की लागत वेंडर द्वारा वहन की जाएगी। करार की एक प्रमाणित प्रति नियोक्ता द्वारा वेंडर को सौंप दी जाएगी)। करार के मसौदा संविदा-। में दिया गया है। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, बैंक द्वारा एक निविदा की लिखित स्वीकृति, अपने आप में बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार का गठन करेगी, चाहे ऐसा संविदा बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं। किए गए कार्य के लिए कोई

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वेंडर द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।</p> <p>यदि सफल बोलीकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या नियत तारीख पर कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो कार्य देने वाले पत्र को रद्द माना जाएगा और जमा ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, बैंक ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों/कंपनियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में कोई भी कार्य करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक ऐसे बोलीकर्ताओं को कारण बताओ (एससीएन) के लिए सात दिनों का नोटिस दे सकता है और व्यक्ति/एजेंसी/कंपनी को प्रतिबंधित करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले एससीएन को प्रस्तुत किए गए किसी भी उत्तर पर विचार कर सकता है। इस संबंध में भुवनेश्वर के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।</p>
3.27	पार्ट निविदा स्वीकार करने का अधिकार: बैंक के पास निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार है।
3.28	यह भी नोट करें कि सामान्य नियम और शर्तें प्रकृति में सांकेतिक हैं और यह बैंक को निविदाकर्ता को ऐसे आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए लागू करने या आवश्यक करने से नहीं रोकेगा, या उन नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने से नहीं रोकेगा, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।
3.29	उपरोक्त खंडों की आवश्यकताओं का पालन करने में सफल बोलीकर्ता की विफलता आवंटन को रद्द करने और प्रस्तुत बैंक गारंटी को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार बनाएगी।
3.30	कर/शुल्क/शुल्क: उद्धृत कीमतों में जीएसटी शामिल होगा, लेकिन यह माना जाएगा कि इसमें केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य सभी कर, स्थानीय लेवी आदि शामिल हैं। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
3.31	संविदा को उप ठेका देने की अनुमति नहीं है - संविदा किसी भी परिस्थिति में एक हस्तांतरणीय संविदा नहीं है। यदि संविदा प्रदान की जाती है, तो वेंडर संविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी/संगठन को संविदा के किसी भी हिस्से को असाइन/सबलेट/स्थानांतरित नहीं करेगा।
3.32	वेंडर को कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्रा की अनुसूची में उद्धृत दरों और कीमतों के बारे में निविदा देने से पहले खुद को संतुष्ट माना जाएगा, जो दरें और कीमतें, अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी मामलों और वस्तुओं को कवर करती हैं।
3.33	बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, वेंडर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाएगा। बाल श्रमिकों का नियोजन सख्त वर्जित है और इससे संविदा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। सेवाओं को प्रभावित किए बिना सांविधिक आवश्यकता के अनुसार सभी केटरिंग कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए (जिसका

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। फर्म द्वारा उद्धृत दरों के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं माना जाएगा। इसी तरह श्रमिकों को वैकल्पिक व्यवस्था के साथ श्रम कानूनों के अनुसार छुट्टी दी जानी चाहिए।
3.34	कार्यालय समय से परे सेवा की सुविधा: सामान्य कार्य घंटों के अलावा, बैंक कभी-कभी कार्य के विषम घंटों पर भी कार्य करता है। यदि आवश्यक हो, तो वेंडर कार्यालय समय से परे सेवा की सुविधा प्रदान करेगा। उस अवधि के दौरान तैनात श्रमिकों के कार्य के घंटों की सूचना बैंक द्वारा दी जाएगी। कृपया नोट करें कि उक्त व्यवस्था वेंडर द्वारा इस संविदा के लिए अनुमोदित मैनपॉवर के भीतर की जाएगी। बैंक द्वारा श्रमिकों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक वेंडर द्वारा नियुक्त कर्मचारी को कोई आवास प्रदान नहीं करेगा। वेंडर को अपने कर्मचारियों की सभी देनदारियों को वहन करना होगा, जिसमें परिवहन लागत भी शामिल है, भले ही श्रमिकों को विषम घंटों में झूटी के लिए बुलाया जाता हो। बैंक श्रमिकों के वाहन शुल्क और आवास के प्रति कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
3.35	संविदा का नवीनीकरण: इस वर्ष के लिए संविदा की अवधि 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक या कार्य आदेश में बैंक द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार है। उक्त संविदा वित्त वर्ष 2027-28 (अप्रैल से मार्च) और वित्त वर्ष 2028-29 (अप्रैल से मार्च) के लिए नवीकरणीय है, जो वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान वेंडर के संतोषजनक कार्य-निष्पादन और निविदा दस्तावेज में उल्लेख अन्य नियमों और शर्तों के अधीन है। नवीनीकरण के दौरान संविदा राशि में वृद्धि को निम्नानुसार माना जाएगा: श्रम घटक के लिए, बैंक समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में किसी भी वृद्धि की भरपाई वेंडर को करेगा और पीएफ और ईएसआई जैसी संबंधित सांविधिक देनदारियों को भी तदनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
3.36	विवादों का निपटान और मध्यस्थता: इस संविदा से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे, विवाद और या अंतर जैसे विनिर्देश, अनुमान, निर्देश, आदेश, कारीगरी की गुणवत्ता या कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों की व्याख्या, इस करार की वैधता या समाप्ति आदि को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालांकि, यदि उपरोक्त के रूप में चर्चा द्वारा विवादों का समाधान नहीं किया जाता है, तो मामले को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए निर्णय के लिए भेजा जाएगा। यदि एजेंसी ऐसी नियुक्ति के लिए सहमत नहीं होती है, तो दोनों पक्ष एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और फिर मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। मध्यस्थ अंतरिम आवंटन और/या निर्देश दे सकता है, जैसा कि आवश्यक हो। मध्यस्थों/मध्यस्थों के पैनल का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 लागू होगा। एजेंसी और आरबीआई

	<p>के बीच किसी भी अनसुलझे विवाद के मामले में यह भुवनेश्वर, ओडिशा में अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएगा और भारत में लागू प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों द्वारा शासित होगा।</p> <p>यह सहमति है कि वेंडर ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक नियोक्ता के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ का कोई भी आवंटन वेंडर को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में नियोक्ता के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर, ओडिशा होगा।</p>
--	---

स्थान:

(मुहर सहित बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

दिनांक:

(नाम)

खंड - VII: वेंडर के कार्य का दायरा और दायित्व/जिम्मेदारियां

1.	<p>संविदा, यदि प्रदान की जाती ता है, तो शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैध होगी। बैंक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दो वर्ष (एक समय में एक वर्ष) की अवधि के लिए संविदा की अवधि का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक इस संविदा के व्यापक ढांचे के भीतर पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर भुवनेश्वर में स्थित अपने विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट्स और ट्रांजिट हॉलिडे होम्स में विशेष दोपहर का भोजन/बेसिक लंच/चाय/कॉफी प्रदान करने के लिए इस संविदा के दायरे का विस्तार करने का निर्णय ले सकता है।</p>						
2.	<p>यह लाउंज वर्तमान में अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य कार्यालय भवन की तीसरी मंजिल, पर स्थित है। प्रचलित प्रथा के अनुसार, अधिकारियों को पिछले दिन लाउंज में दोपहर का भोजन करने की सूची अपेक्षित होगी। हालांकि, कभी-कभी, कुछ अधिकारी इसे इंगित करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। दोपहर के भोजन के लिए इस तरह के अंतिम क्षण के अनुरोधों को अधिकतम सीमा तक समायोजित किया जाना चाहिए। आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा उस मानक की होनी चाहिए जो बैंक के अधिकारियों की स्थिति के अनुरूप हो। वेंडर को मेन्यू (अनुलग्नक X) के अनुसार ओएलडीआर में चाय/कॉफी, सामान्य चाय, हाई टी (टाइप ए/बी), बेसिक लंच, विशेष मलंच सुविधाएं और अन्य मद्दें उपलब्ध करानी होती हैं, जिसके लिए उक्त कार्यक्रम के लिए वेंडर को मांगपत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, वेंडर को एनेक्सी बिल्डिंग में स्थित स्टाफ कैंटीन में या मुख्य कार्यालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर, जैसा कि वांछित हो, चाय/कॉफी/नाश्ता/नाश्ता/दोपहर के भोजन की सुविधा प्रदान करनी होगी।</p>						
3.	<p>सफल बोलीकर्ता बैंक के परिसर में सुचारू केटरिंग सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए 14 केटरिंग कर्मचारियों (नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार) तैनात करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, किसी भी कार्यबल की अनुपस्थिति में, एक उपयुक्त विकल्प तैनात किया जाएगा।</p> <p style="text-align: center;">(अ) <u>ओएलडीआर और चाय पेट्री के संचालन के लिए मैनपॉवर</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">कर्मचारी का प्रकार</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">कर्मचारियों की संख्या</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">कर्मचारियों का विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">कुशल</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">02 (दो)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">01 पर्यवेक्षक और 01 कुक</td> </tr> </tbody> </table>	कर्मचारी का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों का विवरण	कुशल	02 (दो)	01 पर्यवेक्षक और 01 कुक
कर्मचारी का प्रकार	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों का विवरण					
कुशल	02 (दो)	01 पर्यवेक्षक और 01 कुक					

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

अर्ध-कुशल	02 (दो)	02 सहायक कुक की संख्या
अकुशल	10 (दस)	10 सर्विस बॉय

कर्मचारियों की जिम्मेदारी: -

A. पर्यवेक्षक: -

- (i) तैनात पर्यवेक्षक को संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- (ii) व्यवहार विनम्र होना चाहिए।
- (iii) ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन के समग्र कामकाज और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार होगा।
- (iv) उचित यूनिफार्म में होना चाहिए।
- (v) वह व्यक्तिगत रूप से ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन में प्रदान किए जाने वाले भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (vi) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, फर्नीचर आदि हमेशा निरंतर जांच के माध्यम से उचित क्रम में हों और किसी भी समस्या के बारे में ओएलडीआर डेस्क को सूचित करें।
- (vii) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बर्टन, क्रॉकरी, रसोई के उपकरण साफ और कार्य करने की स्थिति में हैं।
- (viii) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रसोई को साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाए।
- (ix) कुक, असिस्टेंट कुक और अन्य सर्विस बॉय के समग्र कामकाज की निगरानी और जांच करेंगे।
- (x) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन समय पर तैयार किया जा रहा है और कर्मचारियों को ठीक से परोसा जा रहा है।
- (xi) बैंक के साथ वेंडर का संपर्क बिंदु होगा।
- (xii) विभिन्न बैठकों के दौरान चाय/काँफी/सामान्य चाय/हाई टी (टाइप ए या बी), बेसिक लंच और स्पेशल लंच की समय पर सेवा सुनिश्चित करेगा।
- (xiii) यह सुनिश्चित करेगा कि ओएलडीआर और स्टाफ कैंटीन में अच्छी गुणवत्ता वाले अनुमोदित ब्रांड कच्चे माल की आपूर्ति की जाए।

B. रसोइया और सहायक रसोइया:-

- (i) तैनात कुक और सहायक कुक को संबंधित क्षेत्र में और बड़ी रसोई को संभालने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- (ii) उत्तर, दक्षिण भारतीय, चीनी रात्रिभोज/दोपहर का भोजन/नाश्ते के सामान पकाने में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए।
- (iii) किचन में हाइजीन बनाए रखनी चाहिए।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

- (iv) उचित यूनिफार्म में होना चाहिए।
 (v) रसोई में सहायक कर्मचारियों को कार्य सौंपना चाहिए।
 (vi) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन तैयार किया जाए।
 (vii) दैनिक आधार पर चाय/कॉफी, बेसिक लंच, स्पेशल लंच और अन्य अल-ए-कार्ट मेनू आइटम तैयार करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

C. सर्विस बॉय

- (i) व्यवहार विनम्र होना चाहिए।
 (ii) ऑफिसर्स लाउंज में साफ-सुधरे और स्वच्छ तरीके से भोजन परोसना चाहिए।
 (iii) बैंक के कर्मचारियों को उनकी संबंधित मेज, बैठक हॉल, सम्मेलन आदि पर स्वच्छ और स्वच्छ तरीके से पानी/चाय/कॉफी/नाश्ता परोसना चाहिए।
 (iv) डाइनिंग टेबल को हमेशा साफ और प्रेजेटेबल रखना चाहिए।
 (v) स्टाफ सदस्यों के साथ पूछताछ करनी चाहिए और अनुरोध पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ प्रदान करना चाहिए।
 (vi) स्टाफ सदस्यों को सेवा के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए।
 (vii) बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।
 (viii) सब्जियों की कटाई/भंडारण, खाना पकाने या रसोइया, सहायक रसोइया या पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य में रसोइयों की सहायता करनी चाहिए।
 (ix) बैंक के अधिकारियों के केबिन में बैंक द्वारा प्रतिदिन सुबह पीने के पानी से केतली/थर्मस आदि की भरना/सफाई करना।
 (x) उचित यूनिफार्म में होना चाहिए।
 (xi) बैंक द्वारा निर्धारित समय के अनुसार दैनिक आधार पर अधिकारी के डेस्क/केबिन में दिन में कम से कम दो बार/प्रत्येक आधे में चाय/कॉफी परोसें।
 (xii) वरिष्ठ अधिकारी के केबिन में या बैंक द्वारा तय किए गए स्थान के अनुसार पानी की बोतल को फिर से भरना।
 (xiii) पानी की बोतल को साफ करें, फिर से भरें और विभिन्न बैठकों में रखें।
 (xiv) बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न बैठकों/वरिष्ठ अधिकारी के केबिन/स्थान में चाय/कॉफी/सामान्य चाय/हाई टी परोसें।
 (xv) दैनिक आधार पर ओएलडीआर में बेसिक लंच (बुफे लंच) परोसें।
 (xvi) चाय पेट्री और ओएलडीआर में नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली क्रॉकरी और कटलरी को साफ करें।

नोट:

- ✓ बोलीकर्ता समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित हाल ही में निर्धारित वेतन अधिसूचना का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और पीएफ और ईएसआई जैसी संबंधित सांविधिक देनदारियों को भी समय-समय पर लागू होने के अनुसार तदनुसार मुआवजा दिया जाएगा। बैंक ऊपर निर्दिष्ट कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक केवल कार्य दिवसों के लिए वेंडर द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की प्रतिपूर्ति करेगा, जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>समय-समय पर लागू होता है, जैसा कि समय-समय पर निविदाकर्ता को अलग से लागू होता है। उपरोक्त कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के अलावा कोई भी अतिरिक्त खर्च वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ मूल मध्याह्न भोजन के अलावा, वेंडर को ओएलडीआर में मेनू (अनुलग्नक X) के अनुसार चाय/कॉफी, सामान्य चाय, उच्च चाय (टाइप ए/बी), बेसिक लंच, विशेष मलंच सुविधाएं और अन्य वस्तुएं प्रदान करनी होती हैं, जिसके लिए उक्त कार्यक्रम के लिए वेंडर को मंगवाईपत्र प्रदान किया जाएगा। विशेष दोपहर के भोजन/बैठकों के दौरान स्टार्टर और अन्य मेनू आइटम और सेवारत कर्मचारियों के लिए तैयारी के लिए आवश्यक अतिरिक्त मैनपॉवर (विशिष्ट रसोइया/सहायक रसोइया) वेंडर द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए व्यय वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा। वेंडर को सूचित किया जाता है कि वह ओएलडीआर में विशेष दोपहर के भोजन के दौरान तैयारी और सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मैनपॉवर की व्यवस्था के लिए किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए <u>अनुलग्नक X में</u> दरों को उद्धृत करे। विशेष दोपहर के भोजन की आपूर्ति विशिष्ट आदेशों के आधार पर की जाएगी न कि नियमित आधार पर। ✓ वेंडर पेय पदार्थों/खाद्य पदार्थों (केक, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, जलपान, चाय, कॉफी, कुकीज, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स आदि) की भी आपूर्ति करेगा। जब भी बैंक द्वारा वांछित किया जाता है, जो एमआरपी के अनुसार देय होगा। <p>(आ) स्टाफ कैंटीन के लिए मैनपॉवर</p> <p>स्टाफ कैंटीन में लगे मैनपॉवर की लागत बैंक वहन नहीं करेगा। कैंटीन में तैनात कर्मचारियों के लिए कार्यालय द्वारा कोई निश्चित पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अनुलग्नक-XIII में दी गई दरों के अनुसार कैंटीन में खाद्य पदार्थों की बिक्री से राजस्व प्राप्त होगा।</p>
4.	आपूर्ति एजेंसी का एक स्थानीय प्रतिनिधि पूरे संविदा का प्रभारी होगा और संविदा के तहत सेवाओं के कुशल प्रतिपादन और एचआरएमडी, आरबीआई, भुवनेश्वर के साथ चल रहे समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।
5.	वेंडर बैंक के अधिकारियों को कार्यालय समय के दौरान, सभी कार्य दिवसों पर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य दिन पर उनके डेस्क/टेबल पर परोसी जा रही चाय/कॉफी की व्यवस्था करेगा। वेंडर जहां भी आवश्यक हो, डिस्पोजेबल कप, चाय/कॉफी/सामान्य चाय/हाई टी सेवाओं के लिए एप्लेटों की व्यवस्था करेगा और इसकी लागत वेंडर द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा, उन्हें समय-समय पर विशिष्ट विभाग द्वारा वांछित विभिन्न बैठकों के दौरान चाय/कॉफी/स्नैक्स/सामान्य चाय/हाई टी भी परोसनी होती है, जिसके लिए उन्हें एक रिकॉर्ड बनाए रखना होता है।
6.	तैनात कार्यबिल के मैनपॉवर शुल्क सहित की गई आपूर्ति के बिलों को सहायक दस्तावेजों के साथ मासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा, जो अगले महीने की 10 तारीख तक होगा और बिल की शुद्धता के अधीन, भुगतान आम तौर पर सात (07) कार्य दिवसों के समय के भीतर किया जाएगा, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए लिए लिए गए समय को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, तो बिल में वेंडर से। बिल के भुगतान में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
7.	बैंक के सभी विभाग सोमवार से शुक्रवार तक कार्य करते हैं और बैंक के कुछ विभाग ही शनिवार

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	को कार्य करते हैं। चाय/कॉफी परोसने के लिए बैंक में कार्य के घंटे आम तौर पर सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक होंगे।
8.	वेंडर को आवश्यकता पड़ने पर विशेष लंच / सामान्य चाय / हाई टी परोसना होगा जिसके लिए बैंक द्वारा पूर्व सूचना दी जाएगी।
9.	अधिकारियों को बोन चाइना कप में चाय/कॉफी/पेय पदार्थ परोसे जाएंगे जो बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
10.	वेंडर स्टाफ के सदस्य दैनिक आधार पर ऑफिसर्स लाउंज और स्टाफ कैंटीन, ऑफिसर/आरडी पेट्री/बैंकिंग लोकपाल पेट्री के किचन और डाइनिंग एरिया की सफाई करेंगे। वेंडर के कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखेंगे।
11.	वेंडर अधिकारी की चाय पेट्री और आरडी की चाय पेट्री के शुरू से अंत तक संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण, ओएलडीआर/विशेष दोपहर के भोजन/स्टाफ कैंटीन के प्रबंध में बुनियादी दोपहर का भोजन प्रदान करने और सम्मेलन कक्षों, अधिकारियों के केबिन या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर विभिन्न बैठकों के दौरान नाश्ता/सामान्य चाय/हाई टी प्रदान करने और संबंधित परिसर में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को डेस्क पर चाय/कॉफी / पानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। कार्य दिवस या बैंक द्वारा मांग के अनुसार।
11 (a)	<p><u>बैठकों के दौरान सामान्य चाय/हाई टी/चाय और नाश्ता</u></p> <p>(i) वेंडर कार्यालय परिसर या बैंक द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान पर आयोजित बैठकों के दौरान सभी प्रतिभागियों को चाय और नाश्ता या सामान्य चाय या हाई टी परोसेगा।</p> <p>(ii) वेंडर बैंक द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर या तो चाय और नाश्ता परोसेगा या सामान्य चाय/हाई टी परोसेगा।</p> <p>(iii) वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक के दौरान चाय और नाश्ता या सामान्य चाय या हाई टी परोसने के लिए तैनात कर्मचारी सेवा के उच्च मानकों का पालन करते हैं और बैठक के दौरान किसी भी तरह से परेशानी/उपद्रव/बाधा पैदा नहीं करेंगे।</p> <p>(iv) बैठक पूरी होने के बाद एस्टेट, कप आदि को तुरंत सम्मेलन कक्ष/अधिकारी के केबिन से हटा दिया जाएगा।</p> <p>(v) बैठक के दौरान प्रतिभागियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा।</p>
11 (b)	<p><u>पेट्री सेवाएं- चाय/कॉफी/डेस्क/केबिन में पानी</u></p> <p>(i) वेंडर बैंक द्वारा दैनिक आधार पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए केबिन/डेस्क पर चाय/कॉफी/पानी परोसेगा।</p> <p>(ii) चाय/कॉफी में ग्रीन टी, लेमन टी, मसाला-अदरक चाय, कॉफी, आदि या चाय/कॉफी पेय पदार्थों का कोई अन्य प्रकार शामिल होगा जो बैंक द्वारा निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>(iii) बैंक द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चाय/कॉफी दिन में कम से कम दो बार/प्रत्येक आधे हिस्से में परोसी जाएगी।</p> <p>(iv) अधिकारी के केबिन/डेस्क में चाय/कॉफी/पानी आदेश के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>(v) वेंडर पेट्री, क्रॉकरी आइटम (जैसे) के रखरखाव, सफाई आदि के लिए जिम्मेदार होगा। कप, ग्लास आदि।</p>
	को कार्य करते हैं। चाय/कॉफी परोसने के लिए बैंक में कार्य के घंटे आम तौर पर सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक होंगे।
8.	वेंडर को आवश्यकता पड़ने पर विशेष लंच / सामान्य चाय / हाई टी परोसना होगा जिसके लिए बैंक द्वारा पूर्व सूचना दी जाएगी।
9.	अधिकारियों को बोन चाइना कप में चाय/कॉफी/पेय पदार्थ परोसे जाएंगे जो बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
10.	वेंडर स्टाफ के सदस्य दैनिक आधार पर ऑफिसर्स लाउंज और स्टाफ कैंटीन, ऑफिसर/आरडी पेट्री/बैंकिंग लोकपाल पेट्री के किचन और डाइनिंग एरिया की सफाई करेंगे। वेंडर के कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखेंगे।
11.	वेंडर अधिकारी की चाय पेट्री और आरडी की चाय पेट्री के शुरू से अंत तक संचालन, रखरखाव और पर्यवेक्षण, ओएलडीआर/विशेष दोपहर के भोजन/स्टाफ कैंटीन के प्रबंध में बुनियादी दोपहर का भोजन प्रदान करने और सम्मेलन कक्षों, अधिकारियों के केबिन या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर विभिन्न बैठकों के दौरान नाश्ता/सामान्य चाय/हाई टी प्रदान करने और संबंधित परिसर में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को डेस्क पर चाय/कॉफी / पानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। कार्य दिवस या बैंक द्वारा मांग के अनुसार।
11 (a)	<p><u>बैठकों के दौरान सामान्य चाय/हाई टी/चाय और नाश्ता</u></p> <p>(i) वेंडर कार्यालय परिसर या बैंक द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान पर आयोजित बैठकों के दौरान सभी प्रतिभागियों को चाय और नाश्ता या सामान्य चाय या हाई टी परोसेगा।</p> <p>(ii) वेंडर बैंक द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर या तो चाय और नाश्ता परोसेगा या सामान्य चाय/हाई टी परोसेगा।</p> <p>(iii) वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक के दौरान चाय और नाश्ता या सामान्य चाय या हाई टी परोसने के लिए तैनात कर्मचारी सेवा के उच्च मानकों का पालन करते हैं और बैठक के दौरान किसी भी तरह से परेशानी/उपद्रव/बाधा पैदा नहीं करेंगे।</p> <p>(iv) बैठक पूरी होने के बाद एस्टेट, कप आदि को तुरंत सम्मेलन कक्ष/अधिकारी के केबिन से हटा दिया जाएगा।</p> <p>(v) बैठक के दौरान प्रतिभागियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा।</p>
11 (b)	<p><u>पेट्री सेवाएं- चाय/कॉफी/डेस्क/केबिन में पानी</u></p> <p>(i) वेंडर बैंक द्वारा दैनिक आधार पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए केबिन/डेस्क पर चाय/कॉफी/पानी परोसेगा।</p> <p>(ii) चाय/कॉफी में ग्रीन टी, लेमन टी, मसाला-अदरक चाय, कॉफी, आदि या चाय/कॉफी पेय पदार्थों का कोई अन्य प्रकार शामिल होगा जो बैंक द्वारा निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>(iii) बैंक द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चाय/कॉफी दिन में कम से कम दो बार/प्रत्येक आधे हिस्से में परोसी जाएगी।</p> <p>(iv) अधिकारी के केबिन/डेस्क में चाय/कॉफी/पानी आदेश के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>(v) वेंडर पेट्री, क्रॉकरी आइटम (जैसे) के रखरखाव, सफाई आदि के लिए जिम्मेदार होगा। कप, ग्लास आदि।</p>

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	(vi) वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि इस्तेमाल किए गए कपों को उसके कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों के डेस्क से तुरंत हटा दिया जाए।
12.	वेंडर अपने कार्यबल (इस उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) के लिए अपनी लागत पर चिकित्सा जांच करवाएगा और इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य कार्य शुरू करने से पहले बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।
13.	वेंडर को उन अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करनी होती हैं जो ओएलडीआर में अपना दोपहर का भोजन स्वयं लाते हैं, जैसे कि उनकी मेज पर प्रदान की गई क्रॉकरी/कटलरी की सफाई की व्यवस्था करना, पानी की बोतल भरना और पीने का पानी उपलब्ध कराना आदि। वेंडर को अधिकारियों के डेस्क पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी होती है। वेंडर को आवश्यकता पड़ने पर विशेष लंच / सामान्य चाय / उच्च चाय (टाइप ए और बी) परोसनी होगी, जिसके लिए बैंक द्वारा पूर्व जानकारी दी जाएगी।
14.	बैंक वेंडर को देय राशि से स्रोत पर कर और समय-समय पर लागू अन्य सभी करों, शुल्कों की कटौती करेगा।
15.	वेंडर के साथ व्यवस्था उसके दिवालिया होने की स्थिति में समाप्त हो जाएगी।
16.	वेंडर बैंक के सभी कार्य दिवसों पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। खराब / खराब सेवा की स्थिति में, बैंक दो महीने के नोटिस पर वेंडर के साथ व्यवस्था को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
17.	बैंक बिना कोई कारण बताए दो महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
18.	वेंडर आरबीआई, भुवनेश्वर के परिसर में तैनात किए जाने वाले अपने कर्मचारियों की हालिया तस्वीर के साथ नाम, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए तैनात वेंडर के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, यह पहचान पत्र जारी करेगा जिसमें उनकी तस्वीरें/पहचान आदि शामिल हों और ऐसे कर्मचारी बैंक के परिसर में अपनी उपस्थिति के दौरान हर समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।
19.	वेंडर के पास अपने कार्यबल का पुलिस सत्यापन करने की एक प्रक्रिया होगी (इस उद्देश्य के लिए तैनात किया जाना है) और वह अपने आचरण/अनियमित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में कार्य शुरू होने या नई मैनपॉवर की नियुक्ति के एक महीने के भीतर एचआरएमडी, भुवनेश्वर को प्रस्तुत की जाएगी।
20.	ऊपर उल्लिखित सेवाओं के लिए वेंडर द्वारा तैनात व्यक्ति सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए वेंडर के कर्मचारी होंगे और इस तरह से तैनात व्यक्ति वेंडर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे और किसी भी स्थिति में, उक्त व्यक्तियों और आरबीआई के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होगा। भुवनेश्वर परोक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से उपार्जित/उत्पन्न होगा। यह सुनिश्चित करना वेंडर की जिम्मेदारी होगी कि इस संबंध में किसी भी तरह से आरबीआई, भुवनेश्वर पर कोई दायित्व नहीं होना चाहिए। वेंडर तैनात व्यक्तियों से इसे समझने की घोषणा प्राप्त करेगा और यह भी वचन देगा कि वे आरबीआई, भुवनेश्वर के विरुद्ध ऐसा कोई दावा नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, और बैंक को घोषणा और वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे।
21.	यदि वेंडर द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई भी व्यक्ति वेंडर द्वारा व्यक्त, निहित या स्पष्ट

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	रूप से दक्षता के निशान तक नहीं आता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त है, तो वेंडर ऐसे व्यक्तियों (व्यक्तियों) को तुरंत वापस ले लेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों (व्यक्तियों) के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेगा। इस संबंध में भुवनेश्वर की ओर से कहा गया है। इसके अलावा, वेंडर आरबीआई, भुवनेश्वर की किसी भी मांग के बिना भी ऐसे व्यक्तियों को तुरंत बदल देगा।
22.	वेंडर किसी भी कार्य या चूक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और उसे ठीक करेगा, अपनी ओर से या बैंक के लोगों और/या संपत्ति के लिए अपने कर्मचारियों/एजेंटों की ओर से।
23.	वेंडर द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी वेंडर के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन और/या आरबीआई, भुवनेश्वर द्वारा तैनात श्रमिकों की विफलता या लापरवाही के कारण या वेंडर द्वारा करार के उल्लंघन की स्थिति में हानि/क्षति, यदि कोई हो, का उपयोग किया जाएगा।
24.	वेंडर मजदूरी के भुगतान और मजदूरी के भुगतान और संबंधित प्राधिकारियों को आवधिक विवरणी प्रस्तुत करने से संबंधित कानूनों की आवश्यकताओं के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन करेगा या उनका अनुपालन करेगा। वेंडर न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी देय राशियों का भुगतान करेगा जो तैनात व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं और बैंक के परिसर में तैनात व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान पर मासिक अनुपालन प्रमाण पत्र (भुगतान किए गए मजदूरी के विवरण के साथ) प्रस्तुत करेंगे। वेंडर इस संविदा के तहत मैनपॉवर को महीने के दौरान कार्य दिवसों की वास्तविक संख्या के अनुसार भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर मजदूरी का भुगतान करेगा।
25.	वेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैनात व्यक्तियों को मजदूरी आदि का भुगतान करेगा और मांग पर आरबीआई, भुवनेश्वर को वेतन रजिस्टर/मस्टर रोल आदि की प्रतियां प्रस्तुत करेगा ताकि करार के तहत कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों को सभी असाधारण राशि का भुगतान किया जा सके। यह दायित्व वेंडर पर यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि वह ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार तैनात अपने कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। वेंडर को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों का अपनी लागत पर पालन करना होगा।
26.	वेंडर द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों सहित श्रम कानूनों के किसी भी उपबंध में चूक अथवा उल्लंघन करने की स्थिति में अथवा उक्त विनियमों और नियमों के उपबंधों के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत करने अथवा कोई विवरण प्रस्तुत करने या दाखिल करने में, जो भौतिक रूप से गलत है, वह किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक को एक राशि का भुगतान करेगा, जैसा कि दावा किया जा सकता है।
27.	वेंडर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का पालन करेगा; कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बच्चों का रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या क्रानून जो अपनी लागत पर लागू हो सकते हैं। वेंडर उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य सांविधिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आरबीआई, भुवनेश्वर को उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाली चूक, गलती, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों से क्षतिपूर्ति करेगा। वेंडर द्वारा इसके तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता के मामले में और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत, आरबीआई, भुवनेश्वर ऐसे किसी भी नुकसान या खर्च की वसूली करने का हकदार होगा, जिसे उसे ऐसे दावों के कारण भुगतना पड़ सकता है या करना पड़ सकता है, वेंडर से मांग, हानि या चोट, मासिक भुगतान और कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी का आह्वान।</p>
28.	<p>a) वेंडर "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013)" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, वेंडर द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और वेंडर शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।</p> <p>b) बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध वेंडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।</p> <p>c) वेंडर किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे वेंडर के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि वेंडर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।</p> <p>d) वेंडर अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>e) वेंडर अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो कार्य शुरू होने या मैनपॉवर में परिवर्तन के 7 दिनों के भीतर बैंक के परिसर में तैनात हैं।</p>
29.	वेंडर इस प्रकार तैनात अपने कर्मचारियों के किसी भी गैरकानूनी दंगे या अव्यवस्थित आचरण या कृत्यों को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतेंगे और शांति का संरक्षण और आरबीआई, भुवनेश्वर के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
30.	वेंडर संविदा की समाप्ति पर या संविदा की समाप्ति पर आरबीआई, भुवनेश्वर के परिसर से उसके द्वारा तैनात सभी श्रमिकों को हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आरबीआई, भुवनेश्वर में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान/बाधा/समस्या स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पैदा नहीं करेगा।
31.	वेंडर वेंडर द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में सभी दावों के लिए आरबीआई, भुवनेश्वर को

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	<p>क्षतिपूर्ति देगा। यदि इस प्रकार तैनात वेंडर का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में प्रवेश करता है, तो इसका विरोध करना वेंडर की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि आरबीआई, भुवनेश्वर को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामला लड़ना होता है, तो आरबीआई, भुवनेश्वर को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान वेंडर द्वारा मांग पर आरबीआई, भुवनेश्वर को अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि आरबीआई, भुवनेश्वर पर किसी भी संबंध में कोई वित्तीय या कोई अन्य दायित्व न आए और इस संबंध में आरबीआई, भुवनेश्वर को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।</p>
32.	<p>वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात व्यक्ति आरबीआई, भुवनेश्वर के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना किसी भी वस्तु/सामग्री को आरबीआई परिसर से बाहर नहीं ले जाएं।</p>
33.	<p>वेंडर और उसके कर्मचारी बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण, प्रकटीकरण, प्रकटीकरण या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करेंगे, जिसे यथोचित रूप से बैंक के लिए निजी या स्वामित्व माना जाएगा, जिसके जारी होने से बैंक को किसी भी तरह से नुकसान होने की उम्मीद की जा सकती है, जिसे वेंडर ने प्राप्त किया है, सिवाय इसके कि बैंक द्वारा प्राधिकृत या कानून द्वारा आवश्यक हो। वेंडर और उसके कर्मचारियों की ओर से यह दायित्व करार की अवधि के दौरान और करार की समाप्ति पर अनिश्चित काल तक लागू होगा।</p>

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया नोट करें कि निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ऊपर उल्लिखित अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

खंड VIII: वेंडर के लिए सामान्य निर्देश

परिचय

1. " भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु ई-निविदा के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से वेंडर से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के स्कैन और हस्ताक्षरित भाग। को मूल्य बोली के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना है।
2. कोई भी निविदाकर्ता 12 मार्च, 2026 को दोपहर 12:00 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में निविदा के लिए बोली नहीं लगा पाएगा।
3. निविदा का भाग-। **12 मार्च, 2026, 01 पर: 00 बजे** मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में खोला जाएगा। **भाग- II** को **भाग-I** दैरान अपलोड किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद बैंक द्वारा निर्णय के अनुसार खोला जाएगा।

निविदा की तैयारी

4. ई-निविदा दो भागों में ऑनलाइन तैयार और जमा की जाएगी, अर्थात्, भाग I (तकनीकी बोली) और भाग II (वित्तीय बोली)।
5. प्रत्येक निविदा दस्तावेज को निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित माना जाना चाहिए और संविदा की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों, विशेष शर्तों आदि से खुद को परिचित करने के बाद लिया जाना चाहिए।
6. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने और संविदा के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और निविदा की आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए और कार्य स्पल का निरीक्षण करना चाहिए और सभी स्थानीय परिस्थितियों से खुद को परिचित करना चाहिए, कार्य तक पहुंच के साधन, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामले।
8. दोपहर का भोजन/चाय/कॉफी का समय

- a) दोपहर के भोजन का समय दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक हो सकता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में दोपहर के भोजन का समय बढ़ाया जा सकता है। वेंडर बैंक के (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

अधिकारियों को कार्यालय समय के दौरान, सभी कार्य दिवसों पर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य दिन पर उनके डेस्क/टेबल पर परोसी जा रही चाय/कॉफी की व्यवस्था करेगा। वेंडर जहां भी आवश्यक हो, चाय/कॉफी सेवाओं की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा, उन्हें समय-समय पर विशिष्ट विभाग द्वारा वांछित अन्य सभी कर्मचारियों को चाय/कॉफी भी परोसनी होती है, जिसके लिए उन्हें एक रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। हालांकि, यदि बैंक द्वारा आवश्यक है, तो कार्यालय समय के बाद भी सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

- b) वेंडर जब भी आवश्यक हो, विशेष लंच / सामान्य चाय / उच्च चाय (टाइप ए / बी) परोसेगा जिसके लिए बैंक द्वारा पूर्व सूचना दी जाएगी और इसके लिए शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। बिल को मासिक आधार पर मंजूरी दी जाएगी।

9. बैंक द्वारा प्रदान किया गया बुनियादी ढांचा।

- a) खाना पकाने के बर्तन और पानी के साथ रसोई
- b) टेबल, कुर्सियों, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, बैन-मैरी आदि के साथ भोजन क्षेत्र
- c) विद्युत उपकरणों आदि के लिए बिजली कनेक्शन/प्वाइंट

10. वेंडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री/सेवा

- a) विभिन्न बैठकों, दोपहर के भोजन आदि के लिए खाद्य सामग्री, रसोई गैस सिलेंडर (वाणिज्यिक), गैस स्टोव, क्लॉथ नैपकिन (ठीक से स्टार्च किए गए) और पेपर नैपकिन (अच्छी गुणवत्ता) और परिवहन की लागत वेंडर द्वारा वहन की जाएगी। बैंक के परिसर में मिट्टी तेल का उपयोग निषिद्ध है।
- b) दोपहर के भोजन के कार्यक्रमों और बैठक के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले टेबल क्लॉथ और उचित व्यवस्था वेंडर द्वारा की जाएगी, इसका रखरखाव भी वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा।
- c) क्रॉकरी/रसोई/भोजन/पेंट्री के लिए सफाई सामग्री।
- d) ओएलडीआर, टी पेंट्री और स्टाफ कैंटीन में तैनात स्टाफ सदस्यों के लिए यूनिफार्म, दस्ताने, हेड कैप और फेस मास्क।
- e) वेंडर को उन अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करनी होती हैं जो ओएलडीआर में अपना दोपहर का भोजन स्वयं लाते हैं, जैसे कि उनकी मेज पर प्रदान की गई क्रॉकरी/कटलरी की सफाई की व्यवस्था करना और पीने का पानी उपलब्ध कराना आदि। वेंडर को प्रत्येक मंजिल पर स्थापित वाटर प्यूरीफायर/डिस्पेंसर से पानी के साथ जग भरने और फिर से भरने की आवश्यकता होगी, फ्लोर लेवल पेंट्री बॉयज़ के माध्यम से विभिन्न मंजिलों पर बैंक के अधिकारियों को उनके डेस्क पर देनी होगी।

नोट: बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी दरों का उल्लेख करते समय बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/बुनियादी ढांचे पर विचार करें।

11. क्रॉकरी/कटलरी

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(a) स्टाफ कैंटीन को छोड़कर सभी क्रॉकरी और कटलरी आदि बैंक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसका रखरखाव वेंडर द्वारा किया जाएगा। एजेंसी कॉफी/चाय/नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात का खाना तैयार करने और परोसने के लिए उपयोग की जाने वाली कटलरी, क्रॉकरी और अन्य बर्टनों की सफाई और धुलाई के लिए जिम्मेदार होगी। एजेंसी खाद्य सेवा में उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगी। टूटी हुई/चिपकी हुई और दागदार प्लेटें/कटोरे/कटलरी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जन्म।

(b) यह वेंडर का कर्तव्य है कि वह बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रॉकरी/कटलरी/विभिन्न गैजेट्स आदि को ठीक से संभाले। ऐसी वस्तुओं का सत्यापन बैंक द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है और यदि कोई वस्तु गायब/टूटी हुई या खराब स्थिति में पाई जाती है, तो वास्तविक मूल्य पर वसूली की जाएगी और इसे मासिक बिल से वसूल किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

(c) बैंक द्वारा नामित अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना लाउंज/कैंटीन से कोई वस्तु नहीं निकाली जाएगी। आम तौर पर लाउंज के नामित अधिकारी के अनुमोदन के बिना और इन्वेंट्री के स्टॉक रजिस्टर में वैध प्रविष्टि किए बिना किसी भी इन्वेंट्री को एक कमरे/स्थान से दूसरे कमरे में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(d) वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि बंद होने से पहले हर दिन रसोईघर/डाइनिंग हॉल/पेंट्री क्षेत्र और सभी क्रॉकरी/कटलरी को ठीक से साफ कर रखा जाए।

(e) लाउंज सुपरवाइजर/एएम (ओएलडीआर) टूटने पर नजर रखने के लिए एक ब्रेकेज रजिस्टर बनाए रखेगा। यह रजिस्टर AM (OLDR) की व्यक्तिगत हिरासत में रहेगा। वह टूट-फूट, यदि कोई हो, को प्रमाणित करेगा और इसकी रिपोर्ट डीजीएम/एजीएम (प्रशासन)/एजीएम (कार्मिक) को प्रस्तुत करेगा।

(f) बैंक द्वारा आपूर्ति की गई क्रॉकरी/कटलरी के टूटने की स्थिति में, संबंधित मदों की कीमत पर जुर्माना लगाया जाएगा जब क्रॉकरी/कटलरी की कुल संख्या के 5% की सहिष्णुता सीमा का उल्लंघन एक तिमाही में किया जाता है।

उदाहरण: बैंक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली क्रॉकरी/कटलरी की कुल संख्या = 100

एक तिमाही के दौरान टूटना = 6 नग। (मान लीजिए 02 कप, 03 प्लेट और एक गिलास) जो सहनशीलता सीमा से अधिक है।

06 से अधिक की टूट पर जुर्माना लगाया जाएगा।

मेनू

(a) वेंडर से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को उचित स्वच्छ स्थिति में अच्छी गुणवत्ता वाला शाकाहारी/मांसाहारी दोपहर का भोजन प्रदान करे। चाय/कॉफी/बेसिक लंच/स्पेशल लंच/नॉर्मल टी/हाई टी (टाइप ए/बी) मद संख्या के अनुसार परोसा जाएगा। वित्तीय बोली के हेडर-ए (अन्य घटक) में उल्लेख विवरण दिया गया है।

(b) दोपहर के भोजन में परोसे जाने वाले व्यंजन दोहराए नहीं जाएंगे। वस्तुओं को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि भोजन स्वादिष्ट हो। मेनू की कुल मात्रा अधिकारियों/कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त रहेगी। अधिशेष भोजन का निपटान किया जाएगा और अगले भोजन में उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह के लिए मेनू बैंक द्वारा पूर्व-अनुमोदित होना चाहिए।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

12. रसोई, डाइनिंग हॉल और पेंट्री - स्वच्छता और स्वच्छता

- (a) वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि भोजन/चाय केवल रसोई क्षेत्र में ही तैयार की जाए। स्वच्छता के उच्चतम मानकों, जिन्हें बैंक और बैंक के चिकित्सा सलाहकार द्वारा समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा, को बनाए रखा जाना चाहिए। खाद्य/चाय की मदों की असंतोषजनक/अस्वास्थ्यकर गुणवत्ता या प्रदान की गई सेवाओं आदि में चूक के मामले में, कटौती दंड के रूप में की जाएगी जैसा कि खंड-VIII के पैरा (16) में बताया गया है। रसोईघर बैंक की निरंतर निगरानी में होगा और किसी भी चूक को बैंक द्वारा गंभीरता से देखा जाएगा।
- (b) वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ताजा तैयार भोजन की आपूर्ति की जाए, और बचे हुए भोजन का हर दिन निपटान किया जाए। दिन के लिए पकाया गया भोजन अगले दिन नहीं परोसा जाना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर, कोई शिकायत प्राप्त होती है या लाउंज के प्रभारी या उसके नामित अधिकारियों/व्यक्तियों के ध्यान में आती है कि कैटरिंग एजेंसी इसका पालन नहीं कर रही है, तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया जाएगा जिसमें विफल रहने पर बैंक द्वारा माना गया जुर्माना लगाया जाएगा। खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली सब्जियां और मांसाहारी पदार्थ (मांस) ताजा और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। खराब होने वाली वस्तुओं की उचित देखभाल की जानी चाहिए, अर्थात् आवश्यकता के आधार पर दैनिक खरीद की जाएगी।
- (c) लाउंज और कैंटीन में रसोई क्षेत्र, भोजन कक्ष, वॉश बेसिन आदि को वेंडर द्वारा हर समय बहुत साफ और स्वच्छ तरीके से बनाए रखा जाएगा। **सफाई सामग्री की लागत वेंडर द्वारा वहन की जाएगी।**
- (d) किसी भी उपकरण की खराबी को असंतोषजनक सेवाओं के बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संविदा की समाप्ति/समाप्ति पर, एजेंसी सामान्य टूट-फूट को छोड़कर सभी इन्वेंट्री अच्छी कार्यशील स्थिति में बैंक को वापस कर देगी। कमी/गुम स्थान/चोरी के लिए, वस्तुओं की प्रतिस्थापन लागत अंतिम बिल से या बैंक गारंटी से वसूल की जाएगी।
- (e) वेंडर तैयार और परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के संबंध में सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनका अनुपालन करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा, जिसमें कच्चे माल और उसमें शामिल सामग्री शामिल है और भोजन की तैयारी, भंडारण, सेवा और बिक्री के संबंध में किसी भी लागू कानून के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वजन और माप अधिनियम और उसके तहत बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के प्रावधानों सहित, जिसमें उक्त संविदा के तहत सभी उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। वेंडर बैंक को पूरे संविदा अवधि के दौरान भोजन के रूप में प्रदान किए गए किसी भी खराब, बासी या दोषपूर्ण भोजन या सामग्री से उत्पन्न होने वाले संक्रमण, खाद्य विषाक्तता या बीमारी के किसी भी दावे से और उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति रखेगा।
- (f) वेंडर अपशिष्ट भोजन का उचित निपटान सुनिश्चित करेगा।

13. कैटरिंग कर्मचारी

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

- (a) कार्यालय में और कार्यालय के बाहर बैंकों, सम्मेलनों आदि के लिए एजेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार केटरिंग सहायता भी प्रदान की जाएगी। बैंक किसी भी तरह से रसोईघर के रोजगार/सगाई की शर्तों के साथ-साथ वेंडर द्वारा नियोजित सेवा कर्मचारियों या किसी भी श्रम कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (b) कर्मचारियों को विनम्र, सुव्यवस्थित और चौकस होने के अलावा नेम प्लेट वाली साफ-सुधरी यूनिफार्म पहनी जाएगी। उन्हें व्यापार की मूल बातें अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए और टेबल सेवा का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। रसोई के कर्मचारियों द्वारा सफेद एप्रन और टोपी पहननी चाहिए। सेवारत कर्मचारियों को यूनिफार्म के साथ हाथ के दस्ताने, टोपी और औपचारिक जूते पहनने चाहिए।
- (c) वेंडर द्वारा नियोजित कर्मचारी/कामगार हमेशा वेंडर के प्रत्यक्ष और अनन्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे और इसके कर्मचारियों का कोई भी प्रतिस्थापन बैंक द्वारा नामित अधिकारी के परामर्श से किया जाना चाहिए। हालांकि, बैंक किसी भी कर्मचारी/कर्मचारी को बदलने की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि आवश्यक हो। किसी भी कार्मिक द्वारा ली गई छुट्टी के मामले में, यह वेंडर की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने स्थान पर निर्बाध सेवा/स्थानापन्न व्यवस्था सुनिश्चित करे। वेंडर को कार्यकों में बार-बार परिवर्तन से बचना होगा।
- (d) वेंडर को कार्य संभालने के एक महीने के भीतर किसी भी सरकारी अस्पताल से किए गए वाष्क चिकित्सा जांच और कार्यरत कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन और प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होती है, जिसमें विफल रहने पर बैंक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

14. बीमा

- (a) सफल वेंडर "संपूर्ण संविदा अवधि के लिए पूर्ण संविदा मूल्य के लिए सभी जोखिम नीति" और साइट पर तैनात सभी श्रमिकों के लिए "कामगार मुआवजा नीति" और तृतीय पक्ष देयता नीति (व्यक्तियों को चोट के लिए - प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना 2 लाख रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए - प्रति दुर्घटना 5 लाख रुपये) नियोक्ता अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक और वेंडर के संयुक्त नाम पर लेगा नीति में पहले स्थान पर रखा गया है, एक वर्ष के लिए कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से नवीनीकृत किया जाना है यदि बैंक द्वारा संविदा का नवीनीकरण किया जाता है।
- (b) वेंडर संविदा की अवधि के दौरान व्यक्ति या भवन या किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। यदि वेंडर इन पॉलिसियों को नहीं लेता है, तो बैंक वेंडर से अपने विवेक पर दंड के साथ नुकसान या क्षति की लागत की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीमा पॉलिसी की प्रति संविदा प्रदान करने के एक महीने के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी होती है, जिसमें विफल रहने पर, बैंक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (c) बैंक वेंडर या उसके किसी भी कर्मचारी को किसी भी चोट, दुर्घटना, विकलांगता या जीवन की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो छ्यूटी पर या अन्यथा हो सकता है। इस तरह की चोट, दुर्घटना (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

या जीवन के नुकसान के उपचार के लिए कोई भी मुआवजा या व्यय वेंडर की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। वेंडर को स्वास्थ बीमा, दुर्घटना और विकलांगता कवरेज और उनके द्वारा लगाए गए सभी कर्मियों के घरेलू उपचार के लिए अपनी व्यवस्था करनी होती है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।

15. शिकायतें/सुझाव

वेंडर अधिकारियों/अतिथियों से सेवाओं के कार्य-निष्पादन पर किसी भी सुझाव/शिकायत को दर्ज करने के लिए बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुझाव/शिकायत पुस्तिका रखेगा और अपनी यात्रा के दौरान बैंक या उसके प्रतिनिधियों को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई है और उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए किए गए उपाय किए गए हैं। वेंडर सभी शिकायतों पर ध्यान देगा और बैंक की संतुष्टि के लिए जितनी जल्दी हो सके उनका समाधान करेगा।

16. दंड

(a) बैंक द्वारा तय की गई दर अनुसूची में विनिर्देश के अनुसार ओएलडीआर में सेवा और गुणवत्ता के साथ-साथ चाय/कॉफी/सामान्य चाय/हाई टी (टाइप ए/बी)/बेसिक लंच/स्पेशल लंच/और अन्य मदों की मात्रा में कोई कमी/अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। भोजन/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद के असंतोषजनक होने की स्थिति में, अंतिम अधिकार क्षेत्रीय निदेशक के पास होगा और वेंडर निर्णय का पालन करेगा।

[

(b) किसी भी उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है, वेंडर को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उचित नोटिस और अवसर देने के बाद। इसके अलावा, वेंडर द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक बिल से जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

क्र.सं.	कमी/अनियमितता का प्रकार	वर्ष में पहली बार	वर्ष में 2-5 बार	वर्ष में 5 बार से अधिक
1.	गैर-आपूर्ति, अपर्याप्त/खराब गुणवत्ता वाले भोजन/कच्चे माल/निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में परोसे जाने वाले भोजन या वजन/मिनरल वाटर की बोतलें/जहां भी लागू हो, मेनू रेट कार्ड का कार्य-निष्पादन न करना।	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
2.	श्रमिकों द्वारा यूनिफार्म न पहनना/गांदी यूनिफार्म/पेंट्री क्षेत्र के अंदर सिलेंडर रखना	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

		रूप में जो बैंक उचित समझे।	रूप में जो बैंक उचित समझे।	रूप में जो बैंक उचित समझे।
3.	बैंक की सूचना और अनुमोदन के बिना कर्मचारियों का परिवर्तन/बैंक के कर्मचारियों के साथ अपमानजनक भाषा या व्यवहार का प्रयोग करना जो उनके लिए अपमानजनक हो।	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
4.	इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मजदूरी का भुगतान न करना या इस तरह के भुगतान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करना	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
5.	सांविधिक और अन्य रजिस्टरों/दस्तावेजों का रखरखाव न करना या बैंक द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना/मजदूरी के भुगतान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करना।	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
6.	करार में निर्धारित मैनपॉवर से कम तैनात की गई	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
7.	केंद्र सरकार के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है/निषेध का पालन न करना/केंद्र/राज्य सरकार के कानूनों का पालन न करना।	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
8.	मजदूरी भुगतान (प्रक्रिया) नियम, 1937 के साथ पठित मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की खंड 5 में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ओएलडीआर, स्टाफ कैटीन	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	और बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों को भुगतान न किया गया।			
9.	<p>.....का गैर-प्रावधान :</p> <p>(i) चाय/कॉफी/सामान्य चाय/उच्च चाय (टाइप ए और बी)/बेसिक लंच/स्पेशल लंच/अल-ए-कार्ट आइटम, जैसा कि दैनिक आधार पर बैंक द्वारा आवश्यकता/इंडेंट किए गए अधिकारी लाउंज (ओएलडीआर) में अनुलग्नक-X के पैरा (1) से (7) (मद संख्या - ए से क्यू में उल्लेख है।</p> <p>तथा</p> <p>(ii) स्टाफ कैंटीन में दैनिक आधार पर नाश्ता/दोपहर का भोजन/दोपहर का नाश्ता मेनू जैसा कि <u>अनुलग्नक-XIII</u> के पैरा-क से ग में दिया गया है।</p>	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
10.	कोई अन्य कमी/अनियमितता जो संविदा की प्रकृति/कार्यक्षेत्र को देखते हुए प्रासंगिक हो	प्रत्येक बार ₹2000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹3000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।	प्रत्येक बार ₹5000/- और अन्य कार्रवाई के रूप में जो बैंक उचित समझे।
11.	मासिक बिलों का देर से प्रस्तुत करना	वेंडर अगले महीने के दसवें दिन के भीतर बिल जमा करेगा, ऐसा न करने पर बैंक बिल प्रस्तुत करने की देरी की अवधि के लिए प्रति दिन @ ₹500 जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।		
12.	बैंक द्वारा आपूर्ति की गई क्रॉकरी/कटलरी का टूटना	संबंधित वस्तुओं की कीमत पर जुर्माना लगाया जाएगा जब क्रॉकरी/कटलरी की कुल संख्या के 5% की सहिष्णुता सीमा का उल्लंघन एक तिमाही में किया जाता है		

बैंक चाय/कॉफी, नाश्ता, दोपहर का भोजन, दोपहर का नाश्ता, सामान्य चाय, हाई टी (टाइप ए और बी), बेसिक लंच और परोसे जाने वाले विशेष दोपहर के भोजन, वेंडर द्वारा बैंक के कर्मचारियों के साथ तैनात मैनपॉवर द्वारा उनके लिए अपमानजनक तरीके से अपमानजनक भाषा या व्यवहार की औचक जांच के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करेगा, निर्धारित मात्रा अर्थात् 180 के मुकाबले चाय/कॉफी/काली चाय/ब्लैक कॉफी/नींबू चाय/ग्रीन टी आदि की मात्रा में विसंगति एमएल और खंड VII के पैरा 16 (बी) (एसएल संख्या 1 से 12) में समय-समय पर देखी गई कमी/अनियमितता।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

यदि एक तिमाही में तीन से अधिक अवसरों पर ऐसी किसी भी अनियमितता का पता चलता है, तो बैंक संविदा को समाप्त करने या ऐसे निविदाकर्ता को काली सूची में डालने के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उन्हें निविदा दस्तावेज की खंड VII के पैरा 16 (बी) (एसएल संख्या 1 से 12) में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलती है ।

बैंक एजेंसी से अनुरोध प्राप्त करने के बाद ही जुर्माना माफ करने पर विचार कर सकता है और यह संतुष्ट है कि एजेंसी द्वारा उद्धृत कारण वास्तविक हैं और कार्यालय के प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही इसके नियंत्रण से बाहर पाए जाते हैं। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

17. **इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक बोली-पूर्व मीटिंग (ऑफ-लाइन मोड) 27 फरवरी, 2026 को दोपहर 12:00 बजे कॉन्फ्रेंस रूम, दूसरी मंजिल, बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। विधिवत भरे हुए निविदा दस्तावेज 12 मार्च, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक एमएसटीसी साइट पर अपलोड किए जाएंगे। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उपस्थित रहें और निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करें। वे किसी भी बिंदु/शर्तों/विनिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं को उपयुक्त सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर देंगे और इसलिए उन्हें अपनी तकनीकी बोली (भाग I) और वित्तीय बोली (भाग II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचना चाहिए। यदि अपेक्षित दस्तावेजों में से कोई भी गुम है या अपलोड नहीं किया गया है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है। बैठक का कार्यवृत्त हमारी वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।**

18. बोली लगाने वाले पक्ष के सक्षम व्यक्ति द्वारा अपलोड करने से पहले निविदा के भाग-। पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

बोली तैयार करना

19. भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर में केटरिंग सेवाएं (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन और चाय भंडार के संचालन के लिए निविदा की विस्तृत जांच की गई है।

20. निधारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी - भाग I तकनीकी बोली और भाग II वित्तीय बोली।

तकनीकी बोली: निविदा के भाग-। में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें (मूल्य बोली नहीं), निविदा का कवरिंग लेटर शामिल होगा।

- (i) बोलीकर्ता को विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट सभी विवरण भरने होंगे।
- (ii) ईएमडी तकनीकी बोली का हिस्सा होगा।
- (iii) निविदा प्रस्तुत करने से पहले सभी अनुलग्न भरे जाने चाहिए।

वित्तीय बोली: निविदा के भाग- II में कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन निविदाकर्ता की कीमत बोली केवल भाग II में दी गई है।

21. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

निविदा दस्तावेज में संशोधन

22. a) बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित बोलीकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के जवाब में, एक संशोधन/परिशिष्ट द्वारा निविदा को संशोधित कर सकता है।
b) ऐसा कोई भी संशोधन एमएसटीसी/आरबीआई वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा। जारी किए गए परिशिष्ट (ओं)/शुद्धिपत्र (ओं) निविदा दस्तावेजों का हिस्सा होंगे।
23. ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी बोलीकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

24. नियोक्ता का अधिकार

- (a) भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
- (b) बैंक पात्रता मानदंड की जांच के दौरान किसी भी निविदा आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह बैंक का विवेकाधिकार होगा कि वह किसी भी/सभी भाग-। निविदाकर्ताओं को भाग-॥ में भाग लेने की अनुमति दे/अस्वीकार करे।
25. **बयाना राशि जमा: निविदाकार केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के पक्ष में एनईएफटी क्रेडिट द्वारा ₹ 1,76,000/- (एक लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र) की राशि बयाना राशि जमा के रूप में भुगतान करेंगे।**
26. ईएमडी को प्रेषित करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में ईएमडी को बैंक की सावधि जमा, डिमांड ड्राफ्ट या चेक आदि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
27. इस संविदा की शर्तों के तहत वेंडर द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को देय बिल राशि/सुरक्षा जमा से काटा जा सकता है।
28. बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता निम्नलिखित के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।

मसौदा करार। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे इस तरह के (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

औपचारिक करार को बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।

29. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

संविदा प्रदान करने पर, केवल सफल निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रोफार्मा के अनुसार किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से संविदा राशि के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा (जो स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)। इस गारंटी को प्रस्तुत करने में विफलता या वेंडर की ओर से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता को उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और संविदा को रद्द किया जा सकता है और इसके द्वारा प्रस्तुत ₹ 1,76,000/- (एक लाख छिह्तर हजार रुपये मात्र) की ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

30. निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत पीबीजी शुरू में निविदा अवधि की अवधि के लिए वैध रहेगा और निविदा अवधि के विस्तार के मामले में कार्य के अंतिम समापन तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा। इस पीबीजी को समय-समय पर पुनः सत्यापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कार्य पूरा होने की तारीख तक वैध और पूर्ण रूप से लागू रहे। यदि सफल निविदाकर्ता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने में विफल रहता है तो पीबीजी को रद्द/भुनाया जाएगा और बैंक को जब्त कर लिया जाएगा।

31. दायित्व - सफल बोलीकर्ता/वेंडर करेगा:

- (a) यह सुनिश्चित करना कि वह केवल वयस्क, प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों को तैनात करता है जो शारीरिक रूप से फिट हैं और किसी भी पुरानी या संक्रामक बीमारियों से पीड़ित नहीं हैं और बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।
- (b) ऐसे उपकरणों के लिए जिम्मेदार बनें और उनकी लागत वहन करने की व्यवस्था करें जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यक सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए आवश्यक समझता है।
- (c) केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार बैंक खातों के माध्यम से वेतन के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होना और उन व्यक्तियों को अन्य कानूनी देय राशि जो इस निविदा के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित हैं।
- (d) साफ-सुधरे, पूर्ण और सुपाठ्य रजिस्टर, रिकॉर्ड, रिपोर्ट और रिटर्न बनाए रखें जो अल्प सूचना पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (e) उसके द्वारा नियोजित अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में आवश्यकतानुसार जानकारी प्रदान करना ताकि बैंक पीएफ, ईएसआई, नियमों आदि के अनुपालन की निगरानी कर सके
- (f) सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से बीमा किया गया है, जिसके

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक इस संविदा के निष्पादन के एक भाग के रूप में व्यक्तियों को किसी भी क्षति/चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वेंडर किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति और उसके कारण किए गए किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार होगा।

- (g) सुनिश्चित करें कि उसके कर्मचारी, अपने दायित्वों का पालन करते समय, बैंक या उसके अधिकृत एजेंटों द्वारा निर्धारित स्वच्छता, शिष्टाचार, सुरक्षा, सुरक्षा, अच्छे व्यवहार और सामान्य अनुशासन के मानकों का पालन करते हैं और बैंक इस बात का एकमात्र च्यायाधीश होगा कि वेंडर और/या उसके कर्मचारियों ने इसका पालन किया है या नहीं।
- (h) सुनिश्चित करें कि वेंडर का कोई भी कर्मचारी निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक बैंक के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा या रहेगा जब तक कि वेंडर के दायित्वों को पूरा करने के लिए और कार्यवाहक / सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति के साथ बिल्कुल आवश्यक न हो।
- (i) बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भी हिस्से या उसके किसी भी फिक्स्चर या बैंक की किसी भी संपत्ति के लिए और उसमें वेंडर या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कार्य, चूक, चूक या लापरवाही से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी हो।
- (j) अपने कर्मचारियों या एजेंटों को बैंक के कर्मचारियों से अलग अलग यूनिफार्म प्रदान करें। यूनिफार्म में वेंडर की फर्म/कंपनी का लोगो होना चाहिए और इसे साफ-सुधरा और पहनने योग्य स्थिति में रखा जाना चाहिए।

32. **बैंक नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है** - किसी भी कारण से संविदा की समाप्ति की स्थिति में, वेंडर/या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति, या उसके एजेंट मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

33. **निविदाकर्ता को निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:**

- (a) निविदाकर्ता को सामान्य और विशेष शर्तों, विनिर्देशों, अनुसूचियों और दायरे सहित कार्य और साइट की स्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने वाला माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने कार्य स्थल का दौरा किया है और स्थानीय परिस्थितियों के बारे में खुद को पूरी तरह से सूचित किया है और निविदा में उद्धृत दरों पर पहुंचने के लिए अपनी जांच की है। इस संबंध में उसे विभाग के पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी दी जाएगी लेकिन इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।
- (b) यदि निविदाकर्ता को सामान्य शर्तों के किसी भी हिस्से के अर्थ के बारे में कोई संदेह होगा, या विशेष शर्तों, या कार्य के दायरे या विनिर्देशों या संविदा से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में, वह अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले, उसके विवरण को सामने रखेगा और उन्हें लिखित रूप में बैंक को प्रस्तुत करेगा ताकि निविदा से पहले इस तरह के संदेहों को लिखित रूप में आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जा सके। एक बार निविदा प्रस्तुत हो जाने के बाद, इस प्रकार के प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में मामले पर निविदा शर्तों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

34. **श्रम कानून**

- (a) वेंडर को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, नियोक्ता देयता (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

अधिनियम, 1938 के प्रावधानों का पालन करना होगा। (ख) सरकार ने कामगार प्रतिकर अधिनियम, 1923, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 अथवा उसमें कोई संशोधन अथवा तत्संबंधी कोई अन्य कानून तथा समय-समय पर उसके अंतर्गत बनाए गए नियम शामिल हैं।

- (b) सफल निविदाकर्ता को न्यूनतम मजदूरी और संविदा श्रम अधिनियम का पालन करना होगा और इस अधिनियम के अनुसार अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। मौजूदा कानून के अनुसार इसका उचित रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। कार्य के लिए तैनात कर्मचारियों/श्रमिकों को **सीएलसी/ठेका श्रम अधिनियम 1970** के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम मजदूरी **और अन्य सुविधा का भुगतान किया जाएगा।**
- (c) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भुवनेश्वर के कार्यालयों के पास इस संविदा के तहत श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का अधिकार क्षेत्र होगा।
- (d) वेंडर को सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा, जैसा कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की खंड 12 (1) के तहत प्रदान किया गया है, जिसे खंड 21 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और उपर्युक्त अधिनियम या किसी अन्य कानून की अन्य आवश्यकताओं का भी पालन करना होगा, ऐसा न करने पर वह अकेले ही कार्यों/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को वेंडर के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से वेंडर द्वारा लगाए गए मजदूरों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।
- (e) वेंडर ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970/ठेका श्रम (आर एंड ए) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम 1950 और प्रासंगिक श्रम और सामान्य कानूनों/नियमों और अधिसूचनाओं के तहत अपेक्षित सभी दस्तावेजों, रजिस्टरों और अभिलेखों को बनाए रखेगा और इसे बैंक या उसके अधिकारियों और श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा संबंधित कानूनों/नियमों के तहत ऐसी शक्तियों से सम्मानित किया गया है।
- (f) वेंडर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अपनी अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की दरों में लागू किए गए किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होगा और उक्त परिवर्तनों को लागू करेगा और तत्काल प्रभाव से तदनुसार अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करेगा।
- (g) वेंडर अपने कर्मचारियों पर लागू श्रम कानूनों की संपूर्ण सांविधिक शर्तों और आवश्यकताओं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, पीएफ का भुगतान, ईएसआई अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, आदि और सभी सरकारी देनदारियों के उचित अवलोकन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (h) वेंडर प्रचलित श्रम कानूनों और अन्य कानूनों/नियमों/विनियमों के अनुसार सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक, किसी भी तरह से वेंडर की ओर से किसी भी कार्य, चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में कोई दावा बैंक या उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध नहीं होगा।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

35. वेंडर/एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत वेंडर/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और वेंडर/एजेंसी निम्नलिखित के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी शिकायत।

बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध वेंडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

वेंडर किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे वेंडर के कर्मचारियों के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि वेंडर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

वेंडर अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

36. वेंडर को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए और संविदा अवधि की वैधता के दौरान वैध लाइसेंस, यदि कोई हो, जारी रखना चाहिए:

- (a) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970
 - (b) मजदूरी भुगतान अधिनियम 1956
 - (c) बच्चों का रोजगार अधिनियम 1923
 - (d) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
 - (e) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और उक्त अधिनियम के तहत बनाई गई योजना।
 - (f) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
 - छ) बोनस भुगतान अधिनियम 1965
- सहायक श्रम आयुक्त, नगर पालिका और अन्य स्थानीय एजेंसियों/निकायों से अपने खर्च पर, जो भी आवश्यक हो, आवश्यक लाइसेंस/मंजूरी आदि प्राप्त करें।

37. मजदूरी का भुगतान

वेंडर को अपने द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/कर्मकारों के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। वेंडर को एनईएफटी अधिदेश/पासबुक प्रतियां/क्रेडिट अलर्ट/प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना चाहिए कि, उसने वास्तव में अपने द्वारा लगाए गए सभी विवरणों के सभी श्रमिकों के सभी असाधारण का भुगतान उस दर पर कर दिया है, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है, लागू कानूनों के तहत कठौती, यदि कोई हो, और उसने संविदा श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है। एजेंसी उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को ओएलडीआर में केटरिंग सेवाओं और बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए अनुलग्नक-XI में वर्णित मजदूरी के भुगतान अधिनियम, 1936 की खंड 5 में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

मजदूरी भुगतान (प्रक्रिया) नियम 1937 के साथ भुगतान करेगी।

38. भुगतान की शर्तें:

- (a) उद्धृत दरें (सभी करों सहित) एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगी। संविदा की वैधता अवधि के दौरान दरों में वृद्धि के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। सांविधिक करों में कोई भी वृद्धि बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
- (b) भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। ओएलडीआर के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित जीएसटी का भुगतान बैंक द्वारा कैटरर को किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। टीडीएस, अधिभार और शिक्षा उपकर (जैसा लागू हो) और सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए किसी भी अन्य कर को आयकर अधिनियम के संदर्भ में स्रोत पर ही काटा जाएगा। बिल का एक अपेक्षित हिस्सा/बिल की पूरी राशि तब तक रुकी रहेगी जब तक कि ऐसा प्रमाण बैंक के विवेक पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
- (c) वेंडर तैनात व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ डुप्लिकेट में बिल उठाएगा और इसे अगले महीने के पहले सप्ताह में या उससे पहले एएम (ओएलडीआर डेस्क/नामित डेस्क) को जमा करेगा, लेकिन केवल विचार के महीने के दौरान सभी तैनात मैनपॉवर को वेतन/मजदूरी के वितरण के बाद ही-
 1. वर्तमान महीने चालान प्रतिलिपि।
 2. चालू माह परिचित (मजदूरी) सभी श्रमिकों के वेतन पर्ची / बैंक खाता विवरण के साथ व्यक्तिगत संविदा श्रमिकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रजिस्टर
 3. वर्तमान माह उपस्थिति रजिस्टर।
 4. समेकित विवरण के साथ चालू महीने ईएसआई प्रेषण चालान।
 5. चालू महीने ईपीएफ प्रेषण चालान, जैसा भी लागू हो, समेकित विवरण के साथ।
 6. दाखिल करने के 07 दिनों के भीतर श्रम आयुक्त, ईपीएफओ और ईएसआईसी को आवधिक रिटर्न जमा किया जाता है।
- (d) संविदा की अवधि के दौरान अन्य सभी शुल्क (सांविधिक शुल्कों के अलावा) तय रहेंगे।
- (e) वेंडर अनुलग्नक-X में उल्लेख बेसिक लंच (दैनिक आधार पर अधिकारियों के लाउंज में परोसे जाने वाले बुफे) का लाभ उठाने के लिए केवल अधिकारियों से सोडेक्सो/प्लक्सी कार्ड स्वीकार करेगा। वेंडर सोडेक्सो/प्लक्सी ईएमसी/कूपन (यदि लागू हो) के विरुद्ध राशि का दावा सीधे सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा। बैंक इस संबंध में किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (f) वेंडर चाय/कॉफी/बेसिक लंच/विशेष लंच/सामान्य चाय/हाई टी (टाइप ए/बी) की सेवा करेगा, जिसके लिए बैंक द्वारा पूर्व सूचना दी जाएगी और इसके लिए शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। बिल को मासिक आधार पर मंजूरी दी जाएगी।
- (g) बिल प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर बैंक द्वारा केवल एनईएफटी/आरटीजीएस चैनल के माध्यम से भुगतान जारी किया जाएगा, जो सभी प्रकार से पूर्ण होगा।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(h) वेंडर द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में किसी भी आपत्ति को भुगतान की तारीख से 10 दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

39. कर:

उद्धृत कीमतों में जीएसटी शामिल होगा, लेकिन यह माना जाएगा कि इसमें केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य सभी कर, स्थानीय शुल्क आदि शामिल हैं। यदि निविदाकर्ता ऐसे करों और शुल्कों को निविदा में शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

40. बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा:

वेंडर मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी हानियों और दावों, हजानि या मुआवजे के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा। वेंडर को मानक सुरक्षा प्रक्रिया और उपकरणों का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके किसी भी कर्मचारी को कोई चोट न लगे। इस खाते पर कोई भी दायित्व पूरी तरह से वेंडर का होगा।

41. संविदा के लिए करार:

बैंक से उसकी निविदाओं की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सफल वेंडर को इस संबंध में बैंक के साथ दो प्रतियों में एक करार करना होगा।

42. संविदा की समाप्ति:

(i) ऊपर उल्लिखित किसी भी विषय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार पर, किसी भी समय दो महीने का नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के लिखित सूचना द्वारा संविदा को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि:

- (a) बैंक की राय में (जो वेंडर द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और वेंडर पर बाध्यकारी होगा) वेंडर बैंक की संतुष्टि के लिए संविदा को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है और/या
- (b) वेंडर संविदा के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और/या
- (c) किसी भी कारण से, वेंडर संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए कानून में अयोग्य हो जाता है और/या
- (d) इस तरह के परिवर्तन के लिए बैंक के लिखित अनुमोदन के बिना वेंडर या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंध में कोई भिन्नता है।
- (e) वेंडर को दिवालिया घोषित किया जाता है।

(ii) वेंडर की मृत्यु की स्थिति में संविदा को समाप्त करने के लिए बैंक का अधिकार, यदि व्यक्ति:

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि वेंडर, एक व्यक्ति/एकमात्र मालिक होने के नाते, मर जाता है, तो बैंक के पास इस तरह की समाप्ति के

लिए कोई दायित्व उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

43. संविदा की समाप्ति की स्थिति में, किसी भी कारण से, वेंडर या उसके एजेंटों द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में बैंक से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

44. जोखिम और लागत :

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर किसी भी समय दो महीने का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं और वेंडर की लागत, जोखिम और जिम्मेदारियों पर किसी अन्य वेंडर को संविदा देने का अधिकार भी है और इसके कारण किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली बैंक द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी या लंबित बिल को लागू करके या एक अलग दावा करके की जाएगी।

45. मध्यस्थता:

यदि किसी भी समय, इस करार के निर्माण के बारे में या इस करार से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में या उक्त पक्षों के अधिकारों, देनदारियों और कर्तव्यों और बाध्यकारी के संबंध में पार्टियों के बीच कोई विवाद, अंतर या प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। यदि वेंडर ऐसी नियुक्ति के लिए सहमत नहीं होता है, तो दोनों पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और मध्यस्थ तब पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त करेगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी सांविधिक संशोधन के प्रावधान लागू होंगे, और मध्यस्थों/मध्यस्थों के पैनल के निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे। इसके अलावा, सभी विवाद, मतभेद या प्रश्न, यदि कोई हो, को भुवनेश्वर में उत्पन्न हुआ माना जाएगा।

46. स्टाम्प ऊँटी:

सफल वेंडर स्टाम्प पेपर पर एक द्विभाषी करार (हिंदी और अंग्रेजी) निष्पादित करेगा (स्टांप शुल्क वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा)। करार को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल प्रति को बनाए रखेगा और वेंडर डुप्लिकेट प्रति को बनाए रखेगा।

47. निविदाओं को प्रस्तुत करना, सील करना और चिह्नित करना

- इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं प्रस्तुत करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
- निविदाकार अपनी तकनीकी बोली के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।
- यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

48. निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- निविदाएं इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज में इंगित तारीख और समय के बाद नहीं।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

b) भारतीय रिजर्व बैंक, अपने विवेक पर, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके ई-निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

49. देर से निविदाएं:

ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद किसी भी निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

50. निविदा प्रारंभ करना

आरबीआई अधिसूचित तारीख पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा। निविदा का [भाग-1 \(तकनीकी बोली\)](#) उन निविदाकर्ताओं या निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चुनते हैं। [भाग-1 \(तकनीकी बोली\)](#) की संवीक्षा के बाद केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा का भाग-॥ (वित्तीय बोली) जो अर्हता/उपयुक्त पाए जाते हैं, बाद की तारीख को खोला जाएगा जिसे निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाएगी। निविदा दस्तावेज के खंड-V के पैरा 1.6 में उल्लिखित मूल्यांकन मानदंड के अनुसार एल1 बोलीकर्ता को कार्य प्रदान किया जाएगा, जो ऊपर निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन होगा। बैंक के पास संविदा को समाप्त करने और L2 (इसी तरह L3, L4) का चयन करने का एकमात्र अधिकार होगा, यदि L1 अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।

51. बोली मूल्यांकन मानदंड

तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन एमएसटीसी पर बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

बोली में वेंडर द्वारा उद्धृत दरें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सांविधिक भुगतानों जैसे न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई आदि के लिए निर्धारित प्रावधानों/संविधियों/अधिनियमों/नियमों और शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। निर्धारित दरों से कम उद्धृत दरों वाली निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। दरें सभी समावेशी होनी चाहिए।

यदि दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं की सबसे कम निविदा राशि समान है, तो ऐसे सबसे कम बोलीकर्ताओं को एक सीलबंद लिफाफे में उनकी पहले से उद्धृत निविदा राशि पर छूट का संदर्भ देते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई सबसे कम बोली लगाने वाला अपनी बोली को निचले हिस्से में संशोधित नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की प्रक्रिया के लिए मान्य रहेगी। सबसे कम निविदा संशोधित प्रस्ताव के आधार पर तय की जाएगी। यदि संशोधित प्रस्तावों में प्राप्त दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं की संशोधित निविदा राशि फिर से बराबर पाई जाती है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में उच्चतम वार्षिक कारोबार वाली फर्म को संविदा देने के लिए माना जाएगा।

(नोट: निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है।

52. निविदाओं का स्पष्टीकरण

a) निविदाकर्ताओं की परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और अर्हता में सहायता करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अपने विवेक से किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के संबंध में

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो आरबीआई के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करता है और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में आरबीआई द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा, निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव की मांग नहीं की जाएगी, पेशकश की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

b) यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई के अनुरोध में निर्धारित तारीख और समय तक अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

53. निविदाओं की स्वीकृति न होना:

भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

54. अमान्य निविदाएँ:

प्रथम दृष्ट्या जांच के बाद, यदि कोई वेंडर आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।

55. हस्ताक्षर की जाने वाली निविदाओं:

निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो संविदा की शर्तों आदि के साथ खुद को परिचित करने के टोकन में निर्धारित किया गया है और उसी की स्कैन की गई प्रति एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए। किसी भी दस्तावेज के साथ कोई भी निविदा इस तरह से हस्ताक्षरित नहीं की जाएगी।

56. निविदा पर हस्ताक्षर:

फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित संविदा के लिए फर्म की ओर से या किसी कंपनी के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, बैंक द्वारा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

57. फर्म कोटेशन - उद्धृत सेवा शुल्क दृढ़ होंगे और श्रम की शर्तों, विनियम भिन्नताओं या किसी अन्य शर्त के अधीन नहीं होंगे। वेंडर केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार उसके द्वारा नियोजित कार्यबल को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, इसलिए दर को तदनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए।

58. गोपनीयता/गोपनीयता खंड की आवश्यकता - वेंडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान वेंडर के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। वेंडर संविदा

के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। वेंडर बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। वेंडर किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को वेंडर की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हजारे का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। वेंडर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में वेंडर के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

59. संविदा करार पर हस्ताक्षर: निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और इससे पहले निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न संविदा की शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं को संदर्भित किया गया है, बैंक और निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए बाद के पत्राचार और उल्लिखित कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ दर्ज किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होंगे।

निविदाकर्ता इसके साथ संविदा की सामान्य शर्तों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के माध्यम से जाएगा और उसका प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप सख्ती से होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि वह संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि में खुद को परिचित कर चुका हो।

एक फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित संविदा के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

60. निषिद्ध प्रथाएं

बैंक के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, वेंडर संविदा/सगाई की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

(a) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:

(i) "भ्रष्ट प्रथा" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना, या याचना करना।

(ii) "धोखाधड़ी प्रथा" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बअर्थात् भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए।

(iii) "जबरदस्ती प्रथा" का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना।

(iv) "मिलीभगत प्रथा" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक अनुचित उद्देश्य को

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यवस्था, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है।

- (b) आवंटन के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि यह पाया जाता कि है कि आवंटन के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं को अपनाया है।
- (c) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं को अपनाया है।

61. अस्वीकरण

- (a) हालांकि इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार खुद को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को तुरंत दी जाएगी। यदि ई-निविदा आमंत्रण सूचना की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।
- (b) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सभी प्रारूपों और अनुलग्नक, यदि कोई हो, सहित इस दस्तावेज को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (c) हालांकि यह दस्तावेज अच्छे विश्वास के साथ तैयार किया गया है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके कर्मचारी या सलाहकार यहां उल्लिखित किसी भी बयान या चूक या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे, और किसी भी कानून के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे। इस दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में कानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और यदि उपर्युक्त संविदा मुझे/हमें सौंपा जाता है तो यह मुझे/हमारे लिए बाध्यकारी रहेगा। मैं/हम यह भी ध्यान देते हैं कि यह पत्र संविदा दस्तावेज का हिस्सा होगा और इस पत्र की सामग्री निविदा की शर्तों के पूरक होगी।

वेंडर के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक: _____

स्थान: _____

खंड - IX
बोलीकर्ता का विवरण
बुनियादी जानकारी

(आवेदक के लेटर हेड पर दिया जाना है)

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

संपर्क नंबर: _____

क्र. सं.	विवरण	बोलीकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1.	बोलीकर्ता का नाम / फर्म / संगठन / कंपनी	
2.	फर्म / संगठन का प्रकार (स्वामित्व / साझेदारी / निजी लिमिटेड आदि (साझेदारी विलेख / ज्ञापन / संस्था के अंतर्नियम आदि की प्रतियां प्रस्तुत करें) (कृपया प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें उसी के समर्थन में)	
3.	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम आईडी दस्तावेजों (पैन/आधार/अन्य दस्तावेजों) आदि सहित	
4.	निगमन/पंजीकरण का वर्ष	

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

5.	<p>पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि)</p> <ul style="list-style-type: none"> i. पंजीकरण प्राधिकरण ii. तारीख iii. संख्या <p>(पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें)</p>	
6.	फर्म का पंजीकृत पता	
7.	नाम, पदनाम, टेलीफोन संख्या, संपर्क व्यक्ति/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल।	
8.	<p>अनुभव प्रमाण पत्रः</p> <p>(सरकारी विभागों/सार्वजनिक/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के संस्थानों को लाउंज, स्टाफ कैंटीन और चाय पैट्री के प्रबंध में केटरिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करने में 5 वर्ष का अनुभव और पिछले लगातार 05 (पांच) वर्षों के लिए इसी तरह के कार्य करने चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से निम्नानुसार हैंः</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ₹35,20,000/- रुपये (अनुमानित लागत का 40%) से कम लागत वाले तीन समान पूर्ण किए गए कार्य या ii. ₹44,00,000/- रुपये (अनुमानित लागत का 50%) से कम लागत वाले दो समान पूर्ण किए गए कार्य या iii. इसी तरह का एक पूरा किया गया कार्य जिसकी लागत ₹70,40,000/- (अनुमानित लागत का 80%) से कम नहीं है। <p>(जो भी लागू हो उस पर टिक करें और ग्राहक के विवरण का उल्लेख करें)</p>	
9.	पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान फर्म का वार्षिक कारोबार। (लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करें)	

10.	<p>विभिन्न सांविधिक के तहत पंजीकरण संख्या अधिनियम जैसे जीएसटी, सेवा कर, ईपीएफ, ईएसआईसी, श्रम लाइसेंस (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी), एमएसई (यदि लागू हो)</p> <p>(a) जीएसटी</p> <p>(b) पीएफ</p> <p>(c) ईएसआईसी</p> <p>(d) श्रम लाइसेंस</p> <p>(e) पैन</p>	
11.	<p>क्या अनुमोदित वैंडर के रूप में किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र आदि के साथ पंजीकृत/सूचीबद्ध है और यदि हाँ, तो विवरण प्रस्तुत करें। (यदि हाँ, तो सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें)</p>	
12.	<p>क्या पहले किसी संगठन के साथ किसी मुकदमेबाजी में शामिल था? यदि हाँ, तो कृपया दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण प्रस्तुत करें।</p>	
13.	<p>निष्पादित कार्यों में से किसी में कोई सिविल मुकदमा लंबित है? यदि हाँ, तो दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण प्रस्तुत करें।</p>	
14.	<p>क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय में इसी तरह के संविदा को निष्पादित किया गया है</p> <p>(यदि हाँ, तो सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें)</p>	
15.	<p>क्या पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ₹ 88,00,000/- के बराबर या उससे अधिक मूल्य के समान अनुबंधों को निष्पादित किया गया है</p> <p>(यदि हाँ, तो लेखापरीक्षित बैलेस शीट और लाभ और हानि खाता विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करें)</p>	

16.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों - वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के आयकर रिटर्न (स्व-सत्यापित प्रति जमा की जानी है)।	
17.	चाहे किसी भी प्राधिकरण और/या ग्राहक द्वारा काली सूची में डाला गया हो। यदि हां, तो तत्संबंधी	
18.	क्या इसी तरह के व्यवसाय के संबंध में दंडित/दोषसिद्धि/गैर-संतोषजनक कार्य-निष्पादन। यदि हां, तो तत्संबंधी विवरणः	
19.	कोई अन्य जानकारी जो बोलीकर्ता प्रासंगिक महसूस करता है।	

नोट: दस्तावेजों की मूल राशि सत्यापन के लिए आवश्यक होगी।

(मुहर सहित फर्म और बोलीकर्ता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम)

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

खंड-X
बोलीकर्ता के बैंकर का विवरण: (वेंडर के लेटर हेड पर)

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	बैंक शाखा और पता	
3	संपर्क व्यक्ति का नाम और नौकरी का हेडर उसके संपर्क संख्या के साथ	
4	टेलीफोन और फैक्स संख्या	
5	खाता का प्रकार (चालू खाता होना चाहिए)	
6	खाता संख्या (चालू खाता होना चाहिए)	
7	आईएफएससी कोड (खाता संख्या, आईएफएससी आदि का विवरण प्रस्तुत करने वाला बैंक विवरण संलग्न किया जाएगा)	
8	क्या बैंक से वेंडर द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
9	वह अवधि जिस समय बोलीकर्ता ने बैंक के साथ बैंकिंग की	
10	खाताधारक पूरा नाम	
11	स्थायी खाता संख्या (पैन)	

मैं/हम इसके द्वारा सहमत हैं और कर्मचारियों के वेतन को ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में वितरित करने के लिए सहमत हैं और इसके अनुरूप हैं और उपरोक्त कार्यों के संबंध में भुगतान स्वीकार करते हैं, यदि हमारी फर्म/कंपनी को एनईएफटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और मुहर के साथ)

खंड - XIतकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें

कार्य की अनुमानित लागत वार्षिक ₹88 लाख

क्रम संख्या	विवरण	संविदा के नियम और शर्तें	बैंक की शर्तों की स्वीकृति (हाँ नहीं)
1	निविदा की वैधता	भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिन, वह अवधि जिसे बोलीकर्ता (ओं) के साथ करार पर बैंक द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है।	
2	ईएमडी	ईएमडी ₹1,76,000/- एनईएफटी का उपयोग करके भेजा जाएगा। ईएमडी को विवरण तकनीकी वाणिज्यिक बोली के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।	
3	भुगतान की शर्तें	भुगतान चालान प्रस्तुत करने के अधीन मासिक आधार पर किया जाएगा। बैंक के अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाने के बाद उस पर भुगतान किया जाएगा कि सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गई हैं और सभी सांविधिक देयकाओं/करों आदि में कटौती करने के बाद।	
4	कार्य का दायरा	निविदा की <u>खंड-VII</u> में विनिर्देशों के अनुसार	
5	दंड	जैसा कि निविदा की खंड-VIII <u>(खंड 16)</u> में निर्दिष्ट है	
6	कार्य प्रदान करने के बाद कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जानी है)	जैसा कि निविदा की खंड-VI <u>(खंड-3.11)</u> में निर्दिष्ट है	

स्थान
तारीखबोलीकर्ता के हस्ताक्षर
नाम:
बोलीकर्ता की मुहर

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

करार का मसौदा

यह करार भुवनेश्वर, ओडिशा में _____ के _____ दिन प्रथम पक्ष भारतीय रिजर्व बैंक, पं. जे.एन.मार्ग, भुवनेश्वर (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत निगमित एक सांविधिक निकाय और मुंबई में अपना केंद्रीय कार्यालय है) (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है) और द्वितीय पक्ष मैसर्स _____ (इसके बाद "वेंडर" कहा जाता है) जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, के बीच किया गया।

जबकि बैंक बारह महीने की अवधि के लिए यानी 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक "भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने "से संबंधित कार्य प्राप्त करने का इच्छुक है और किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए विनिर्देशों, कार्य के दायरे आदि का कारण बना दिया है।

और जबकि वेंडर की निविदा स्वीकार कर ली गई थी, और बैंक द्वारा संदर्भ पत्र संख्या. बीबीएस एचआरएमडी नं _____/00.00.000/2026-27 दिनांक _____/_____/2026 के तहत वेंडर को कार्य दिया गया था।

और जबकि वेंडर ने अपने पत्र सं._____ में पूर्वोक्त कार्य के लिए कार्य आदेश स्वीकार कर लिया है।

और जबकि उक्त विनिर्देशों, मात्रा की अनुसूची और कार्य के दायरे पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि वेंडर यहां निर्धारित शर्तों के अधीन और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और संविदा की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" कहा गया है) के अधीन निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, उक्त विनिर्देश में वर्णित कार्य और उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर मात्रा की अनुसूची में शामिल ₹_____/- (रुपये) के रूप में उसमें प्राप्त किया गया है या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी (इसके बाद 'उक्त संविदा राशि' कहा गया है)

अब यह करार गवाह है और इसके द्वारा पक्षों के बीच इस प्रकार सहमति व्यक्त की गई है।

- इस करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, संपूर्ण निविदा दस्तावेज (अर्थात् अस्वीकरण, एनआईटी, अनुलग्नक-। से XI, अनुलग्नक-। से XV, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली, वित्तीय बोलियां आदि) शामिल हैं। इसमें शामिल करने के लिए संलग्न पार्टियों के बीच संपूर्ण करार शामिल है। अन्य सभी पिछली और संपार्श्वीक व्यवस्थाएं, अभ्यावेदन, वादे और शर्तों संविदा द्वारा प्रतिस्थापित की जाती हैं और किसी भी पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी। कार्य आदेश के संदर्भ में किसी भी पक्ष द्वारा उल्लिखित (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

कार्य आदेश और उपक्रमों के तहत वेंडर द्वारा निष्पादित सभी कार्यों को निष्पादित माना जाएगा या करार के नियमों और शर्तों के तहत दिया जाएगा।

2. वेंडर एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक ₹ _____/- (_____ रुपये) की दर से और प्रति वर्ष लागू जीएसटी की

दर से भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करेगा। संविदा अवधि के दौरान वेतन में इस तरह की वृद्धि के कारण वेंडर को न्यूनतम मजदूरी में किसी भी वृद्धि और ईपीएफ और ईएसआई जैसी अन्य सांविधिक आवश्यकताओं में योगदान के प्रति बढ़ी हुई देयता की भी भरपाई की जाएगी। वेंडर निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और निविदा दस्तावेज को इस दस्तावेज के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

3. यह करार 01 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगा। प्रदान की गई सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन और संबंधित फर्म/कंपनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों के अनुपालन के अधीन पारस्परिक करार के अनुसार वार्षिक अंतराल (अप्रैल-मार्च) पर संविदा को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वेंडर को किए जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि संविदा में उल्लेख किया गया है, वेंडर ने एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक संविदा में उल्लिखित मदों और शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा की है।

5. बैंक एतद्वारा संविदा में उल्लिखित तरीके से, उपरोक्त कार्य को ध्यान में रखते हुए वेंडर को भुगतान करने का संविदा करता है। उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और जिस तरीके से भुगतान किया जाना है, उस पर विचार करते हुए, वेंडर उक्त शर्तों के अधीन और उक्त विनिर्देशों, उक्त कार्य का दायरा और मात्रा-अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

6. बैंक वेंडर को ₹ _____/- (_____ रुपये) की उक्त संविदा राशि का भुगतान करेगा, या ऐसी अन्य राशि जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय पर और तरीके से देय हो जाएगी।

7. उक्त शर्तों और परिशिष्टों को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके लिए पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, खुद को प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों में क्रमशः अपनी ओर से समझौतों का पालन करेंगे।

8. यहां उल्लिखित करार और दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे।

9. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही कार्य संविदा एक अंश है, बल्कि एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च तक भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन तथा चाय पेट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान" करने के लिए एक सेवा-संविदा है। 2027 तक वास्तविक मापी गई मात्राओं के अनुसार, बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए भुगतान प्रमाण-पत्रों के अनुसार, दरों की अनुसूची और संभावित मात्रा वाली निविदा के भाग-॥ में निहित दरों पर या उक्त शर्तों में प्रदान किए गए अनुसार भुगतान किया जाना है।

10. वेंडर उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सभी कार्यों और अन्य सहायक कार्यों को करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श, फिटिंग, फिक्स्चर आदि को उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

11. बैंक इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य की किसी भी वस्तु को जोड़कर या छोड़कर या उसी के कुछ हिस्सों को जोड़कर या छोड़कर कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक के पास कार्य के दायरे को बढ़ाने या घटाने और तदनुसार मैनपॉवर की आवश्यकता को बढ़ाने/घटाने का अधिकार भी सुरक्षित है।

12. समय को इस संविदा का सार माना जाएगा, और वेंडर इसके द्वारा साइट को सौंपे जाने के तुरंत बाद या उक्त शर्तों में प्रदान किए गए औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के दिन के सातवें दिन से, जो भी बाद में हो, कार्य शुरू करने के लिए सहमत होता है, और अनुसूची के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत होता है। वेंडर एतद्वारा समय अनुसूची का सख्ती से पालन करते हुए उचित समय पर सभी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए भी सहमत होता है और किसी भी मामले में इसमें देरी नहीं करेगा, ऐसा न करने पर वह अपने विवेकाधिकार पर बैंक को सुरक्षा जमा राशि जब्त कर लेगा।

13. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भुवनेश्वर कार्यालय में किए जाएंगे।

14. कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम : वेंडर/एजेंसी "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत वेंडर/एजेंसी और वेंडर/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध वेंडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

वेंडर किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे वेंडर के कर्मचारियों के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि वेंडर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

वेंडर अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

15. गोपनीयता की आवश्यकता (गैर-प्रकटीकरण खंड) - वेंडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान वेंडर के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। वेंडर इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक को छोड़कर संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा।

वेंडर बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। वेंडर किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को वेंडर की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हजाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। वेंडर अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में वेंडर के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर भी बना रहेंगे।

16. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से संबंधित सभी विवादों को भुवनेश्वर में उत्पन्न माना जाएगा और केवल भुवनेश्वर के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

जब कि इस संविदा के भागों को वेंडर द्वारा पढ़ा गया है और वेंडर द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।

यदि वेंडर एक साझेदारी या एक व्यक्ति है	जिसके साक्ष्य में बैंक और वेंडर द्वारा इसकी दो प्रतियों पर उक्त दिन और वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए।
यदि वेंडर एक कंपनी है	जिसके साक्ष्य में बैंक ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन पर हस्ताक्षर किए और वेंडर ने उक्त दिन और वर्ष में सामान्य मुहर लगाई और इसकी दो प्रतियों पर हस्तराक्षर कर निष्पादित किया है।

हस्ताक्षर खंड

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया
भारतीय रिजर्व बैंक

श्री

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(नाम और पदनाम)

गवाहों की उपस्थिति में

(1)

पता.....

(2)

पता.....

द्वारा हस्ताक्षिरित और सुपुर्द किया गया

(1)

पता.....

(2)

पता

गवाह

.....की उपस्थिति में

यह बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास किए गए प्रस्तावों के अनुसार सामान्य मुहर लगाई गई।

(1)

(2)

.....की उपस्थिति में

जिन डायरेक्टर्स ने इनपर हस्ताक्षर किए हैं

(1)

(2)...

यदि पार्टी पार्टनरशिप फर्म या कोई व्यक्ति है, तो सभी पार्टनर्स या सभी की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

यदि ठेकेदार अपनी कॉमन मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो सिग्नेचर क्लॉज़

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

आर्टिकल्स ऑफ़
एसोसिएशन में सीलिंग
क्लॉज़ से मैच करना
चाहिए।

ठेकेदार वह चाहे एक
कंपनी हो या कोई
व्यक्ति यदि पावर
ऑफ़ अटॉर्नी के तहत
हस्ताक्षर करता है
उससे मैच होना
चाहिए।

अनुलग्नक - II**बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा**

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जो कि के नाम पर खरीदे गए हैं।
जारी करने वाला बैंक)

स्थान:

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
भुवनेश्वर

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेंट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करना

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में है, भारतीय रिज़र्व बैंक, पं. जे.एन.मार्ग, भुवनेश्वर (इसके बाद "आरबीआई" कहा है) में अपने कार्यालय के माध्यम से मैसर्स (इसके बाद "संविदा" कहा गया है) को हेडर वाले कार्य के लिए संविदा प्रदान किया गया है (इसके बाद "वेंडर का नाम" कहा गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।

और जबकि उक्त संविदा के तहत वेंडर उक्त संविदा से बाध्य है, जो संविदा में निहित नियमों और शर्तों की उक्त वेंडर द्वारा उचित पूर्ति के लिए कुल ₹ _____/- (केवल शब्दों में रूपये) की कुल राशि के लिए एक कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को प्रस्तुत करेगा।

हम, _____ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), मैसर्स _____, वेंडर के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए कार्य-निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ _____/- (केवल शब्दों में रूपये) से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह निम्नानुसार गारंटी है

हम _____ (बैंक का नाम) एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से सहमत हैं और वचन देते हैं, यह असाइन करते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वेंडर ने उक्त संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो कौन सा निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त वेंडर पर भी बाध्यकारी होगा; भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

जाने पर, हम भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी विलंब के _____/- रुपये (केवल _____ रुपये) की राशि या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी जाने वाली किसी भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के तहत वेंडर के दायित्वों के उचित कार्य-निष्पादन के लिए कार्य-निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, हालांकि, बशर्ते कि ऐसी राशि के विरुद्ध हमारी हमारी देयता ₹ _____/- (_____ रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी

1. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि पूर्वोक्त रूप से ₹ _____/- (_____ रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर आरबीआई से मांग किए जाने पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हम पर निर्णयिक और बाध्यकारी होगा और पूछताछ नहीं की जाएगी हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से। हम किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में वेंडर द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेंगे और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
2. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और वेंडर के बीच करार या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।
3. इस गारंटी को हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

- a) उक्त संविदा की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या किसी भी समय को प्रदान करने या आरबीआई द्वारा वेंडर को कोई भी अनुग्रह या उसके संबंध में किसी भी अन्य मामले का कार्य-निष्पादन करने में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल वेंडर द्वारा उनके दायित्वों के कार्य-निष्पादन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ _____/- (_____ रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करके किया जाएगा।
- b) इन उपहारों के तहत हमारी देयता ₹ _____/- (_____ रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।
- c) इसके के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उनके दायित्वों से प्रभावित नहीं होगा, या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

d) यह गारंटी कार्य पूरा होने की अवधि से 60 दिनों तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाए, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है।

e) इसके तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन पर ऊपर उल्लिखित अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए केवल आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायिक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे विरुद्ध कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे विरुद्ध आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य के रूप में, बैंक के मैनेजर/हमने इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और _____ (महीना) (वर्ष) के _____ दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे मुहर लगाई।

_____ के लिए और उसकी ओर से (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

नाम:

पदनाम:

बैंक की स्टाम्प/मुहर

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____

(नोट: इस बैंक गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टांप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार सत्यापित होंगे।)

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

अनुलग्नक-IIIअनुसूचित बैंक से बैंकर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का प्रारूप

(एमएसटीसी पोर्टल में ई-निविदा के साथ एजेंसी/ठेकेदार द्वारा अपलोड किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मैसर्स.....जिसका पता नीचे दिया गया है, हमारे बैंक के प्रतिष्ठित ग्राहक हैं और उन्हें ₹.....(..... रुपये) तक की सीमा तक कार्य करने के अच्छा माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी की बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया गया है।

(हस्ताक्षर)
कृते बैंक

नोट:

1. बैंकर प्रमाण पत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, जो क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001, ओडिशा को संबोधित सीलबंद कवर में होना चाहिए।
2. साझेदारी के मामले में सफल बोलीकर्ता, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम प्रमाण पत्र शामिल होने चाहिए।

अनुलग्नक-IV**केटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वेंडर के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र
(ग्राहक के लेटर हेड पर)**

(एमएसटीसी पोर्टल पर अन्य दस्तावेजों के साथ एजेंसी/ठेकेदार द्वारा अपलोड किया जाना है)

ग्राहक का नाम और पता: -

मैसर्स मैसर्स से प्राप्त सेवाओं का विवरण.....

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1.	सेवा की प्रकृति	
2.	करार सं. और तारीख	
3.	करार की राशि	
4.	संविदा शुरू होने की तारीख	
5.	संविदा की समाप्ति की तारीख	
6.	एजेंसी के साथ संबंधों की अवधि	
7.	प्रदान की गई सेवाओं में कमियों के लिए लगाए गए जुमनि का ब्यौरा (जुमाना लगाने की तारीख, जुमनि की राशि और कारण)	
8.	प्रदान किए गए कर्मियों की संख्या	
9.	एजेंसी द्वारा सेवा की गुणवत्ता पर सामान्य प्रतिक्रिया	
10.	प्रदान की गई सेवाओं की रेटिंग: असाधारण / बहुत अच्छा / अच्छा / असंतोषजनक	
11.	संविदा और कार्य-निष्पादन के नियमों और शर्तों के पालन के बारे में टिप्पणियाँ	
12.	संविदा के दौरान एजेंसी के साथ विवादों का विवरण	
13.	कोई अन्य जानकारी	

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थान:

दिनांक:

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

ई-भुगतान के लिए एनईएफटी विवरण

संस्था का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर

पता (पूर्ण रूप से): भारतीय रिज़र्व बैंक, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर, ओडिशा

1	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा गया है)	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर
2	खाता संख्या	186003001
3	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	चालू
4	पैन संख्या	AAIFR5286M
5	बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर
6	शाखा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर
7	बैंक का पता	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर
8	आईएफएससी कोड	RBIS0BBPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है)

दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान:

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

अनुलग्नक-VI

ग्राहकों की सूची/पिछले अनुभव का विवरण: - (01 फरवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2026 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान निष्पादित) (वेंडर के लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम सरकार/अर्ध सरकार/बैंक/निजी निकाय)	वर्क ऑर्डर संदर्भ संख्या और दिनांक का	दिनांक, महीने और वर्ष सहित संविदा की अवधि		आबंटित संविदा का वास्तविक मूल्य	अधिकारियों/अधिकारियों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण (संपर्क नंबरों के साथ) / जिन विभागों के अधीन कार्य निष्पादित किए गए थे
			कब से	कब तक		

नोट:

- समान कार्यों में लाउंज, स्टाफ कैंटीन में केटरिंग सेवाएं प्रदान करने और [भारतीय रिजर्व बैंक/सरकारी विभागों (केंद्र या राज्य)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों/अन्य विनियामक प्राधिकरणों/प्रतिष्ठित संस्थानों, होटलों, संगठनों आदि में चाय भंडार के प्रबंध के कार्यों का उल्लेख होगा।
- उपर्युक्त जानकारी भाग- I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली [के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी।](#)
- इस दस्तावेज में उल्लिखित सभी निष्पादित कार्यों के साथ ग्राहक के लेटरहेड में कार्य आदेश और ग्राहक रिपोर्ट (अनुलग्नक-IV में उल्लिखित प्रोफार्मा के अनुसार) पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए कार्य का विवरण, कार्य की अवधि, कार्य-निष्पादन / गुणवत्ता पर टिप्पणियां, कार्य की मात्रा, मध्यस्थता, यदि कोई हो, सामान्य व्यवहार, तकनीकी दक्षता, वेंडर द्वारा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। ग्राहक रिपोर्ट के बिना, मूल्यांकन के लिए केवल कार्य आदेशों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
ओडिशा-751001
प्रिय महोदय

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करना

हम..... (बोलीकर्ता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री/सुश्री का गठन, नियुक्ति और प्राधिकृत करते हैं..... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और पद धारण कर रहा है हमारे प्राधिकार के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को करने के लिए जो उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उसके आकस्मिक हैं, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और प्रस्तुत करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल है, जो आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ कार्य करना।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त प्राधिकार द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त प्राधिकार द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्य और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई हैं।

श्री/सुश्री के हस्ताक्षर नीचे सत्यापित है:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर/(हस्ताक्षर)

नाम

बोलीकर्ता की मुहर

नोट: पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए, और एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

अनुलग्नक-VIII

ठेका श्रम नियमों/विनियमों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रोफार्मा
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

प्रति
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भुवनेश्वर

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करना

हम, मैसर्स (वेंडर का नाम) वचन देते हैं कि हम ठेका श्रमिकों के नियोजन और उनके भुगतान के संबंध में सभी सांविधिक नियमों/विनियमों का अनुपालन करेंगे। हम अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के हमारे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियोक्ता, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को ठेका श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान के विरुद्ध और इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेंगे।

भवदीय,

कृते _____

अधिकृत हस्ताक्षरकरता

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि:

- (a) फर्म/कंपनी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं है। बोलीकर्ता के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/विनियामक प्राधिकरणों के पास कोई मामला नहीं है।
- (b) किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी सांविधिक कानूनों के उल्लंघन के लिए फर्म/कंपनी पर मुकदमा नहीं चलाया गया है या कोई जुर्माना नहीं भुगता गया है।
- (c) भारतीय रिज़र्व बैंक/रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज सहित किसी भी संगठन द्वारा फर्म/कंपनी को किसी भी आधार पर निलंबित/काली सूची में डाला गया है/सूची से हटा दिया गया है/अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
- (d) फर्म/कंपनी ने संविदा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा उल्लिखित किसी भी संविदा को रद्द या त्याग नहीं किया है। फर्म/कंपनी अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देगी और उसकी स्थिति प्रस्तुत करेगी।

स्थान:

दिनांक:

कार्यालय मुहर सहित फर्म/बोलीकर्ता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम

सांकेतिक मेनू(1) चाय/कॉफी - (मद संख्या - ए)

क्रमांक	मेनू	मात्रा	ब्रांड और अन्य विनिर्देश
1	चाय / काली चाय / मसाला चाय / अदरक की चाय / इलायची चाय (01 कप)	180 एमएल	(ब्रूक बॉन्ड/लिएन/ताज महल/टाटा डस्ट/टाटा गोल्ड), शुगर, प्रतिष्ठित ब्रांड के शुगर फ्री सैशे
2	कॉफी / ब्लैक कॉफी (01 कप)	180 एमएल	(नेस्कैफे/ ब्रू, चीनी, शुगर फ्री सैशे।
3	ग्रीन टी/लेमन टी (01 कप)	180 एमएल	ग्रीन टी बैग (लिएन/टेटली) और ताजा नींबू, चीनी, शुगर फ्री सैशे।
4	ताजा नींबू पानी (1 गिलास)	200 एमएल	ताजा नींबू

नोट: चाय/ब्लैक टी/कॉफी/ब्लैक कॉफी/ग्रीन टी/लेमन टी/मसाला टी/फ्रेश लाइम वॉटर आॅफिसर्स की टेबल पर एक ट्रे में सर्व किया जाएगा और सिर्फ उपर्युक्त ब्रांड्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे।

(2). सामान्य चाय - (आइटम नं. - बी)

क्रम संख्या	आइटम विवरण
1	i) चाय/ ब्लैक टी/ कॉफी/ ब्लैक कॉफी/ ग्रीन टी/ लेमन टी/ मसाला टी/ अदरक टी/ इलायची टी – 01 कप (180 मिली) और बोंज़ेलो, मिलानो जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की कुकीज़ / ब्रिटानिया, यूनिबिक, सनफीस्ट, बिस्क फार्म (नमकीन और मीठा) जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के मल्टीग्रेन बिस्कुट – 3 पीस

(3). हाई टी (टाइप-ए) - (आइटम नं. - सी)

क्रम संख्या	आइटम विवरण
1	i) चाय/ ब्लैक टी/ कॉफी/ ब्लैक कॉफी/ ग्रीन टी/ लेमन टी/ मसाला टी/ अदरक टी/ इलायची टी – 01 कप (180 मिली) और बोंज़ेलो, मिलानो जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की कुकीज़ / ब्रिटानिया, यूनिबिक, सनफीस्ट, बिस्क फार्म (नमकीन और मीठा) जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के मल्टीग्रेन बिस्कुट – 3 पीस और iii) प्रीमियम गुणवत्ता वाले भुने हुए बादाम / काजू / पिस्ता / किशमिश / अखरोट (प्रतिष्ठित ब्रांड जैसे हैप्पिलो प्रीमियम, न्यूट्राज, तुलसी, चिनार) – 20 ग्राम

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(4). हाई टी (टाइप-बी) - (आइटम नं. - डी)

क्रम संख्या	आइटम विवरण
1	i) चाय/ ब्लैक टी/ कॉफी/ ब्लैक कॉफी/ ग्रीन टी/ लेमन टी/ मसाला टी/ अदरक टी/ इलायची टी – 01 कप (180 मिली) और ii) समोसा / वेज. कटलेट / वेज सैंडविच / पेस्ट्री / केला या फल या चाय केक या कोई भी अच्छी गुणवत्ता वाला केक / ढोकला / पनीर पकोड़ा / आलूबोंडा / वड़ा / कचौड़ी / प्याज वड़ा / दही वड़ा – 01 पीस और iii) मिठाई - काजू बरफी / चीनापोड़ा (50 ग्राम) / गुलाब जामुन / रसगुल्ला / मिल्क केक / कलाकंद / लड्डू / जलेबी / कोई अन्य मिठाई - 01 पीस और iv) प्रीमियम गुणवत्ता वाले भुने हुए बादाम / काजू / पिस्ता / किशमिश / अखरोट (प्रतिष्ठित ब्रांड जैसे हैप्पिलो प्रीमियम, न्यूट्राज, तुलसी, चिनार) – 20 ग्राम

(5) बेसिक लंच (प्रतिदिन ऑफिसर्स लाउंज में बुफे परोसा जाएगा) - (मद संख्या – ई)

क्रम संख्या	सामान	विवरण
1.	सूप	लेमन धनिया, क्रीम ऑफ़ टोमैटो, मंचो, हॉट एंड सावर, टोमैटो सूप, वेज किलयर, क्रीम ऑफ़ वेज, क्रीम ऑफ़ बादाम, क्रीम ऑफ़ मशरूम, क्रीम ऑफ़ चिकन, चिकन लेमन धनिया (कोई भी)
2.	सलाद	मौसमी हरी सलाद
3.	पापड़	बीकानेरी/हल्दीराम/लिज्जत/भीकाजी ब्रांड (रोस्टेड/फ्राइड)
4.	अचार	निलोन/माँ की रेसिपी
5.	चावल	बासमती जीरा राइस/ हरी मटर पलाऊ/ उबले चावल (कोई भी)
6.	चपाती	सादी रोटी (तवा)/बटर नान/पूरी/मसाला कुलचा/लच्छा पराठा (कोई भी)
7.	दही/रायता	सादा दही/रायता 100 ग्राम/सीलबंद कप दही, किसी भी प्रतिष्ठित ब्रांड का जैसे मदर डेयरी, मिल्क मू, ओमफेड (कोई भी)
8.	दल	अरहर दाल/दाल मखनी/ओडिया दालमा (प्रतिदिन रोटेशन आधार पर)
9.	शाकाहारी	1) एक मौसमी सब्ज़ी करी (प्रतिदिन रोटेशन आधार पर) 2) मटर पनीर / शाही पनीर / पनीर लबाबदार / मलाई कोफ्ता / चिली मशरूम / मशरूम दो पियाजा (प्रतिदिन रोटेशन आधार पर) 3) दही वैगन / टोमैटो खजूर खाता / अच्छी कालिटी की तली हुई सब्ज़ी / बैंगन का भरता (प्रतिदिन रोटेशन आधार पर)

10.	मांसाहारी	नीचे उल्लिखित आइटम में से कोई भी (a या b या c) रोज़ (रोटेशन के आधार पर) परोसा जाएगा: (a) फिश करी / फिश बेसर / चिली फिश (02 पीस) – (ग्रेवी को छोड़कर 150 ग्राम मछली) (सप्ताह में दो बार) (b) चिकन करी / चिली चिकन / चिकन 65 / चिकन बिरयानी (04 पीस) – (ग्रेवी को छोड़कर 150 ग्राम चिकन) (सप्ताह में दो बार) (c) मटन करी होम स्टाइल / मटन रोगन जोश / मटन बिरयानी (04 पीस)- (ग्रेवी को छोड़कर 150 ग्राम मटन) (सप्ताह में एक बार)
11।	मिठाई	गुलाब जामुन / रसगुल्ला / रसमलाई / छेना पोड़ा / मलाई चमचम / मिल्क केक / अच्छी क्वालिटी की मिठाई जो आम दुकानों से रोटेशन पर मिलती हो या मौसमी ताजे कटे फल (200 gms) या आइसक्रीम - हफ्ते में एक बार - 100 gms सीलबंद कप - (बटर स्कॉच / केसर पिस्ता / मलाई कुल्फी / फ्रूट ओवरलोड) प्रतिष्ठित ब्रांड का (कोई भी एक)
12.	माउथ फ्रेशनर	प्रतिष्ठित ब्रांडों की प्रीमियम गुणवत्ता

नोट: आइटम (5) से (10) की जगह फ्रूट लंच (500 gms) भी ऑफिसर लाउंज में स्टाफ से एक दिन पहले अनुरोध करने पर देना होगा। फ्रूट लंच की डिटेल्स नीचे दी गई हैं।

फ्रूट लंच की जानकारी: -

फ्रूट लंच में कोई भी 5 मौसमी फल, ड्राई स्नैक्स और बटर मिल्क/फ्रूट जूस शामिल हैं

बाजार में मिलने वाले रेगुलर और मौसमी फल

- i. अलग-अलग तरह के फल: सेब (1 पीस) - 160-180 Gms , आम (1 पीस) - 160-180 Gms , केला (2 पीस) - रेगुलर साइज़, अनार (1 पीस) 180-200 Gms , अमरूद (1 पीस) - 180-200 Gms , संतरा/ किन्नू (1 पीस) - 160-170 Gms , चिकू (2 पीस) - हर एक 100 Gms , लीची - 160-170 Gms , अंगूर - 160-170 Gms , पपीता - 125 Gms , तरबूज - 125 Gms , या अपनी पसंद का कोई और फल।
- ii. सूखे नाश्ते (कोई भी दो) - समोसा, कचौरी, उपमा, ढोकला, वड़ा, आलू बोंडा , प्याज वड़ा, पनीर/मशरूम/वेज पैटीज, पेस्ट्री, मूंग दाल पैकेट-(हल्दीराम) आदि
- iii. छाँच/फलों का रस/आम पन्ना/केसर दूध (टेट्रा पैक) आदि- 200 मिली (कोई भी)

(6). विशेष लंच - (मद संख्या - एफ)

स्पेशल लंच विशेष ऑर्डर के आधार पर दिया जाएगा, रेगुलर बेसिस पर नहीं।

क्रमांक	सामान	विवरण
1.	सूप	लेमन धनिया, क्रीम ऑफ टोमैटो, मंचो, हॉट एंड सोर, टोमैटो सूप, वेज क्लियर, क्रीम ऑफ वेज, क्रीम ऑफ बादाम, क्रीम ऑफ मशरूम, क्रीम ऑफ चिकन, चिकन लेमन धनिया – 02 किस्में (एक वेज और एक नॉन वेज सूप)
2.	स्टार्टर (शाकाहारी)	पनीर टिक्का (अलग स्वाद)/ पनीर तिलुवाला/ पनीर 65/ पंपुडी पनीर/ पनीर कटलेट / पनीर पकोड़ा / मशरूम नमक और काली मिर्च / मिर्च मशरूम / भरवां मशरूम / मशरूम पकोड़ा / वेज कटलेट / वेज फिंगर / दही का कबाब / सूखा मंचूरियन / हराबारा कबाब / पनीर या मशरूम का कोई भी विशेष स्टार्टर / दही वड़ा आलू दम के साथ (कोई भी)
3.	स्टार्टर (नॉन वेज)	फिश फिंगर/ चिली फिश/ चिकन कबाब/ चिकन टिक्का मलाई/ चिकन लॉलीपॉप/ चिकन 65/ तंदूर चिकन/ बाली प्रॉन/ गोल्डन प्रॉन/ प्रॉन चिली (कोई भी)
4.	सलाद	ग्रीन सलाद, रशियन सलाद, ग्रीक सलाद मूंग स्प्राउट, पास्ता सलाद, आलू चना चाट, पत्तागोभी अनानास सलाद (कम से कम दो तरह के)
5.	पापड़	तला हुआ/भुना हुआ (कोई भी)
6.	मसालों	विभिन्न प्रकार के स्वाद/टमाटर खजूर खाता/अंबुला राई/मिक्स फ्रूट खाता/बैगन भर्ता/बड़ी चूरा/आलो भर्ता (कोई भी दो)
7.	चावल	(ए) बासमती या आधा उबला चावल का विकल्प और (ब) बासमती जीरा राइस, जीरा मटर पुलाव, वेज पुलाव, वेज बिरयानी, पनीर पुलाव, मशरूम बिरयानी, कश्मीरी पुलाव, कॉर्न अनियन दम पुलाव, वेज फ्राइड राइस (कोई भी एक)
8.	चपाती	चपाती, पूरी, तंदूरी रोटी, तवा पराठा, तंदूरी नान, लच्छा पराठा, पुदीना पराठा, अजवाइन पराठा, मसाला कुलचा, बटर नान, मसाला नान (कोई भी दो)
9.	दही/रायता	दही, बूंदी रायता, वेज रायता, पुदीना रायता, अनानास रायता, दही भल्ला, दही वड़ा, दही गुजिया (कोई भी)
10.	दल	पीली दाल, दाल पंचरत, दाल मखनी, दाल अरहर तड़का, दाल पालक, कढ़ी पकोड़ा, राजमा, छोले मसाला, ओड़िया दालमा (कोई भी)
11।	सब्ज़ी	(i) मिक्स वेज, गोभी फ्राई, भिंडी दो प्याजा, करेला फ्राई, आलू मेथी,

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

		<p>कॉर्न पालक, आलू मटर, सोया चॉप मसाला, कश्मीरी दम आलू दम आलू पंजाबी, डिंगिरी वेज, गोभी पालक आदि (कोई भी एक)</p> <p>(ii) पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, पालक कोफ्ता, मेथी मटर मलाई, नवरत्न कोरमा (कोई भी)</p> <p>(iii) मशरूम मसाला, मशरूम बेसर, मशरूम दो-प्याजा, चिली मशरूम (कोई भी एक)</p>
12.	मांसाहारी	<p>(मैं) मटन रोगन जोश/ मटन करी होम स्टाइल/ प्रॉन करी/ तवा प्रॉन/ पोम्फ्रेट फ्राई/ मटन, प्रॉन या पोम्फ्रेट की कोई और स्पेशल डिश (कोई भी)</p> <p>(ii) बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन कोरमा, चिकन काली मिर्च, चिकन लबाबदार, फिश करी, फिश फ्राइड, चिली फिश (बोनलेस), फिश पथुरी (बोनलेस) (कोई भी)</p>
13.	मिठाई	मूंग दाल हलवा, छेनापोड़ा, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, गाजर हलवा, कई तरह की मिठाइयाँ, प्रतिष्ठित ब्रांड की आइसक्रीम (बटर स्कॉच/ पाइनएप्पल/ चॉकलेट/ मैंगो/ केसर पिस्ता/ वनीला आदि) - कम से कम दो तरह की
14.	माउथ फ्रेशनर	ब्रांडेड प्रीमियम गुणवत्ता

(7). अन्य वस्तुएँ आ ल कार्ट आधार पर - (वस्तु संख्या - g से q)

क्रम संख्या	मद संख्या।	आइटम विवरण
1	g	छाछ/ ताज़ा तरबूज का रस/ ताज़ा नींबू (नमकीन/मीठा)
2	h	स्टार्टर (शाकाहारी) : पनीर टिक्का/ पनीर तिलुवाला/ पनीर 65/ पंपुड़ी पनीर/ पनीर कटलेट/ पनीर पकोड़ा/ मशरूम नमक और काली मिर्च/ मिर्च मशरूम/ भरवां मशरूम/ मशरूम पकोड़ा/ अमेरिकन कॉर्न (कुरकुरा)/ सूखा मंचूरियन/ हराबारा कबाब/ पनीर/ मशरूम/ सब्जी का कोई अन्य विशेष शाकाहारी स्टार्टर व्यंजन
3	i	स्टार्टर (नॉन वेज) : फिश फिंगर/ चिली फिश/ चिकन कबाब/ चिकन टिक्का मलाई/ चिकन लॉलीपॉप/ चिकन 65/ मटन सीख कबाब/ बाली प्रॉन/ मछली, अंडा, चिकन, प्रॉन या मटन का कोई अन्य विशेष नॉन-वेज स्टार्टर व्यंजन
4	j	बिरयानी : वेज बिरयानी / पनीर पुलाव / पनीर बिरयानी / मशरूम बिरयानी / मिक्स फ्राइड राइस / चिकन बिरयानी (150 ग्राम चिकन के 03 पीस) / अंडा बिरयानी (अंडे के 02 पीस)
5	k	विशेष सब्जी करी: पनीर बटर मसाला/ कढ़ाई पनीर/ मटर पनीर/

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

		शाही पनीर/ पालक पनीर/ मलाई कोफ्ता/ मेथी मटर मलाई/ नवरत्न कोरमा/ मशरूम मसाला/ मशरूम बेसर/ मशरूम दो-प्याजा/ चिली मशरूम/ मशरूम या पनीर के कोई अन्य विशेष व्यंजन
6	l	बटर चिकन मसाला / कढाई चिकन / चिकन कोरमा / चिकन काली मिर्च / चिकन लबाबदार / फिश करी / फिश फ्राइड / फिश कालिया / चिली फिश / चिकन या मछली के कोई अन्य विशेष व्यंजन चिकन - 04 पीस 150 ग्राम, ग्रेवी को छोड़कर मछली - 02 पीस 150 ग्राम, ग्रेवी को छोड़कर
7	m	मटन रोगन जोश/ मटन करी होम स्टाइल/ मटन बिरयानी/ प्रॉन करी/ तवा प्रॉन/ पॉम्फ्रेट फ्राई/ मटन, प्रॉन या पॉम्फ्रेट की कोई अन्य विशेष डिश मटन - 04 पीस 150 ग्राम, ग्रेवी को छोड़कर झींगा - 04 पीस, 150 ग्राम, ग्रेवी को छोड़कर पॉम्फ्रेट - 01 पीस 150 ग्राम, ग्रेवी को छोड़कर
8	n	सादा दही/बूंदी रायता/पुदीना रायता/अनानास रायता/दही वैगन/टमाटर खजूर खाटा/मिक्स वेज फ्राई (चिप्स)
9	o	काजू बरफी / चीनापोड़ा (50 ग्राम) / गुलाब जामुन / रसगुल्ला / मिल्क केक / कलाकंद / लड्डू / जलेबी
10	p	मूंग दाल हलवा (50 ग्राम)/ रसमलाई (50 ग्राम)/ गाजर हलवा (50 ग्राम)/ रसबाली (02 पीस)/ मौसमी ताजे कटे फल (100 ग्राम)
11	q	प्रतिष्ठित ब्रांड की आइसक्रीम (बटर स्कॉच/ अनानास/ चॉकलेट/ आम/ केसर पिस्ता/ वेनिला आदि)/ कोल्ड ड्रिंक/ फलों का रस (असली या ट्रॉपिकाना)/ नारियल पानी/ मक्खन दूध/ आइसक्रीम/ मीठा दही/ मांग/आवश्यकता आदि के अनुसार नाश्ता



भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
भुवनेश्वर

वित्तीय बोली

(नोट: निविदाकर्ता को दरें MSTC पोर्टल पर ही ऑनलाइन भरनी होंगी। कृपया यह दस्तावेज अपलोड न करें)

हेडर नंबर 1				
मद संख्या	आइटम विवरण	प्रति वर्ष अनुमानित खपत (संख्या) एक्स	प्रति यूनिट दर रुपये में (अंकों में) वाई	प्रति वर्ष कुल राशि (रुपये में) $Z=X*Y$
ए	चाय / कॉफी / ग्रीन टी / लेमन टी / मसाला चाय / ब्लैक टी / ब्लैक कॉफी / ताजा नींबू पानी (सभी उल्लिखित वस्तुओं के लिए केवल एक दर प्रदान की जाएगी) जैसा कि अनुलग्नक एक्स के पैरा (1) में उल्लेख है : प्रति कप (180 एमएल) / प्रति ग्लास (200 एमएल)	60000	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
बी	X के पैरा (2) में वर्णित सामान्य चाय : प्रति प्लेट	200	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
सी	X के पैरा (3) में उल्लेख है : प्रति प्लेट	8000	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

			चाहिए।	
डी	X के पैरा (4) में उल्लेख है : प्रति प्लेट	2000	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षन के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
ई	बेसिक लंच (OLDR में प्रतिदिन अनलिमिटेड मील्स सर्व किए जाएंगे) जैसा कि अनुलग्नक X के पैरा (5) में उल्लेख है : प्रति भोजन	10000	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षन के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
एफ	विशेष भोजन (असीमित भोजन परोसा जाएगा) जैसा कि अनुलग्नक X के पैरा (6) में उल्लेख है: प्रति भोजन	700	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षन के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
जी	बटर मिल्क/ वॉटर मेलन जूस/ फ्रेश लाइम (नमकीन/मीठा) : प्रति ग्लास (200 ml)	3000	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षन के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
एच	स्टार्टर (शाकाहारी) : पनीर टिक्का/ पनीर टिल्लूवाला/ पनीर 65/ पंपुड़ी पनीर/ पनीर कटलेट / पनीर पकोड़ा / मशरूम सॉल्ट एंड पेपर / चिली मशरूम / स्टफ्ड मशरूम / मशरूम पकोड़ा / अमेरिकन कॉर्न (क्रिस्पी) / ड्राई मंचूरियन / हराबारा कबाब / पनीर / मशरूम / सब्जी के कोई अन्य विशेष वेज स्टार्टर व्यंजन: प्रति प्लेट (150 ग्राम के 04 पीस)	200	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षन के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
मैं	स्टार्टर (नॉन वेज) : फिश फिंगर/ चिली फिश (बोनलेस)/ चिकन कबाब/ चिकन टिक्का मलाई/	200	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	चिकन लॉलीपॉप/ चिकन 65/ मटन सीख कबाब/ बाली प्रॉन/ मछली, अंडा, चिकन, प्रॉन या मटन का कोई अन्य विशेष नॉन-वेज स्टार्टर व्यंजन: प्रति प्लेट (150 ग्राम के 04 पीस)		बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
जे	बिरयानी : वेज बिरयानी / पनीर पुलाव / पनीर बिरयानी / मशरूम बिरयानी / मिक्स फ्राइड राइस / चिकन बिरयानी (150 ग्राम चिकन के 03 पीस) / अंडा बिरयानी (अंडे के 02 पीस) : प्रति प्लेट	500	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
के	स्पेशल वेजिटेबल करी: पनीर बटर मसाला/ कढ़ाई पनीर/ मटर पनीर/ शाही पनीर/ पालक पनीर/ मलाई कोफ्ता/ मेथी मटर मलाई/ नवरत्न कोरमा/ मशरूम मसाला/ मशरूम बेसर/ मशरूम दो-प्याजा/ चिली मशरूम/ मशरूम या पनीर की कोई भी दूसरी विशेष फिश : प्रति प्लेट (150 gm)	100	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
एल	बटर चिकन मसाला / कढ़ाई चिकन / चिकन कोरमा / चिकन काली मिर्च / चिकन लबाबदार / फिश करी / फिश फ्राइड / फिश कालिया / चिली फिश / चिकन या मछली के कोई अन्य विशेष व्यंजन: प्रति प्लेट (चिकन -04 पीस 150 ग्राम, ग्रेवी को छोड़कर या मछली - 02 पीस 150 ग्राम (ग्रेवी को छोड़कर)	200	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
एम	मटन रोगन जोश / मटन करी होम स्टाइल / मटन बिरयानी / झींगा करी / तवा झींगा / पॉम्फ्रेट फ्राई / मटन, झींगा या पॉम्फ्रेट के कोई अन्य विशेष व्यंजन: प्रति प्लेट (मटन- 150 ग्राम के 04 पीस, ग्रेवी को छोड़कर या झींगा - 150 ग्राम के 04 पीस, ग्रेवी को छोड़कर या पॉम्फ्रेट- 150 ग्राम का 01 पीस, ग्रेवी को छोड़कर)	200	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
एन	सादा दही/बूंदी रायता/पुदीना रायता/अनानास रायता/दही वैगन/टमाटर खजूर खाटा/मिक्स वेज	400	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

	फ्राई (चिप्स) : प्रति प्लेट (100 ग्राम)		बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
हे	काजू बरफी / चीनापोड़ा (50 ग्राम) / गुलाब जामुन / रसगुल्ला / मिल्क कैक / कलाकंद / लड्डू / जलेबी: प्रति टुकड़ा	400	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।
पी	मूंग दाल हलवा (50 ग्राम) / रसमलाई (50 ग्राम) / गाजर हलवा (50 ग्राम) / रसबाली (02 पीस) / मौसमी ताजे कटे फल (100 ग्राम) : प्रति प्लेट	800	GST सहित रेट MSTC में फाइनेंशियल बिड के सेक्षण के तहत कोट किए जाने चाहिए।	राशि की गणना MSTC पोर्टल पर की जाएगी। निविदाकर्ता को कोई राशि एंटर नहीं करना होगा।

निविदाकर्ता ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित प्रत्यके वर्ष की मात्रा केवल सांकेतिक है। पूरे वर्ष इस्तेमाल के अनुसार मात्रा अलग-अलग हो सकती है।

हेडर नंबर 2		
गैर-श्रम घटक (परिवर्तनीय घटक)		
बोली लगाने वाला अपनी मनचाही राशि केवल MSTC की वेबसाइट पर बता सकता है।		
मद संख्या।	विवरण	दर (जीएसटी को छोड़कर)
क्यू	प्रति वर्ष सेवा शुल्क (12 महीने) बोलीकर्ता को GST को छोड़कर हर वर्ष (12 महीने) का सर्विस चार्ज ₹ में बताना होगा (परसेंटेज में नहीं)।	कृपया MSTC वेबसाइट पर GST को छोड़कर, वार्षिक (12 महीने) ₹..... में राशि उल्लेख करें।

नोट: - उपर्युक्त सभी मेन्यू केवल सांकेतिक हैं, और बैंक ज़रूरत के अनुसार किसी भी मेन्यू में बदलाव करने का अधिकार रखता है। बैंक ऊपर उल्लिखित सांकेतिक मात्रा पर कोई मिनिमम कमिटमेंट नहीं देगा। पेमेंट केवल वास्तविक खपत के आधार पर किया जाएगा।

* कृपया फाइनेंशियल बिड के मूल्यांकन के लिए [सेक्षण-V का पैरा 1.6 देखें](#)

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(a) हेडर नंबर 1 के तहत उल्लिखित आइटम A से P तक के लिए प्रति यूनिट रेट (रुपये में) में **GST शामिल होना चाहिए**।

(b) हेडर नंबर 2 के लिए, बोलीकर्ता को GST को छोड़कर हर वर्ष (12 महीने) का सर्विस चार्ज रुपये में बताना होगा (परसेटेज में नहीं)। बोलीकर्ता को एनेक्सर XI के क्रम संख्या j (GST को छोड़कर कुल वेतन) में उल्लिखित कुल मिनिमम मज़दूरी के 3% से अधिक या उसके बराबर सर्विस चार्ज बताना होगा, जो मैनपावर की ज़रूरत के अनुसार ₹1,04,890/- (राउंड ऑफ) होता है।

जो निविदाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस चार्ज की राशि यानी ₹1,04,890/- से कम उल्लेख करेंगे, उन्हें बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(c) बेसिक लंच के अलावा, वेंडर को OLDR में मेनू के अनुसार चाय/कॉफी, नॉर्मल चाय, हाई टी (टाइप A/B), स्पेशल लंच की सुविधा और अन्य आइटम अ-ला-कार्ट आधार पर उपलब्ध कराने होंगे (**आइटम नंबर A से P का विवरण अनुलग्नक x में दिया गया है**) जिसके लिए उक्त प्रोग्राम के लिए वेंडर को मांगपत्र दिया जाएगा। स्टार्टर और अन्य मेनू आइटमों की तैयारी (स्पेशल कुक/असिस्टेंट कुक) और स्पेशल लंच के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी अतिरिक्त मैनपावर वेंडर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और इसका खर्च वेंडर द्वारा उठाया जाएगा। वेंडर को सूचित किया जाता है कि वे OLDR में स्पेशल लंच के दौरान तैयारी और सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मैनपावर की व्यवस्था पर हुए खर्च को ध्यान में रखते हुए आइटम नंबर A से P (हेडर नंबर 1 के तहत) और Q (हेडर नंबर 2 के तहत) के रेट उल्लेख करें। स्पेशल लंच की आपूर्ति विशेष ऑर्डर के आधार पर करनी होगी, न कि रेगुलर आधार पर।

(d) उल्लिखित रेट 12 महीने के लिए होंगे और **इसमें GST सहित सभी इंसिडेंटल चार्ज, सर्विस चार्ज और टैक्स शामिल होंगे। उपर्युक्त रेट में OLDR का संचालन, लाउंज, पेंट्री के मेंटेनेंस और सुपरविज़न, और सीनियर ऑफिसर/सेक्शनल-इन-चार्ज के बिन और कॉफ्रेंस रूम आदि के लिए फ्लास्क/पानी के कंटेनर में पानी साफ करने और भरने के सभी चार्ज शामिल होने चाहिए, जैसा कि इस निविदा दस्तावेज के दायरे और नेचर ऑफ वर्क में बताया गया है।**

(e) क्योंकि लेबर/वर्कफोर्स की लागत, जैसा बताया गया है, कानूनी रेट के अनुसार वास्तविक में वापस की जाएगी, इसलिए निविदा देने वाले को हेडर नंबर 1 के तहत खाने की चीज़ों के रेट बताते समय बाकी सभी चीज़ें जैसे कच्चा माल, ट्रांसपोर्टेशन, तैयारी का चार्ज, सर्विस जैसे सफाई, मेंटेनेंस आदि, और दूसरे सभी लागू चार्ज, लेवी, ड्यूटी और टैक्स, कोई भी दूसरा खर्च शामिल करना चाहिए।

- (f) किसी भी निविदा के मामले में, जहां खाने की चीज़ों की उल्लिखित कीमत बहुत **अधिक** या कम हो, तो निविदा को अनबैलेंस्ड माना जाएगा और बैंक के पास ऐसे निविदा को बिना बोलीकर्ता को कोई और जानकारी दिए तुरंत अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।
- (g) फाइनेंशियल बिड में रेट/कोट पक्के और फाइनल होंगे, और संविदा के समय के दौरान किसी भी बहाने से बढ़ाए नहीं जाएंगे। बैंक किसी भी हालत में संविदा के समय के दौरान रेट में बदलाव के लिए कॉन्ट्रैक्ट के दावे पर विचार नहीं करेगा। सालाना रिन्यूअल के दौरान, कीमत वाली चीज़ों के रेट में बदलाव (जैसा कि एनेक्सर X में बताया गया है) लागत बढ़ने और रेट में **अधिकतम अनुमोदित बढ़ोतरी** के आधार पर किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित CPI और WPI इंडेक्स पर आधारित होगा। इस बारे में बैंक का फैसला आखिरी और मानने वाला होगा।

सफल बोलीदाता का चयन

वेंडर को ऊपर दी गई टेबल के हेडर नंबर 1 - आइटम नंबर A से P और हेडर नंबर 2 - आइटम नंबर Q के लिए **अधिकतम** दो डेसिमल तक रेट बताने की अनुमति होगी। अलग-अलग आइटम के लिए निम्नानुसार की जाएगी (प्रत्येक वर्ष मात्रा*उस आइटम के लिए उल्लिखित रेट)।

- हेडर नंबर 1 और हेडर नंबर 2 पर आई कुल राशि के जोड़ को सफल बोलीकर्ता तय करने के लिए माना जाएगा। हेडर नंबर 1 और हेडर नंबर 2 के जोड़ की सबसे कम राशि (दो डेसिमल तक राउंड ऑफ) को सफल बोलीकर्ता (L1) घोषित किया जाएगा।
- यदि दो या अधिक निविदाकर्ता की सबसे कम बोली एक जैसी है, तो ऐसे सबसे कम बोली लगाने वालों से कहा जा सकता है कि वे एक सीलबंद लिफ्राफे में अपनी पहले से उल्लिखित बोली पर डिस्काउंट देते हुए एक रिवाइज़ड ऑफ़र जमा करें। इसके अलावा, यदि कोई ऐसा सबसे कम बोली लगाने वाला अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी ओरिजिनल बोली आगे की प्रोसेसिंग के लिए वैलिड रहेगी। सबसे कम बोलीकर्ता का निर्णय रिवाइज़ड ऑफ़र के आधार पर किया जाएगा।
- यदि रिवाइज़ड ऑफ़र में मिले दो या अधिक निविदाकर्ता की रिवाइज़ड निविदा की राशि फिर से बराबर पाई जाती है, तो FY 2024-25 में सबसे अधिक सालाना टर्नओवर वाली फर्म को संविदा देने पर विचार किया जाएगा।

अनुलग्नक XIश्रम घटक की गणना

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के मुख्य कार्यालय परिसर के अधिकारी लाउंज और डाइनिंग रूम (ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन तथा चाय पेट्री के संचालन के लिए कैटरिंग सेवाएं प्रदान करना

क्रम संख्या	मैनपॉवर का विवरण	मात्रा (संख्या में) (i)	सी.एल.सी., भारत सरकार के अनुसार दैनिक न्यूनतम वेतन (रूपये में) 19 सितम्बर, 2025 से प्रभावी (ii)	प्रति वर्ष कार्य दिवसों की संख्या (iii)	प्रति वर्ष दरें = (i*ii*iii)
a.	कुशल	02	893	288 दिन (हर महीने 24 वर्किंग डे मानते हुए)	₹ 5,14,368
b.	अर्द्ध कुशल	02	760	288 दिन (हर महीने 24 वर्किंग डे मानते हुए)	₹ 4,37,760
c.	अकुशल	10	674	288 दिन (हर महीने 24 वर्किंग डे मानते हुए)	₹ 19,41,120
d) कुल लेबर वेज (रूपये में) (a, b और c का जोड़)					₹ 28,93,248
e.	EPF @ बेसिक सैलरी का 12% प्लस VDA (एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन) (बेसिक प्लस VDA हर महीने 15000 रुपये सैलरी की मैक्सिमम लिमिट या EPFO द्वारा समय-समय पर उल्लिखित कोई अन्य राशि के अधीन है)				₹ 3,02,400/-
f.	EDLI कंट्रीब्यूशन @ वेतन का 0.5% प्लस VDA (हर महीने 15000 रुपये सैलरी की अधिकतम लिमिट या EPFO द्वारा समय-समय पर उल्लिखित कोई अन्य राशि के अधीन)				₹ 12,600/-
g.	EPF एडमिन चार्ज @ सैलरी का 0.5% प्लस VDA (हर महीने 15000 रुपये सैलरी की अधिकतम लिमिट या EPFO द्वारा समय-समय पर उल्लिखित कोई अन्य राशि के अधीन)				₹ 12,600/-
h.	ESIC @ बेसिक सैलरी का 3.25% प्लस VDA (एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन) (यदि सैलरी ₹ 21,000 या ESIC द्वारा समय-समय पर उल्लिखित किसी अन्य राशि से अधिक है तो लागू नहीं)				₹ 77,314/-
i.	बोनस @ 8.33% (यदि सैलरी ₹ 21,000/- या बोनस एक्ट द्वारा समय-समय पर अपडेट की गई किसी अन्य राशि से अधिक है तो लागू नहीं)				₹ 1,98,161/-
j. d,e ,f,g,h,i का जोड़)					₹ 34,96,323

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

k.	(जे) पर 18% जीएसटी	₹ 6,29,338
लेबर कंपोनेंट की कुल राशि हर वर्ष रुपये में (j और k का जोड़) GST मिलाकर---	₹41,25,661 (निकटतम दशमलव तक पर्णांकित)	हेडर (A)
एक वर्ष के दौरान मिनिमम वेज में बढ़ोतरी की उम्मीद (5%)—हेडर (B)	₹ 1,44,662	
लेबर कंपोनेंट की कुल राशि हर वर्ष ₹ में (हेडर A और हेडर B का जोड़)	₹42,70,323	

मजदूरी के सांविधिक घटक लागू सांविधिक नियमों के अधीन हैं जो नीचे उल्लिखित हैं। निविदा देने वाले द्वारा इन पर होने वाले संशोधन और नवीनतमदिशा निर्देशों पालन करना होगा।

1.	12%	ईपीएफ योगदान @ 12% मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडीए का	बेसिक प्लस VDA, हर महीने सैलरी के अनुसार अधिकतम ₹15000 या EPFO द्वारा समय-समय पर उल्लिखित कोई अन्य राशि के अधीन है।
2.	0.5%	EDLI योगदान @ वेतन का 0.5% प्लस VDA	बेसिक प्लस VDA, हर महीने सैलरी के अनुसार अधिकतम ₹ 15000 या EPFO द्वारा समय-समय पर उल्लिखित कोई अन्य राशि के अधीन है।
3.	0.5%	EPF एडमिन चार्ज @ सैलरी का 0.5% प्लस VDA	बेसिक प्लस VDA, हर महीने सैलरी के अनुसार अधिकतम ₹15000 या EPFO द्वारा समय-समय पर उल्लिखित कोई अन्य राशि के अधीन है।
4.	3.25%	ESIC @ बेसिक सैलरी का 3.25% प्लस VDA (एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन)	(यदि सैलरी/बेसिक+VDA) ₹21000 या ESIC द्वारा समय-समय पर उल्लिखित किसी अन्य राशि से अधिक है तो लागू नहीं)
5.	8.33%	बोनस @ वेतन का 8.33% प्लस VDA	(यदि सैलरी (बेसिक+VDA) ₹ 21000 या बोनस एक्ट के तहत समय-समय पर अपडेट की गई किसी अन्य राशि से अधिक है तो लागू नहीं होगा।)

निर्देश और शर्तें: -

- वेतन में बदलाव तब किए जा सकते हैं जब विधिक प्राधिकारी इसे लागू करते हैं। **भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर, 2025 के नोटिफिकेशन के ज़रिए VDA में की गई बढ़ोतरी को कैटेगरी के अनुसार वेतन के कैलकुलेशन में शामिल कर लिया गया है और VDA में कोई भी और बढ़ोतरी महीने की समेकित सैलरी का हिस्सा बन जाएगी।**

(ओएलडीआर), स्टाफ कैटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

2. एजेंसी / ठेकेदार / फर्म / कंपनी विल मंत्रालय, सरकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपनी अधिसूचना के माध्यम से निदेशित जीएसटी प्रभार का दावा बैंक को प्रस्तुत मासिक बिल में साथ करेगा और बिल प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा इनका भुगतान किया जाएगा।
3. उल्लिखित रेट में रिलीवर चार्ज भी शामिल होना चाहिए। रिलीवर के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।
4. बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लोकल कानूनों, वर्क्स संविदा टैक्स आदि का पालन करे, सिवाय GST के जो सेंट्रल/स्टेट गर्वनर्मेंट/लोकल बॉडीज़ द्वारा लगाया गया है/लगाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को ये टैक्स सरकार को देने होंगे और बैंक कॉन्ट्रैक्ट को इसके रीइंबर्समेंट के लिए कोई क्लेम नहीं लेगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट बिल में ऐसे टैक्स और ड्यूटी शामिल नहीं करता है, तो बैंक बाद में इसका कोई क्लेम नहीं लेगा।
5. एजेंसी को अपने स्टाफ को महीने की सैलरी पर पेमेंट की NEFT डिटेल्स के साथ वेज स्लिप देनी होगी।
6. PPF/ESI/EPF आदि के पेमेंट को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स बिल के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
7. बेसिक मिनिमम वेज प्लस VDA हमेशा के अनुसार होता है **औद्योगिक श्रमिक (इमारत संचालन) (कुशल/अर्ध- कुशल/अकुशल के लिए श्रमिक)** तय करना द्वारा अध्यक्ष श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और वह अन्य अनिवार्य शुल्क यानी ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस के अनुरूप हैं संगत कानूनी शर्तें।
8. मैने/हमने ई-निविदा के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए हैं और उनसे सहमत हैं।

स्थान:
तारीख:

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर और मुहर
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर की स्टाफ कैटीन सर्विस प्रदान की जानी है

1. कैटीन सर्विस आम तौर पर स्टाफ कैटीन, एनेक्स बिल्डिंग, मेन ऑफिस परिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भुवनेश्वर या बैंक परिसर के अंदर बैंक द्वारा तय की गई किसी दूसरी जगह पर दी जाएंगी। हालांकि, यदि बैंक को ज़रूरत हो, तो ऑफिस के समय के बाद भी सर्विस देनी होगी।

Annexure-XI II में उल्लिखित सांकेतिक मेन्यू और रेट्स का संदर्भ लें। किसी भी नए आइटम के रेट्स के लिए बैंक से पहले मंजूरी लेनी होगी।

3. वेंडर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे POS, सोडेक्सो कार्ड मशीन, UPI पेमेंट आदि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। वेंडर बैंक के स्टाफ को दिए जाने वाले ब्रेकफास्ट/लंच/ सैक्स आइटम के बदले डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/कैश के साथ सोडेक्सो/ प्लक्सी कार्ड भी लेगा। वेंडर सोडेक्सो/ प्लक्सी EMCs/कूपन (यदि लागू हो) के बदले सीधे सोडेक्सो SVC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से राशि क्लेम करेगा। इस बारे में किसी भी क्लेम के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4. बैंक वेंडर को जो इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, उसमें पानी, बिजली, डाइनिंग एरिया और कैटीन का फर्नीचर शामिल होगा। स्टाफ कैटीन के लिए क्रॉकरी और कटलरी की व्यवस्था वेंडर करेगा और इसका खर्च वेंडर उठाएगा। संविदा का समय पूरा होने पर ये सामान वेंडर को वापस कर दिया जाएगा।

प्रतिदिन स्टाफ कैटीन में काम करने वाले लोगों का खर्च नहीं उठाएगा। हालांकि, वेंडर अपने स्टाफ की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्रीय नियम), 1948 के तहत मौजूदा निर्देशों के अनुसार मजदूरी और सभी भत्तों का भुगतान, जैसा कि लागू हो और समय-समय पर संशोधित किया गया हो।

(ii) अपने कर्मचारियों की ओर से सभी टैक्स का कलेक्शन और पेमेंट करना और किसी भी सरकारी अथारिटी द्वारा की गई PF, ESI आदि जैसी कोई भी दूसरी कानूनी ज़रूरतें पूरी करना।

6. कैटीन में सुबह नाश्ता, दोपहर में दोपहर का भोजन और शाम को नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर उल्लिखित नियम और शर्तें पढ़ और समझ ली हैं।

वेंडर/साझेदार के हस्ताक्षर नाम:

मुहर:

तारीख:

जगह:

अनुलग्नक-XIII**स्टाफ कैंटीन, आरबीआई, भुवनेश्वर में नाश्ते/स्नैक्स/दोपहर के भोजन के रेट****(A) प्रतिदिन सुबह का नाश्ता और दोपहर का नाश्ता :**

क्रम संख्या	विवरण	इकाई (प्लेट / टुकड़ा)	टेक्स सहित रेट (रुपये में)
1.	चाय/कॉफी/ब्लैक कॉफी/ग्रीन टी/लेमन टी/मसाला टी/अदरक की चाय/ताजा नींबू पानी	प्रति कप (180 मिली)/प्रति गिलास (200 मिली)	₹10/-
2.	ग्रिल्ड सैंडविच वेज/नॉन-वेज	प्रति 02 स्लाइस ब्रेड	₹ 20/- / 35/-
3.	मशहूर ब्रांड के कॉर्नफ्लेक्स (रेगुलर) दूध और चीनी के पैकेट के साथ	प्रति कटोरी (200 ml दूध और 50 gm कॉर्नफ्लेक्स)	₹35/-
4.	आलू/गोभी/प्याज पराठा दही और अचार के साथ	प्रति पीस	₹25/-
5.	सब्जी के साथ पूरी / आलू कोड दर्ज करें	प्रति चार पीस.	₹30/-
6.	पोहा	प्रति प्लेट	₹25/-
7.	इडली (सांभर, चटनी या आलू सहित) मटर करी)	प्रति प्लेट (चार)	₹30/-
8.	ब्रेड - ऑमलेट	चार पीस ब्रेड और दो अंडे	₹40/-
9.	उबले हुए अंडे	प्रति पीस	₹10/-
10.	मक्खन/जैम के साथ ब्रेड टोस्ट	प्रति दो पीस.	₹20/-
11।	उपमा, घुघुनी	प्रति प्लेट	₹25/-
12.	सादा डोसा (सांभर, चटनी सहित)	प्रति प्लेट (1 (सं.)	₹30/-
13.	प्याज मसाला डोसा (सांभर, चटनी सहित)	प्रति प्लेट (1 संख्या)	₹40/-
14.	नूडल्स/आटा मैगी वेज/नॉनवेज	प्रति प्लेट	₹ 30/- / 40-
15.	वड़ा/ प्याजी / समोसा / आलू चॉप	प्रति खंड	₹10/-
16.	वेज कटलेट/ब्रेड चॉप/अंडा चॉप	प्रति खंड	₹15/-
17.	रसगुल्ला /जिलाबी/गुलाब जामुन/कोई अन्य मिठाई	प्रति खंड	₹12/-
18.	पेय पदार्थ (आइसक्रीम/ कोल्ड ड्रिंक्स/ छाछ/ लस्सी/ दही (मीठा/ सादा) / टेट्रा पैक जूस)	एमआरपी के अनुसार	

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

(बी) दोपहर का भोजन रोज़ परोसा जाएगा:

क्रम संख्या	विवरण	इकाई (प्लेट / टुकड़ा)	टैक्स सहित रेट (रुपये में)
1.	<u>वेज थाली:</u> (a) सादा चावल (b) दाल (सप्ताह में तीन बार)/ओडिया दालमा (सप्ताह में दो बार) (ग) चपाती (d) एक मौसमी सब्जी की करी (ई) मिक्स फ्राई भाजा/चिप्स (च) सलाद, अचार और पापड़	प्रति प्लेट	₹80/-
2.	<u>नॉन वेज थाली :</u> (a) सादा चावल (b) दाल (सप्ताह में तीन बार)/ओडिया दालमा (सप्ताह में दो बार) (ग) चपाती (d) चिकन (100 ग्राम के 03 पीस) (सप्ताह में दो बार)/मछली (100 ग्राम का 01 पीस) (सप्ताह में तीन बार) (ई) मिक्स फ्राई भाजा/चिप्स (च) सलाद, अचार और पापड़	प्रति प्लेट	₹100/-
3.	स्टीम राइस	प्रति प्लेट	₹20/-
4.	दाल फ्राई	प्रति प्लेट	₹25/-
5.	मौसमी सब्जियाँ	प्रति प्लेट	₹35/-
6.	वेज पुलाव/मटर पलाऊ/फ्राइड राइस	प्रति प्लेट	₹50/-
7.	पनीर बटर मसाला/ मटर पनीर/ चिली पनीर/ वेज मंचूरियन/ गोभी मंचूरियन/ मलाई कोफ्ता करी	प्रति प्लेट	₹50/-
8.	मिक्स वेज	प्रति प्लेट	₹40/-
9.	चपाती/रोटी/तवा पराठा	प्रति पीस.	₹8/-
10.	मशरूम करी/ चिली मशरूम	प्रति प्लेट	50/- रुपये
11।	फिश मसाला / फिश कालिया / फिश डोपियाजा / चिली फिश	(01 पीस 100 ग्राम)	₹35/-
12.	अंडा करी/ डबल अंडा आमलेट	(2 पीस)	₹30/-
13.	झींगा करी	(03 पीस 100 ग्राम)	₹75/-
14.	चिकन चिली / चिकन 65 / चिकन बटर मसाला / चिकन टिक्का बटर मसाला / कड़ाही चिकन	(04 पीस 150 ग्राम)	₹70/-
15.	मटन रोगन जोश / हांडी मटन	(04 पीस 100 ग्राम)	₹130/-

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

16.	मिक्स वेज बिरयानी/मशरूम बिरयानी/पनीर बिरयानी रायते के साथ	(75 ग्राम पनीर या मशरूम)	₹100/-
17.	चिकन दम बिरयानी रायता के साथ	(04 पीस 150 ग्राम चिकन)	₹130/-
18.	मटन बिरयानी रायते के साथ	(04 पीस 150 ग्राम)	₹180/-
19.	दही	प्रति कटोरा	₹15/-

ओडिशा के व्यंजन

1.	डालमा		₹25/-
2.	बैगन भरता / आलू भरता		₹15/-
3.	आलू पोताला रस्सा		₹30/-
4.	जाही पोस्टा		₹30/-
5.	दही बैगन		₹20/-
6.	दही बूंदी		₹20/-
7.	बड़ी चूरा		₹15/-
8.	साग भाजा		₹20/-
9.	भिंडी मसाला		₹30/-
10.	माछा तवा फ्राई बेसरा	(ग्रेवी को छोड़कर 1 पीस 100 gm)	₹35/-
11.	चूना मच्छा भाजा/ बेसर	75 ग्राम चूना ग्रेवी को छोड़कर माछा	₹30/-
12.	चिकन करी घरेलू स्टाइल	(ग्रेवी को छोड़कर 150 ग्राम के 04 पीस)	₹70/-
13.	मटन करी घरेलू स्टाइल	(ग्रेवी को छोड़कर 100 ग्राम के 04 पीस)	₹120/-
14.	चावल की खीरी/ गाजर का हलवा	(50 ग्राम)	₹25/-

(सी) वेंडर स्टाफ कैंटीन में निम्नलिखित मेनू की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए:

- प्रतिदिन वेज थाली और नॉन वेज थाली ।
- प्रतिदिन कम से कम एक स्पेशल वेजिटेबल डिश (पनीर/मशरूम/कोफ्ता/वेज बिरयानी/फ्राइड राइस विद वेज/गोबी मंचूरियन) ।

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

3. विशेष मांसाहारी व्यंजन अर्थात् चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी या मटन करी घरेलू स्टाइल (सप्ताह में कम से कम एक बार) और चूना मच्छा बेसर या प्रॉन करी (हफ्ते में कम से कम एक बार)।
4. प्रतिदिन कम से कम 02 तरह के ब्रेकफास्ट आइटम और दोपहर के स्नैक्स।
5. प्रतिदिन नाश्ते और दोपहर के नाश्ते के समय चाय/कॉफी/ब्लैक टी/लेमन टी/ग्रीन टी/ताज़ा नींबू पानी।
6. प्रतिदिन कम से कम एक डेज़र्ट आइटम जैसे स्वीट/राइस खीरी/ गाजर हलवा की व्यवस्था करें ।
7. स्टाफ कैंटीन में प्रतिदिन प्रतिष्ठित ब्रांड के ड्रिंक्स (आइसक्रीम/ कोल्ड ड्रिंक्स/ बटर मिल्क/ लस्सी/ दही (मीठा/ प्लेन) / टेट्रा पैक जूस) की व्यवस्था करें ।
8. बैंक द्वारा उल्लिखित कोई भी अन्य वस्तुएँ।

नोट : कैंटीन में तैनात स्टाफ को ऑफिस की तरफ से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। रेवेन्यू कैंटीन में उपर्युक्त रेट के अनुसार खाने की चीज़ों की बिक्री से आएगा, जिसके लिए आने वाले स्टाफ को कैश या सोडेक्सो कार्ड या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड से पेमेंट करना होगा ।

अंडरटेकिंग

मैं/हम पूरी ईमानदारी से यह अंडरटेकिंग देता/देती हूँ कि:

1. फर्म/कंपनी अपने द्वारा तैनात मैनपॉवर को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांविधिक भुगतानों जैसे न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई आदि (जैसा कि अनुलग्नक-XI में उल्लेख है) के प्रावधानों/विधियों/अधिनियमों/नियमों व शर्तों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेगी।
2. फर्म/कंपनी को बैंक से वास्तविक में रीइंबर्समेंट के लिए सैलरी और अन्य सभी कानूनी बकायों के पेमेंट का सबूत देना होगा।
3. फर्म/कंपनी मिनिमम वेज में किसी भी बदलाव के बारे में नोटिफिकेशन, जैसा कि चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल), मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा समय-समय पर तय किया गया है, बैंक से रीइंबर्समेंट के लिए पेश करेगी।

स्थान :

तारीख:

कार्यालय मुहर सहित फर्म/बोलीदाता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेट्री के संचालन के लिए ई-निविदा

ओएलडीआर, टी पेंट्री और स्टाफ कैंटीन में इस्तेमाल होने वाले सामान की अनुमोदित लिस्ट

क्रमांक	सामान	ब्रांड
1	दूध (ताजा) और दूध उत्पाद	ओमफेड, मिल्क मू, अमूल, मदर डायरी
2	मक्खन	अमूल, मदर डायरी या समकक्ष
3	ब्रेड (सफेद / भूरा)	ब्रिटानिया, मॉरिस, एस्सार या समकक्ष
4	कॉर्नफ्लेक्स	केलॉस, बैग्रीज या समकक्ष
5	खाद्य रिफाइंड तेल	सफोला / सनड्रॉप / फॉर्च्यून केवल
6	खाद्य सरसों का तेल	सफोला, इंजन, फॉर्च्यून केवल
7	मसाले	पैकड एमडीएच, एवरेस्ट, गृहस्थी, होम फिल्स, टाटा संपन्न या समकक्ष
8	गेहूं का आटा	आशीर्वाद, नेचर फ्रेश
9	चावल (बासमती)	कोहिनूर/ इंडिया गेट/ लाल किला/ दावत केवल प्रीमियम क्वालिटी के
10	दालें	बहुत अच्छी क्वालिटी की पैकेज्ड दालें
11	डाइनिंग टेबल पर नमक/काली मिर्च (पाउडर) और चाट मसाला	कैच, एमडीएच, एवरेस्ट या समकक्ष
12	अचार	मदर्स/टॉप्स या बैंक द्वारा अप्रूव्ड कोई दूसरा ब्रांड
13	कच्ची सब्जियाँ	ताजा और अच्छी क्वालिटी का और पकाने से पहले ठीक से धोया हुआ।
14	रस	रियल, ट्रॉपिकाना या समकक्ष
15	आइसक्रीम	अमूल, मदर डायरी, दिनशॉ, क्वालिटी वॉल्स, वाडीलाल या इसके बराबर।
16	ऊपर उल्लिखित के अलावा सभी कंज्यूमेबल्स	प्रीमियम गुणवत्ता

(ओएलडीआर), स्टाफ कैंटीन में खानपान सेवाएं प्रदान करने और मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर में चाय पेंट्री के संचालन के लिए ई-निविदा